एकादश माला, खंड 10, अंक 17

शनिवार, 15 मार्च, 1997
24 फाल्गुन, 1918 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र

(भाग एक)

(ग्यारहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 9 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्री सुरेन्द्र मिश्र
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्रीमती अरूणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[एकादश माला, खंड 10, चौथा सत्र (भाग-एक), 1997/1918 (शक)]

अंक 17, शनिवार, 15 मार्च, 1997/24 फाल्गुन, 1918 (शक)

	कालम
सभा पटल पर रखे गए पत्र	3
राज्य सभा से सन्देश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—*सभा पटल पर रखा गया*	3–4
सभा का कार्य	4–10
विधेयक—*पुर:स्थापित*	10–14
(एक) भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 1997	10–14
(दो) भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक, 1997	14
भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण—*सभा पटल पर रखा गया*	14
उत्तर प्रदेश बजट, 1997-98—सामान्य चर्चा **लेखानुदानों की मांगें (उत्तर प्रदेश), 1997-98** **अनुपूरक अनुदानों की मांगें (उत्तर प्रदेश), 1996–97**	14–118
श्री सत्यदेव सिंह	15, 29–41
कटौती प्रस्ताव	41–57
बेगम नूर बानो	58–59
श्री सुरेन्द्र यादव	59–62
श्री सैयद मसूदल हुसैन	62–66
श्री जगत वीर सिंह द्रोण	66–72
राजकुमारी रत्ना सिंह	72–74
श्री संतोष कुमार गंगवार	75–81
श्री बृज भूषण तिवारी	81–83
श्री बची सिंह रावत "बचदा"	83–87
श्री नारायण दत्त तिवारी	88–96
श्री प्रमथेस मुखर्जी	96–98
डा. रमेश चन्द तोमर	98–100
श्री प्रताप सिंह सैनी	100–101

कालम

श्री भगवान शंकर रावत 102-105

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री 106-109

श्री मुलायम सिंह यादव 109,111-112

श्री पी. चिदम्बरम 112-117

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1997—*पारित* 118-120

विचार करने के लिए प्रस्ताव 119

खंड 2, 3 और 1 119

पारित करने के लिए प्रस्ताव 120

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1997—*पारित* 120-121

विचार करने के लिए प्रस्ताव 120

खंड 2, 3 और 1 121

पारित करने के लिए प्रस्ताव 121

आयकर (दूसरा संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प—*वापस लिया गया*

और

आय-कर (संशोधन) विधेयक, 1997. 122-161

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री अमर पाल सिंह 122-123

श्री पी. चिदम्बरम 124-125, 155-160

श्री गिरधारी लाल भार्गव 126-130

श्री निर्मल कांति चटर्जी 130-135

श्री रमेश चेन्नित्तला 135-137

श्री भगवान शंकर रावत 137-139

श्री पी. नामग्याल 139-156

खंड 2 से 11 और 1 160-161

पारित करने के लिए प्रस्ताव 161

लोक सभा

शनिवार, 15 मार्च, 1997/24 फाल्गुन, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नमस्कार। आपको इतनी संख्या में उपस्थित देख मुझे अच्छा लग रहा है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आज शून्य काल नहीं होगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, हमें शून्य काल के लिए आधे घंटे की अनुमति दें।

श्री राजेश पायलट (दौसा): महोदय, कृपया आप हमें कम से कम दो मुद्दे उठाने की अनुमति अवश्य दें। बम विस्फोट की दो-तीन घटनाएं हुई हैं। जालंधर में बम विस्फोट हुआ है। उतनी ही क्षति करने वाला एक बम विस्फोट यहां भी हुआ है। इन मुद्दों पर हमें अवश्य चर्चा करनी चाहिए ... *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, कृपया आज मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने की अनुमति दें। ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: दूसरे दिन आप लोगों को जीरो आवर में समय देते हैं। इसलिए आज स्पेशल सैशन बुलाया है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट: जालंधर और सतारा में बम विस्फोट हुए हैं... *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, हमें महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने के लिए कम से कम आधे-घंटे की अनुमति दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: श्री जेना, जालंधर में बम विस्फोट के बारे में सरकार यदि वक्तव्य देना चाहती है तो सोमवार को दिया जा सकता है, आज नहीं।

श्री राजेश पायलट: महाराष्ट्र में भी बम विस्फोट हुआ है। इसके पीछे कुछ कारण हैं। पिछले पांच वर्षों से वहां क्या हो रहा है? वहां की गतिविधियों पर कुछ निगरानी रखी गई है। सरकार को निगरानी के बारे में हमें जानकारी देनी चाहिए।

हाल ही में, पंजाब में चुनावों के दौरान, हम लोगों को चेतावनी दे रहे थे। इन मामलों को हल्के ढंग से नहीं लिया जाना चाहिए और सरकार को इस संबंध में किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी देनी चाहिए... *(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम): कृपया मुझे एक मुद्दे का उल्लेख करने दें। एक समाचार में बताया गया है कि एक और न्यायिक निकाय को धमकी दी गई है। वह है महाराष्ट्र में श्री कृष्ण आयोग। एक बड़े नेता ने कहा है कि इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि आयोग ने सरकार से कुछ दस्तावेज मांगे हैं। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। यदि राजनैतिक नेता धमकी देते हैं कि जांच के लिए न्यायिक आयोग को बंद कर दिया जाना चाहिए अथवा समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि आयोग ने कुछ फाइलों की मांग की है... *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, यह समाचार-पत्र में छपा है।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर): महोदय, वह छपे समाचार के आधार पर बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: समाचार पत्र के समाचारों पर निर्भर न रहें। श्री राम नाईक सभा के एक सम्माननीय और जिम्मेदार सदस्य हैं। मुझे आशा है जो वह कहेंगे, ठीक कहेंगे।

... (व्यवधान)

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): यदि वह कह रहे हैं कि यह गलत है जो आप इसे मान लीजिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा जो उन्होंने कहा है। यह सरकार के ऊपर निर्भर है... *(व्यवधान)*

श्री राम नाईक: महोदय, शिव सेना नेता श्री बाल ठाकरे ने कहा है कि वे श्री कृष्ण आयोग के संदर्भ में नहीं कह रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इससे इंकार नहीं किया है।

श्री सुरेश प्रभु (राजापुर): महोदय, प्रश्न यह है कि क्या यह प्रश्न यहां उठाया जाना चाहिए। यह केवल एक समाचार है। यह यहां सभा में क्यों उठाया जाना चाहिए?

श्री राम नाईक: शिव सेना नेता श्री बाल ठाकरे ने नहीं कहा है... *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: क्या आप महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आप ऐसा नहीं कर रहे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: महोदय, केन्द्रीय सरकार को इस पर अपना वक्तव्य देना चाहिए... *(व्यवधान)*

श्री राम नाईक: महोदय, क्या जो मैं कह रहा हूँ वह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय: जो मैंने कहा है वह अवश्य कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा। मैंने यह कहा था। श्री राम नाईक इस सभा के एक सम्माननीय और जिम्मेदार सदस्य हैं और जब कुछ कहते हैं तो मैं उसे मान लेता हूं। मैंने यह कहा है।

... (व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.04 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वर्ष 1997-98 के लिए श्रम मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगें

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रहमण्यन): महोदय, मैं श्री एम. अरुणाचलम की ओर से वर्ष 1997-98 के लिए श्रम मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ। ... *(व्यवधान)*

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 1656/97]

पूर्वाह्न 11.05 बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

महासचिव: मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 13 मार्च, 1997 को हुई अपनी बैठक में पारित डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) (महापत्तनों पर लागू न होना) विधेयक, 1997 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

2. महोदय, मैं 13 मार्च, 1997 को राज्य सभा द्वारा यथापारित डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) (महाफ्तनों पर लागू न होना) विधेयक, 1997 सभा पटल पर रखता हूँ।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़): महोदय, कक्षा 12 के परीक्षार्थियों के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयार किए गए प्रश्न-पत्र कठिन, परम्परा से हटकर और पाठ्यक्रम से बाहर होने के कारण अत्यधिक कठिनाई हुई है। इसलिए, मैं अनुरोध करता हूं कि भौतिकी का प्रश्न-पत्र दोबारा करवाया जाए अथवा कुछ अतिरिक्त अंक दिए जाएं... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इसे यहां कैसे उठा सकते हैं?

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

पूर्वाह्न 11.07 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 17 मार्च, 1997 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा:-

1. निम्नलिखित अध्यादेशों का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्पों पर चर्चा और इन अध्यादेशों के प्रतिस्थापक विधेयकों पर विचार और पारित करना:-

(क) भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1997

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अध्यादेश, 1997

(ग) राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण अध्यादेश, 1997

2. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

3. वर्ष 1997-98 के लिए सामान्य बजट पर आगे सामान्य चर्चा।

4. निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान:-

(क) वर्ष 1997-98 के लिए लेखानुदान मांगें (सामान्य)

(ख) वर्ष 1996-97 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें (सामान्य)

(ग) वर्ष 1994-95 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगें (सामान्य)

5. पत्तन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1997 का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में पत्तन विधि (संशोधन) विधेयक, 1997 पर विचार और पारित करना।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर): महोदय, मैं एक मुद्दा उठाना चाहता हूं जिससे कि कार्यवाही को सुगम बनाया जा सके। कल जब हमें आज की कार्यवाही हेतु कार्यसूची दी गई तो उसमें कुछ विधेयकों का उल्लेख नहीं था। लेकिन पुनरीक्षित कार्यसूची में उन्होंने कुछ और विधेयकों का उल्लेख किया है। कल सरकार द्वारा मात्र तीन विधेयकों को दर्शाया गया था अर्थात (1) आयकर (संशोधन) विधेयक, 1997; (2) राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण; और (3) राष्ट्रीय राजमार्ग विधि (संशोधन) विधेयक, 1997। तदनुसार हमने अपने सदस्यों को इन विषयों पर बोलने के लिए सूचित किया। अब, पुनरीक्षित कार्यसूची में उन्होंने विद्युत विधि (संशोधन) विधेयक, 1997 और ललित कला अकादमी (प्रबंध ग्रहण करना) विधेयक, 1997 को शामिल किया है। यदि सरकार ऐसा ही चाहती है तो हम वक्ताओं की व्यवस्था कहाँ से करेंगे? तथा इस सभा में हम उनकी सहायता कैसे करेंगे? अत: मेरा अनुरोध है कि इन दोनों विधेयकों पर, जिसे कल की कार्यसूची में सम्मिलित नहीं किया गया था, आज चर्चा के लिए न लिया जाए। अत: उन तीन विधेयकों, जिसे कल की कार्यसूची में दर्शाया गया था और जिसे सदस्यों के बीच परिचालित किया गया था, को ही चर्चा के लिए लिया जाए जिससे की सदस्य उस पर बोल सकें और उचित समन्वय बना रहे। उस दृष्टि से मेरा आपसे अनुरोध है कि इस दोनों विधेयकों को बाद में चर्चा के लिए लिया जाए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: विगत अनुभव को देखते हुए आप वह पायेंगे जो आप कह रहे हैं।

... (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, विद्युत विधेयक सबसे विवादास्पद विधेयक है... *(व्यवधान)* मेरा अनुरोध है कि विधेयक को चर्चा के लिए आज न लिया जाए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह भी यही कह रहे हैं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हम आगामी सप्ताह के लिए कार्य पर चर्चा कर रहे हैं। आप आज के कार्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मंत्री जी का वक्तव्य आगामी सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के संबंध में है। जहाँ तक आज का संबंध है तो हम चाहेंगे कि वह जैसा है उसी रूप में जाए। अब हम 'लिए जाने वाले निवेदनों पर' विचार करेंगे। प्रो० मेहता कृपया शांत रहें।

... (व्यवधान)

श्री वी. वी. राघवन (त्रिचूर): विद्युत विधेयक को नहीं लिया जाना चाहिए। यह सबसे विवादास्पद विधेयक है... *(व्यवधान)*

प्रो. रीता वर्मा (धनबाद): महोदय, महिला आरक्षण विधेयक का क्या हुआ? हम इसके बारे में चिंतित हैं ... *(व्यवधान)* सरकार ने कहा है कि वह महिला आरक्षण विधेयक लाने के लिए वचनबद्ध है। इस बारे में मैं अपना विरोध दर्ज करना चाहती हूँ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं जानता। श्री जेना, महिला आरक्षण विधेयक का क्या हुआ? कार्यसूची में इसका उल्लेख नहीं है।

... (व्यवधान)

प्रो. रीता वर्मा: महिला आरक्षण विधेयक लाने के आपके वायदे का क्या हुआ? ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से सरकार इस पर विचार-विमर्श कर रही है।

... (व्यवधान)

प्रो. रीता वर्मा: यदि ऐसा है, तो सरकार को इसे स्पष्ट करना चाहिए। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह इस विधेयक को न लाने के लिए अपना मन बना चुकी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आगामी सप्ताह तक बजट पर चर्चा समाप्त नहीं होगी। हम मात्र एक मध्यावकाश के लिए जा रहे हैं। सभा 21 अप्रैल, 1997 को पुन: शुरु होगी।

... (व्यवधान)

प्रो. रीता वर्मा : संसदीय कार्य मंत्री को इस संबंध में एक स्पष्ट आश्वासन देना चाहिए ... *(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट (दौसा): महोदय, आपको महिला महाविद्यालयों की ओर से काफी आमंत्रण मिल रहे हैं। हो सकता है कि इसका कारण महिला आरक्षण विधेयक हो। अक्सर महिला महाविद्यालयों में पुरस्कार वितरण समारोह आदि के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है। उनके पीछे उनका यही उद्देश्य हो... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको लगता है कि मुझे इस विधेयक के पक्ष में प्रभावित किया जा रहा है।

... (व्यवधान)

प्रो. रीता वर्मा: संसदीय कार्य मंत्री को एक स्पष्ट आश्वासन देना चाहिए ... *(व्यवधान)* महोदय, महिला आरक्षण विधेयक पर कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया जा रहा है... *(व्यवधान)* महोदय, हमें एक स्पष्ट आश्वासन दिया जाना चाहिए ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री जेना, महिला आरक्षण विधेयक के बारे में आपके पास कहने को कुछ है?

... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): महिला आरक्षण विधेयक के बारे में मैं स्थिति पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ। प्रधान मंत्री पहले ही राज्य सभा को आश्वस्त कर चुके हैं। मैं समझता हूँ कि 'मध्यावकाश समय' के दौरान एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी और उसमें एक प्रकार की सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की जाएगी। अत:, मध्यावकाश के पश्चात ही सभी राजनैतिक दलों की सर्वसम्मति से इस विधेयक को लाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्नकर्ता के लिए यह उत्तर काफी है।

... (व्यवधान)

श्री वी. वी. राघवन: महोदय, विद्युत मंत्री यहाँ बैठे हैं। हम माननीय मंत्री से एक आश्वासन चाहते हैं... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि वह विधेयक आज लाया जाता है तो आप उस पर बोल सकते हैं।

... (व्यवधान)

श्री वी. वी. राघवन: महोदय, आज की कार्यसूची में यह सम्मिलित है... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि इसे आज लाया जाता है तो मैं आपको अनुमति दूँगा।

... (व्यवधान)

श्री वी. वी. राघवन: महोदय, यह अत्यधिक विवादास्पद विधेयक है... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया इस पर और अधिक समय व्यर्थ न करें। काफी हो चुका।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब, निवेदन लिए जाएंगे।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित करें:-

1. देश में कपड़ा उद्योग और कपड़ा मिलों की स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता है। एनटीसी, एसटीसी एवं निजी बंद एवं बीमार मिलों को चलाने एवं इनमें कार्यरत अथवा कार्य करते रहे कामगारों एवं कर्मचारियों का रोजगार एवं पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए।

2. देश में नदी जल प्रदूषण मुक्ति के प्रभावी उपाय एवं कार्यक्रम सुनिश्चित किया जाए। मध्य प्रदेश में क्षिप्रा-नर्मदा जल शुद्धि की योजना तथा क्षिप्रा-नर्मदा जोड़ योजना को राष्ट्रीय योजना के रूप में स्वीकृत कर कार्यान्वित किया जाए।

[अनुवाद]

श्री सुव्रता मुखर्जी (रायगंज): आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित करें:-

1. दलखोला रेलवे फाटक पर उपरि पुल न होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 से आने-जाने वाले परिवहन को होने वाली समस्या पर चर्चा।

2. पश्चिम बंगाल में भारत-बंगलादेश सीमा पर बाढ़ लगाये जाने के परिणामस्वरूप विस्थापित हुए ग्रामीणों के पुर्नस्थापन पर चर्चा।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़): आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित करें:-

1. एक प्रणाली—राजनैतिक और प्रशासनिक दोनों में मूलभूत परिवर्तन करने तथा इसके लिए एक संविधान सभा का गठन किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा।

श्री हाराधन राय (आसनसोल): आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित करें:-

1. आसनसोल-रानीगंज कोयला खदान क्षेत्रों में पेय जल की गंभीर समस्या और इसके समाधान हेतु शीघ्र कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा।

2. केन्द्रीय सरकार द्वारा अपर्याप्त धन जारी करने के परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विद्युतीकरण की धीमी प्रगति पर चर्चा।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली): महोदय, कृपया निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए:-

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत चयनित काउंटर मेगनेट सिटी बरेली के समुचित विकास हेतु आगामी योजना में 100 करोड़ का प्रावधान किया जाए।

2. बरेली चौपला स्थित उत्तर व पूर्वोत्तर रेल क्रासिंग के ऊपर यातायात की समस्या को ध्यान में रखते हुए ओवर ब्रिज के निर्माण की घोषणा की जाए।

श्री महावीर लाल विश्वकर्मा (हजारीबाग): अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित दो विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित करने की कृपा करें:

1. दक्षिण बिहार के चतरा जिला अंतर्गत ईटखोरी प्रखंड के बेलगढ़ा नामक स्थान पर कोयले का प्रचूर भंडार पाया गया है किन्तु उक्त क्षेत्र में कोयले की खदान नहीं है। अत: चतरा जिला अंतर्गत ईटखोरी प्रखंड के बेलगढ़ा नामक स्थान पर शीघ्र कोयले की खदान चालू करने की आवश्यकता है।

2. दक्षिण बिहार के हजारी बाग जिलान्तर्गत पतरातू प्रखंड के सुधरपुर ग्राम में सरकार द्वारा खनन कार्य हो रहा है। खनन के दौरान होने वाले विस्फोट के फलस्वरूप सुधरपुर ग्राम का अस्तित्व खतरे में है। अत: ग्रामीणों के हित को मद्देनजर रखते हुए वहां खनन कार्य पर रोक लगाई जाये तथा अब तक हुई क्षति का मुआवजा उक्त क्षेत्र के लोगों को दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री अच्युत चरण साहू (कटक): महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित करें, अर्थात, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर और समुद्रविज्ञान संस्थान, गोवा द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार पारादीप में बंगाल की खाड़ी में फ्लोराईड के स्तर में वृद्धि पायी गई है। इसका कारण पी.पी.एल. द्वारा जस्ता पौंड का रिसाव है। इससे फ्लोराईड के स्तर में वृद्धि हुई। जिसके कारण लुप्त प्राय: समुद्री जीव-जन्तु खतरे में पड़ गये हैं।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण विधेयक 1997*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री बेनी प्रसाद वर्मा विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे।

[हिन्दी]

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि दूर-संचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने और उससे संबंधित आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कि भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने और उससे संबंधित आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर): महोदय, मैंने भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 1997 को पुर:स्थापित करने के विरोध में एक सूचना दी है। यह विधेयक अध्यादेश संख्या 11, जिसकी उद्घोषणा 25 जनवरी, 1997 को की गयी थी, के स्थान पर लाया गया है। इसका आशय यह है कि डेढ़ महीना बीत जाने के पश्चात भी सरकार इस विधेयक को पेश नहीं कर सकी। यह विधेयक आज पुर: स्थापित किया जा रहा है।

इस संबंध में मैं आपका ध्यान अध्यक्ष के निदेश संख्या 19क और ख की ओर दिलाता हूँ। निदेश 19क में कहा गया है कि:

"(1) विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करने के इच्छुक मंत्री अपने उस अभिप्राय की लिखित सूचना दे।

(2) इस निदेश के अधीन विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव की सूचना की अवधि

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 15.3.97 में प्रकाशित।

[श्री राम नाईक]

सात दिन होगी जब तक अध्यक्ष कम सूचना पर प्रस्ताव करने की अनुमति न दे।

मैं नहीं जानता कि इस संबंध में सरकार ने पहल की है और आपने अपेक्षित सात दिन की सूचना से कम समय की अनुमति दी है। मुझे सही स्थिति ज्ञात नहीं है। लेकिन आपको इस बारे में बेहतर जानकारी होगी। अत:, पहला सवाल यह है कि क्या सरकार ने सात दिन पूर्व आपको कहा था या नहीं।

मेरा दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे अधिकारों के संरक्षण से है और वह, जैसा कि निदेश 19ख में कहा गया है:

"कोई विधेयक पुर:स्थापित करने के लिए किसी दिन की कार्यसूची में तब तक सम्मिलित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसकी प्रतियां उस दिन से जब कि विधेयक को पुर: स्थापित किये जाने का विचार हो, कम से कम दो दिन पूर्व सदस्यों के उपयोग के लिए उपलब्ध न की गई हों।"

अत: यह विधेयक आज ही परिचालित किया गया है और यह आज की कार्यसूची में उल्लिखित है। हमें आज ही सुबह ये पत्र प्राप्त हुए हैं। मेरा कहना है कि निदेश 19ख हमारे विचार से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि हम संवैधानिक दृष्टि से विधेयक पुर:स्थापित करना चाहें तो यह विधेयक हमें दो दिन पूर्व मिलना चाहिए। अब, चूंकि सरकार ने 25 जनवरी को अध्यादेश जारी किया है इसलिए वह हर जगह हमारे अधिकार को छीनना चाहती है और वे सभा के नियमों को गंभीरता से नहीं ले रही है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। यह सुस्त सरकार अध्यक्ष द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार बर्ताव नहीं कर रही है। अत: इस मुद्दे पर मेरा विरोध है।

एक अन्य पहलू यह है कि आज शनिवार है। यदि हम शनिवार को कार्य नहीं करते तो यह विधेयक सोमवार को पेश किया जाता। अत:, विधेयक को सोमवार को पेश किया जाना चाहिए और यदि हमें कोई संवैधानिक आपत्तियां उठानी होती तो हम उसे सोमवार को उठाते। इस आधार पर भी मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे अधिकारों को बनाये रखें जिससे कि हमें सूचना दो दिनों पूर्व मिल सके। तदनुसार, मैं इस विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि श्री राम नाईक नियमों का सही उल्लेख कर रहे हैं। इस बारे में कोई विवाद नहीं है कि यह विधेयक 25 जनवरी के अध्यादेश के स्थान पर लाया जा रहा है। उसे 3 अप्रैल के पहले बदला जाना है। इसलिए सरकार ने इस निदेश को हटाने के लिए अध्यक्ष से अनुरोध किया है। मैंने इसकी अनुमति दी है। लेकिन मैं सरकार को बतलाना चाहूंगा कि वह नियमों के अनुसार चलें।

... (व्यवधान)

श्री राम नाईक: इससे क्या अंतर पड़ता है? *... (व्यवधान)* नहीं, यह हमें कम से कम दो दिन पूर्व मिलना चाहिए। मेरा कहना है कि जब सरकार ने 25 जनवरी को अध्यादेश जारी किया था तब उसके पास विधेयक तैयार करने और उसे परिचालित करने के लिए डेढ़ महीने का समय था।

अध्यक्ष महोदय: मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि कार्य मंत्रणा समिति में हुई चर्चा की इस बात से मैं प्रभावित हुआ था कि सोमवार से हम सामान्य बजट पर चर्चा में व्यस्त होंगे।

श्री राम नाईक: उन्हें हमारे अधिकारों का हनन करने का अधिकार नहीं है। कम से कम हमारे अधिकार का ध्यान रखा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं उस बारे में जानता हूँ। मैं यह मानता हूँ। लेकिन इसकी अनुमति मैंने दी है। मैं सरकार से कहूंगा कि वह इसे शीघ्र परिचालित करें।

श्री राम नाईक: कम से कम उन्हें ऐसा करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: हाँ, उन्हें ऐसा कहना चाहिए।

श्री सुरेश प्रभु (राजापुर): अब किसी खास उद्देश्य के बिना ही अध्यादेश जारी किये जाते हैं। चूंकि अध्यादेश को विधेयक द्वारा बदला जा रहा है इसलिए हम उन्हें ये सुविधायें उपलब्ध करा रहे हैं। चूंकि भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने संबंधी अध्यादेश काफी पहले जारी किया जा चुका है अत: सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है? *... (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: स्थायी समिति की सिफारिशों पर यह नया विधेयक लाया जा रहा है।

श्री सुरेश प्रभु: यह ठीक है। लेकिन जब अध्यादेश जारी किया गया था तो उसे जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। अब, चूंकि अध्यादेश जारी किया जा चुका है इसलिए हम कुछ बातों की अनदेखी कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: अध्यक्ष महोदय, आर्डिनेंस ईश्यू होने के बाद, टी.आर.ए.आई. कांस्टीट्यूट हो गई है और नौमिनेशन हो चुके हैं तथा यह एक रिप्लेसमेंट बिल है।

श्री सुरेश प्रभु: लेकिन इतनी जल्दी कैसे? *... (व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा को आप आश्वस्त कर सकते हैं। विधेयक को दो दिन पूर्व परिचालित किया जाना था। ऐसा नहीं किया गया। जब मेरे पास चिट्ठी आयी तब मैंने इसकी स्वीकृति दे दी।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, सरकार की ओर से मैं यही कहना चाहता हूँ कि श्री राम नाईक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। विधेयक को दो दिन पूर्व परिचालित किया जाना था लेकिन परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप क्षमा कर दें तथा माननीय मंत्री को विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दें। ... *(व्यवधान)*

मुझे यह देखना होगा कि क्या मुझे दूसरे दौर में भी ऐसी ही स्थिति का सामना करना होगा ... *(व्यवधान)* मुझे कार्यालय द्वारा सूचित किया गया था कि इसे दो दिन पूर्व परिचालित किया गया था।

श्री राम नाईक: अध्यक्ष महोदय, आपका तथा दो माननीय मंत्रियों का भी कहना है कि अब ऐसा नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय: सामान्यत: ऐसा दुबारा नहीं होना चाहिए।

... (व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम: मुझे नहीं लगता मैं उसी गलती के लिए दोषी हूँ *(व्यवधान)* मैं समझता हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन मेरा अनुरोध है कि इसे माफ कर दिया जाना चाहिए और उन्हें स्वीकृति दी जानी चाहिए ... *(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम): महोदय, ऐसे मामलों में हमने देखा है कि वित्त मंत्री स्थायी समिति की उपेक्षा कर अध्यादेश पुर:स्थापित करते हैं। लेकिन इस विशेष मामले में ऐसा नहीं है क्योंकि इस बीच उन्होंने कार्यवाही की और कल विधेयक वापस ले लिया गया। इस मामले में ऐसी बात लागू नहीं होती। लेकिन वित्त मंत्री के मामले में ऐसा अपवाद ...

श्री पी. चिदम्बरम : जब हम आयेंगे तब हम इस पर विचार करेंगे... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

> "कि भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने और उससे संबंधित आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री चिदम्बरम्, आपकी सारी दिक्कतें समाप्त हो गयी।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

पूर्वाह्न 11.22 बजे

[अनुवाद]

भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक, 1997**

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

> "कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम्: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित*** करता हूँ।

पूर्वाह्न 11.23 बजे

[अनुवाद]

भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1997 द्वारा शीघ्र विधान बनाये जाने वाले कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1657/97]

पूर्वाह्न 11.24 बजे

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश बजट, 1997-98—सामान्य चर्चा

@लेखानुदानों की मांगें (उत्तर प्रदेश), 1997-98

@अनुपूरक अनुदानों की मांगें (उत्तर प्रदेश), 1996-97—(जारी)

अध्यक्ष महोदय: हम सभी इस बात से सहमत हैं कि इन मुद्दों के लिए हमारे पास बहुत कम समय है। मेरे पास सूची

**भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 15.3.1997 में प्रकाशित।

***राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

@राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[अध्यक्ष महोदय]

काफी लम्बी है। अतः, मैं सभी माननीय सदस्यों को इसमें शामिल नहीं कर सकता।

... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने केवल दो घंटे का समय निर्धारित किया है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि उत्तर प्रदेश की समस्यायें कई प्रकार से बहुआयामी हैं। इसलिए, इस पर कृपा कर के समय बढ़ाने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री सत्यदेव सिंह, कृपया एक मिनट रुकिए। मैं कुछ कहना भूल गया हूँ।

सभा, सबसे पहले अब, उत्तर प्रदेश राज्य के बजट, 1997-98 पर चर्चा करेगी, तत्पश्चात वर्ष 1997-98 के लिए लेखानुदानों की मांगें (उत्तर प्रदेश) तथा बाद में वर्ष 1996-97 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (उत्तर प्रदेश) पर चर्चा करेगी।

माननीय सदस्यगण, जो सभा में उपस्थित हैं और जिनका लेखानुदानों की मांगों संबंधी कटौती प्रस्ताव परिचालित किया गया है, वे यदि अपने कटौती प्रस्तावों को पेश करना चाहते हैं तो वे अपने कटौती प्रस्तावों की क्रमांक संख्या, जिसे वे पेश करना चाहते हैं, को दर्शाते हुए 15 मिनट के अंदर सभा पटल पर पर्ची भेज दें। वे ही कटौती प्रस्ताव पेश किये गये समझे जाएंगे।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 28, 30 से 82 और 84 से 95 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए या के संबंध में, कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूँजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1997-98 के लिए लेखानुदानों की मांगें (उत्तर प्रदेश)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत लेखानुदान की मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1.	आबकारी विभाग	9,07,80,000	–
2.	आवास विभाग	13,52,17,000	49,09,38,000
3.	उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)	25,10,000	31,44,000
4.	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	3,26,09,000	2,50,00,000
5.	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	24,51,05,000	2,000
6.	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	21,95,90,000	3,31,30,000
7.	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	1,000	6,00,01,000
8.	उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)	21,53,40,000	–
9.	ऊर्जा विभाग	2,69,92,000	496,96,15,000
10.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)	29,70,70,000	2,20,00,000

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
11.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	265,13,38,000	34,01,73,000
12.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास)	34,29,02,000	25,00,000
13.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	623,15,22,000	12,14,90,000
14.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	195,01,61,000	13,78,000
15.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	77,06,70,000	1,52,73,000
16.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	7,41,03,000	5,26,18,000
17.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	8,29,54,000	4,00,000
18.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	15,83,17,000	276,25,35,000
19.	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	2,09,19,000	–
20.	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	72,49,000	–
21.	खाद्य तथा रसद विभाग	39,37,35,000	935,41,00,000
22.	खेल विभाग	6,38,78,000	3,75,55,000
23.	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	26,33,27,000	–
24.	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	13,81,44,000	81,37,51,000
25.	गृह विभाग (कारागार)	43,86,90,000	10,12,30,000
26.	गृह विभाग (पुलिस)	949,78,04,000	26,82,15,000
27.	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	56,18,15,000	28,70,000
28.	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	20,97,82,000	–
30.	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	44,40,000	–
31.	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	61,28,90,000	5,01,000
32.	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	301,34,23,000	11,98,35,000
33.	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	48,78,31,000	1,000
34.	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	16,08,25,000	1,50,01,000
35.	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	129,38,68,000	1,000
36.	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	128,86,26,000	23,55,000
37.	नगर विकास विभाग	316,29,26,000	30,25,12,000

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
38.	नागरिक उड्डयन विभाग	4,62,63,000	5,00,00,000
39.	भाषा विभाग	1,79,71,000	–
40.	नियोजन विभाग	40,98,29,000	30,00,02,000
41.	निर्वाचन विभाग	75,26,29,000	–
42.	न्याय विभाग	78,25,76,000	15,50,00,000
43.	परिवहन विभाग	10,33,12,000	15,01,000
44.	पर्यटन विभाग	4,54,88,000	10,81,65,000
45.	पर्यावरण विभाग	51,99,58,000	2,50,000
46.	प्रशासनिक सुधार विभाग	44,07,000	–
47.	प्राविधिक शिक्षा विभाग	53,06,65,000	2,47,95,000
48.	मुस्लिम वक्फ विभाग	53,71,77,000	45,00,000
49.	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	86,39,13,000	45,06,000
50.	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	56,45,76,000	11,49,45,000
51.	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत)	64,08,45,000	70,62,000
52.	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	226,05,94,000	26,31,000
53.	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	1,95,000	–
54.	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	151,10,52,000	–
55.	लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	4,83,97,000	7,13,82,000
56.	लोक निर्माण विभाग (आवासीय भवन)	4,40,13,000	10,17,95,000
57.	लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	–	6,84,33,000
58.	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)	162,02,41,000	375,17,79,000
59.	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	11,52,02,000	4,25,54,000
60.	वन विभाग	71,23,93,000	3,41,000
61.	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	250,55,84,000	19,35,00,000
62.	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	648,13,69,000	–

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
63.	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	17,94,02,000	1,06,17,000
64.	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	2,15,23,000	–
65.	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	27,65,90,000	68,38,000
66.	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	26,90,000	–
67.	विधान परिषद् सचिवालय	2,59,51,000	–
68.	विधान सभा सचिवालय	6,81,79,000	–
69.	विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)	–	1,07,50,000
70.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	12,79,37,000	–
71.	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	1562,59,18,000	41,75,000
72.	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	914,22,96,000	3,85,13,000
73.	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	220,35,36,000	4,66,51,000
74.	शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा)	13,95,42,000	–
75.	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	30,71,16,000	–
76.	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	27,26,64,000	–
77.	श्रम विभाग (सेवायोजन)	34,43,62,000	94,59,000
78.	सचिवालय प्रशासन विभाग	37,89,80,000	–
79.	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण)	62,06,03,000	52,000
80.	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण)	213,59,78,000	5,35,68,000
81.	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	3,41,62,000	1,09,60,000
82.	सतर्कता विभाग	3,80,87,000	–
84.	सामान्य प्रशासन विभाग	9,46,000	–
85.	सार्वजनिक उद्यम विभाग	47,17,000	–
86.	सूचना विभाग	14,62,14,000	–
87.	सैनिक कल्याण विभाग	6,84,68,000	–

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
88.	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	43,94,000	14,95,61,000
89.	संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)	57,39,40,000	20,01,000
90.	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	2,20,51,000	–
91.	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	8,57,87,000	1,000
92.	सांस्कृतिक कार्य विभाग	5,78,80,000	20,00,000
93.	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	251,93,56,000	58,95,26,000
94.	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	570,70,71,000	482,87,65,000
95.	उत्तराखंड विकास विभाग	218,16,71,000	109,24,84,000

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1, 2, 4 से 7, 9 से 18, 20 से 28, 30 से 35, 37 से 45, 47, 49, 50, 52, 53, 55 से 60, 63, 65, 68, 70 से 78, 80, 84 से 87, 89, 92, 94 और 95 के सामने दिखाये गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी अनुपूरक राशियों से अनधिक संबंधित राशियां उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1996–97 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (उत्तर प्रदेश)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांगों की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1.	आबकारी विभाग	47,76,000	–
2.	आवास विभाग	12,28,12,000	44,89,00,000
4.	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	6,45,000	–
5.	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	12,90,99,000	–
6.	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	4,03,40,000	2,02,10,000
7.	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	1,11,59,000	56,40,53,000
9.	ऊर्जा विभाग	21,28,000	61,000

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
10.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)	48,70,000	–
11.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	4,76,63,000	14,91,77,000
12.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास)	13,29,36,000	78,90,000
13.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	1,88,33,47,000	–
14.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	3,77,12,000	–
15.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	64,39,000	74,66,000
16.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	3,60,82,000	4,38,46,000
17.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	56,00,000	–
18.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	63,88,000	28,17,000
20.	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	12,33,000	–
21.	खाद्य तथा रसद विभाग	2,26,97,000	–
22.	खेल विभाग	33,20,000	6,04,23,000
23.	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	2,46,64,000	1,52,57,000
24.	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	–	5,60,00,000
25.	गृह विभाग (कारागार)	5,08,98,000	10,00,00,000
26.	गृह विभाग (पुलिस)	2,07,09,000	51,32,66,000
27.	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	5,47,000	–
28.	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	82,00,000	–
30.	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अधिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	5,00,000	–
31.	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	5,18,50,000	22,00,000
32.	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	19,68,000	2,40,75,000
33.	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	8,66,79,000	–
34.	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	1,71,40,000	–
35.	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	17,94,000	–
37.	नगर विकास विभाग	47,06,88,000	19,01,00,000
38.	नागरिक उड्डयन विभाग	41,74,000	2,15,18,000
39.	भाषा विभाग	51,00,000	–

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
40.	नियोजन विभाग	61,36,000	20,00,00,000
41.	निर्वाचन विभाग	37,33,000	–
42.	न्याय विभाग	6,09,20,000	18,34,02,000
43.	परिवहन विभाग	15,84,000	11,40,00,000
44.	पर्यटन विभाग	–	3,58,51,000
45.	पर्यावरण विभाग	40,44,000	–
47.	प्राविधिक शिक्षा विभाग	1,56,00,000	1,00,00,000
49.	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	1,91,33,000	8,82,000
50.	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	3,24,73,000	11,18,32,000
52.	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	16,27,000	–
53.	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	53,70,000	–
55.	लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	50,83,000	50,26,000
56.	लोक निर्माण विभाग (आवासीय भवन)	48,01,000	10,09,000
57.	लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	–	41,56,000
58.	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)	–	13,00,00,000
59.	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	6,45,56,000	8,96,18,000
60.	वन विभाग	1,60,17,000	–
63.	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	1,00,000	–
65.	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	2,38,41,000	–
68.	विधान सभा सचिवालय	1,000	–
70.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	1,25,00,000	–
71.	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	76,75,000	–
72.	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	79,93,000	45,00,000
73.	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	17,82,51,000	35,00,000
74.	शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा)	2,84,26,000	–
75.	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	1,26,50,000	–
76.	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	1,39,53,000	–

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
77.	श्रम विभाग (सेवायोजन)	22,03,000	–
78.	सचिवालय प्रशासन विभाग	2,01,97,000	–
80.	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण)	7,29,40,000	1,06,82,000
84.	सामान्य प्रशासन विभाग	14,00,000	–
85.	सार्वजनिक उद्यम विभाग	25,00,000	–
86.	सूचना विभाग	3,67,55,000	–
87.	सैनिक कल्याण विभाग	2,25,00,000	15,46,000
89.	संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)	50,000	18,27,54,000
92.	सांस्कृतिक कार्य विभाग	82,43,000	–
94.	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	2,50,000	40,00,000
95.	उत्तराखंड विकास विभाग	17,23,12,000	10,52,17,000

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह: धन्यवाद अध्यक्ष जी। उत्तर प्रदेश में तेरहवीं विधान सभा के चुनाव के बाद भी आज हमारे सदन में माननीय वित्त मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए दुबारा बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। अभी पिछले ही दिनों इसी सदन में उत्तर प्रदेश के लिए पुन: राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की गई है। भारतीय जनता पार्टी के संवैधानिक विरोध के बावजूद भी इस सदन में उसकी स्वीकृति हो चुकी है और आज फिर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के लिए इस सदन में कामकाज चलाने के लिए बजट प्रस्तुत किया गया है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में आज राष्ट्रपति शासन लागू करने के कारण, जिसकी न तो कोई आवश्यकता है, न जिसके कोई नैतिक कारण हैं, न कोई औचित्य है, परिणाम यह है कि इस सदन को उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश के लिए बजट नहीं, बल्कि कामकाज चलाऊ बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश में विकास ठप्प है। परिणाम यह है कि अगर विकास ठप्प होगा, तो विनाश जारी रहेगा। बेरोजगारी बढ़ रही है। समस्याएं बढ़ रही हैं और गरीबी और गरीब में अन्तर बढ़ता जा रहा है। जंगल का राज्य हो चुका है। यह कोई मैं नहीं कह रहा हूं। इस पर भी सदन में चर्चा होने वाली है। भारत के एक बड़े जिम्मेदार व्यक्ति, जो सीधे हमारे उत्तर प्रदेश से राष्ट्रपति शासन होने के नाते सम्बद्ध हैं, जिनकी देखरेख में वहां का दैनिक कार्य चल रहा है और जिनकी स्वीकारोक्ति के बाद, सत्य की स्वीकारोक्ति के बाद, इतनी बेचैनी पूरे यूनाइटेड फ्रंट में आज है। कांग्रेस में भी है क्योंकि वह उनका समर्थन कर रहे हैं। मैं इस विषय पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि आपने बड़ी कृपा करके नियम 184 में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के ऊपर उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था के बारे में, सदन में चर्चा कराना स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैं कुछ बिन्दुओं पर अवश्य प्रकाश डालना चाहता हूं।

मान्यवर, अभी उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा, महामहिम राज्यपाल के निर्देश पर एक पुस्तिका तैयार करके उत्तर प्रदेश के विकास के संबंध और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के संबंध में सरकुलेट की गई है। मैं कहना चाहता हूं कि 19 जुलाई 1996 को वर्तमान राज्यपाल महोदय ने पदभार ग्रहण किया था और तब से लेकर आज तक आठ हजार से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। जब से इस सदन में उनके गुणों की, उनकी मर्यादाओं की, उनके कार्यकलापों की चर्चा हो रही है तब से पिछले 10-12 दिनों के अंदर 200 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। एक जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में इतनी हत्याएं हो चुकी हैं और ये मेरे आंकड़े नहीं हैं बल्कि सरकार के आंकड़े हैं। ये वे आंकड़े हैं जो वहां के गृह सचिव महोदय ने और डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस ने और राज्यपाल महोदय के सलाहकारों ने मिलकर तैयार किये हैं कि एक जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक 927 हत्याएं हो चुकी हैं। यह उत्तर प्रदेश का हाल है। इसके कारण वहां का विकास ठप्प हो गया है।

[श्री सत्यदेव सिंह]

यदि कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी, तो विकास नहीं होगा। उत्पादन नहीं बढ़ेगा। औद्योगीकरण नहीं होगा। कृषि की समस्याएं हल नहीं होंगी, तो परिणामस्वरूप बेरोजगारी बढ़ेगी।

नौजवान बेरोजगार होंगे। भविष्य अंधकारमय होगा और कानून और व्यवस्था ठप्प होगी। आज यही परिणाम वहां पर निकल रहा है।

माननीय वित्त मंत्री जी के पिछले बजट भाषण, यह उनका दूसरा बजट भाषण होगा जो उन्होंने उत्तर प्रदेश की चर्चा के बारे में 18 दिसम्बर, 1996 को इस सदन में दिया था, मैं इनकी भावनाओं से अपने को जोड़ता हूं। इसलिए जोड़ता हूं कि इस बात का हमारा बार-बार आग्रह रहा है कि जब उत्तर प्रदेश में चुने हुए जन-प्रतिनिधि हैं तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे की समस्या केन्द्र में बैठकर आप हल नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश के जन-प्रतिनिधियों की अपनी समस्याओं को हल करने का अधिकार मिलना चाहिए और माननीय वित्त मंत्री ने क्या कहा था? उन्होंने जो कहा था उसको मैं कोट करना चाहता हूं:

[अनुवाद]

> "महोदय, ऐसा कहीं नहीं होता कि बजट उत्तर प्रदेश का बनाया जाए और व्यय और महत्वपूर्ण मामलों पर निगरानी दिल्ली से रखी जाए। ऐसा कभी नहीं होता कि उत्तर प्रदेश के लोगों की विशेष आवश्यकताओं को भारत सरकार पूरा करती हो। मैं एक अपरिहार्य कार्य कर रहा हूं जो कि उत्तर-प्रदेश की जनता द्वारा किसी एक पार्टी को वोट न देकर बल्कि वोटों में विभाजन और विभिन्न पार्टियों के एकजुट न हो पाने अथवा एक पार्टी की सरकार बनाने में असमर्थता के कारण अपरिहार्य बन गया है। कुछ दिन पहले ही सभा में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी।"

[हिन्दी]

6 महीने के बाद उन्हीं परिस्थितियों में मंत्री जी, पुन: बजट ला रहे हैं और कल राष्ट्रपति शासन का आपके द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है। यह आपकी त्रासदी का भी बयान कराता है और अपनी नीयत को भी दर्शाता है। आप यह स्वीकार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की बड़ी समस्याओं को, उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की चिन्ताओं को, उत्तर प्रदेश की जनता की सामान्य समस्याओं को, केन्द्र में बैठकर हम हल नहीं कर सकते। एक तरफ यह कहते हैं और दूसरी तरफ बैठे हुए तमाम दल और विशेष रूप से हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के सम्मानित सदस्य जिनकी जिंदगी धारा 356 का विरोध करते हुए खप गयी और अब राजनीतिक जीवन में वृद्धावस्था में प्राप्त हो गये और अंत समय क्या दशा हो गयी।

माननीय आचार्य जी, आप वही काम कर रहे हैं जिसका आप विरोध करते हैं। आज परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश की 14 करोड़ जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी से आप नहीं बच सकते हैं। जो गतिरोध वहां उत्पन्न है उसकी सीधी जिम्मेदारी कांग्रेस के हमारे मित्रों पर और उससे ज्यादा आप पर आती है क्योंकि आपने लगातार 356 का विरोध किया था। सबसे पहले केरल की सरकार का आपको स्वाद मिला। लगता है कि आप वह स्वाद भूल गये हैं। सत्ता की मिठाई आपको बड़ी चाशनीदार लग रही है। धीरे-धीरे उस पर भी आप आयेंगे और जब यह हथौड़ा आप पर चलेगा तब आपको पता चलेगा कि 356 कैसे होता है।

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की 13वीं विधान सभा के चुनाव पिछले अक्तूबर में हुए थे। उस चुनाव से पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री देवेगौड़ा जी ने उत्तर प्रदेश की बहुत यात्रायें की। किसी भी प्रधानमंत्री ने आजादी के बाद इतने कम समय में उत्तर प्रदेश के ऊपर इतने दौरे नहीं किये। घोषणा करते रहे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन पर गहरा असंतोष जाहिर किया। उन्होंने यह जाहिर किया कि पिछड़ेपन को बिना दूर किये काम नहीं चलने वाला है और मैं इस समस्या से जूझूंगा और इसको ठीक करूंगा।

वित्त मंत्री जी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन सिर्फ उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं तक या उत्तर प्रदेश की जनता तक ही सीमित नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश पिछड़ा रहेगा तो आर्थिक दृष्टि से प्रगति नहीं कर पायेगा। पूरे भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा। आप उत्तर प्रदेश को अलग करके देश को सुखी और समृद्ध नहीं बना सकते। उत्तर प्रदेश की समस्याओं को नजरअंदाज करके देश की उन्नति नहीं कर सकते। कितने भी ग्लोबलाईजेशन हो जाये या लिबरेलाईजेशन हो जाये, परिणाम अच्छा नहीं आने वाला है।

आज उत्तर प्रदेश में भारत की जनता का सर्वाधिक भार उत्तर प्रदेश में है। 16.4 प्रतिशत जनसंख्या इस प्रदेश में रहती है। दूसरी बात यह है कि पूरे देश की आबादी के बढ़ने की गति का औसत 2.13 प्रतिशत है और उत्तर प्रदेश की यह औसत 2.29 प्रतिशत वार्षिक है। यह जनसंख्या, लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या, सुरसा के मुंह की तरह ये बढ़ती हुई जनसंख्या, प्रदेश की प्रगति के आयाम को लील रही है।

इस पर भी कोई उपाय, इसके लिए भी कोई धनराशि का प्रयोजन, कोई ईमानदारी से प्रयास नहीं हो रहा है। भारत सरकार की सीधे जिम्मेदारी आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन होने के नाते है, उनकी तरफ से नहीं किया जा रहा है।

पिछड़ापन हमारा कितना बढ़ा है। प्रचलित भावों के आधार पर आजादी से पहले उत्तर प्रदेश की औसत व्यक्ति की आय इस देश में सबसे ज्यादा थी, लेकिन सन् 1950-91 में हमारे उत्तर प्रदेश की आय

क्या रह गई, 259 रुपये, जबकि देश की राष्ट्रीय आय थी 267 रुपये और आज 1994-95 तक पहुंचते-पहुंचते उत्तर प्रदेश की औसत आय 5331 रुपये और पूरे देश की आय 8337 रुपये प्रति व्यक्ति है। आज 35.3 प्रतिशत गैप राष्ट्रीय आय और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की आय के बीच में है। यह स्थिति चिन्ताजनक है और मैं समझता हूं कि हमारे माननीय वित्त मंत्री जी योग्य हैं और उत्तर प्रदेश की इस परिस्थिति में, जो आर्थिक स्थिति हमारी वहां उत्तर प्रदेश के अन्दर है, इस पर उनका जरूर ध्यान गया होगा। यह अलग बात है कि वह इसके लिए कितना कर पाते हैं, कितना नहीं करते हैं।

अगर आप उत्तर प्रदेश को जो देश की आबादी का 1/6वां हिस्सा अपनी सीमाओं में रखता है, अगर उसकी आर्थिक स्थिति को आप आगे नहीं बढ़ाते हैं तो इससे घरेलू बजट भी प्रभावित होता है। क्या कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में यह हालत हो गई है। वहां प्राकृतिक सम्पदा है, उर्वरा जमीन है, योग्य वैज्ञानिक पैदा हुए हैं, टेलेन्टेड लोग हैं, अच्छे राजनीतिज्ञ भी देश को उत्तर प्रदेश ने दिये हैं, प्रधानमंत्रियों की तो श्रृंखला ही दे डाली है, फिर भी क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश आज इतना पीछे जा रहा है।

कल माननीय अटल जी ने यहां पर अपने बजट भाषण में इस बात को कहा था कि जब तक प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार नहीं होगा, भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगेगी, कोई भी आर्थिक नीतियां सफल नहीं होंगी। उन्होंने स्वर्गीय राजीव गांधी जी को कोट करते हुए कहा था कि दिल्ली से जो एक रुपया भेजा जाता है, जहां उसको लगना होता है, वहां पहुंचते-पहुंचते वह 16 पैसे हो जाता है।

मैं उत्तर प्रदेश के प्लानिंग सैक्रेटरी को कोट करना चाहता हूं, उन्होंने भी इसी के संबंध में कहा है। वे क्या कहते हैं:

[अनुवाद]

"सरकार की व्यवस्था विकासोन्मुखी वातावरण में अपनी भूमिका और जिम्मेदारियां निभाने में दूर-व्यापी परिवर्तनों को लाने के लिए मांगों के अनुकूल नहीं है। साधारणत: आयोजना और विकास की इस लम्बी अवधि के दौरान सरकार के कार्यकरण में परिवर्तन आया है। यद्यपि सरकार के कार्यकरण में अत्यधिक परिवर्तन आया है तथापि कार्यों को पूरा करने और ऐसे निर्णयों को लेने में सक्षमता की परवाह किए बिना सरकार के निर्णय लेने में अनेक अड़चने हैं। परिणामत: विलम्ब तो होता ही है, इसके अतिरिक्त इन अड़चनों के कारण अनेक कार्य दोबारा-दोबारा किये जाते हैं। सरकार की कार्यों में पुनरावृत्ति की इस प्रणाली ने सम्पूर्ण विकास कार्य में रुकावट डाली है और इसकी पुनरीक्षा करने से पूर्व अच्छा होगा कि इन्हें राज्य पर छोड़ दिया जाए।"

[हिन्दी]

माननीय मंत्री जी, इस कोटेशन को देते समय वहां के प्लानिंग सेक्रेटरी का यह आग्रह है कि सरकारी तंत्र के अन्दर गुणात्मक परिवर्तन किये जायें। आज जो वर्तमान इकोनोमिक वातावरण है, उसके लिए आवश्यक है कि इस तंत्र को भी उसके अनुरूप ढाला जा सके। लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ लगातार इस केन्द्र सरकार ने कैसा व्यवहार किया है। आज जब केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश का बजट चौथी बार दे रही है। लगभग पिछले दो वर्षों से वहां पर राष्ट्रपति शासन है और बार-बार उत्तर प्रदेश के बजट केन्द्रीय पार्लियामेंट में आ रहे हैं। इसका परिणाम क्या हो रहा है, परिणाम यह हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के साथ जो व्यवहार है, जरा उसका हाल देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में फस्ट्र फाइव ईयर प्लान में जो औद्योगीकरण का मामला है, उत्तर प्रदेश के औद्योगीकरण की आज क्या स्थिति है, उसके बारे में मैं आपका ध्यान मंत्री महोदय लाना चाहता हूं कि जरा आप भी इस पर ध्यान दें।

[अनुवाद]

पांच वर्षीय योजनाओं में सरकारी क्षेत्र परिव्यय,

[हिन्दी]

फर्स्ट फाइव ईयर प्लान 1951-56 में उत्तर प्रदेश का पब्लिक सैक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है, वह 166 करोड़ रुपये है।

आल इंडिया का कंट्रीब्यूशन 2,378 करोड़ रुपये था जो कि सात प्रतिशत है, जबकि आबादी का प्रतिशत 16.4 है। केन्द्र की हिस्सेदारी पब्लिक सेक्टर में सात प्रतिशत है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 5.1 प्रतिशत है और सातवीं पंचवर्षीय योजना में, 1985 से 1990, 11000 करोड़ रुपये पब्लिक सैक्टर के लिए रखे गये, जबकि एक लाख अस्सी हजार करोड़ रुपये पूरे देश के लिए थे और प्रतिशत 6.8 था। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 22005 करोड़ रुपये का प्रावधान था, इसमें पूरे देश का प्रावधान चार लाख चौंतीस हजार एक सौ करोड़ था जो उ.प्र. के लिए 5.1 प्रतिशत है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ापन इतना है। उत्तर प्रदेश में योजना के साथ, धन आबंटन के साथ लगातार जानबूझकर बेइमानियां की जा रही हैं। प्लानिंग एलोकेशन में भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा सबसे नीचे जा रहा है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश लगातार पीछे चला जा रहा है।

उत्तर प्रदेश कृषि के लिए सबसे बड़ा प्रदेश है। देश में खाद्यान्नों का 20 प्रतिशत उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। प्रधान मंत्री जी कानपुर में गए थे और वहां की जनसभा में जो उन्होंने कहा था, वह मैं कोट करना चाहता हूं। प्रधान मंत्री जी बार-बार अपने को किसान का बेटा कहते हैं। मुझे खुशी है स्वर्गीय चरण सिंह के बाद देश का दूसरा किसान का बेटा प्रधान मंत्री है और उनको देश के किसानों की चिंता है। उन्होंने कहा था:-

[अनुवाद]

मुझे किसानों की चिंता है और उनके कल्याण के लिए मैं निरन्तर लड़ता रहूंगा। कृषक मेरे परिवार के सदस्य हैं।

[श्री सत्यदेव सिंह]

[हिन्दी]

आज इन फैमिली मेम्बर्स की उत्तर प्रदेश में क्या दशा है? आज उत्तर प्रदेश के अंदर 73 प्रतिशत से ज्यादा होल्डिंग एक हेक्टेयर से कम है। खाद्यान्नों में मुख्य उत्पादन गन्ना और तिलहन हैं। हमारी उत्पादकता कैसी है, यह मैं सरकारी आंकड़े देकर बताना चाहता हूं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, हमारे पास आंकड़े जुटाने के लिए कोई साधन नहीं हैं। लेकिन सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं, यह बताना चाहता हूं। हमारी उत्पादकता क्या है। पहले मैं चावल की बात करता हूं। चावल प्रति हेक्टेयर 1994-95 के हिसाब से 18.67 प्रतिशत है और अखिल भारतीय औसत 19.21 प्रतिशत है। पंजाब में 23.38 प्रतिशत है, तमिलनाडू की 32 प्रतिशत है, यानि उत्तर प्रदेश इन तमाम राज्यों में सबसे पीछे है। गेहूं का उत्पादन भी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वहां 25.8 प्रतिशत है, पंजाब का 40.90 प्रतिशत है, हरियाणा का 36.77 प्रतिशत है, गुजरात का 27.23 प्रतिशत है। गन्ना उत्तर प्रदेश के किसानों की रीढ़ है। गन्ना मूल्य चीनी मिलों पर तो बकाया है ही, लेकिन ज्यादा उत्पादन भी गन्ना ही है। सबसे ज्यादा बकाया भी वहां इसी का है। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अखिल भारतीय औसत 721 क्विंटल है। महाराष्ट्र में 855 क्विंटल है, कर्नाटक में 962 क्विंटल है, गुजरात में भी 997 क्विंटल है, जबकि उत्तर प्रदेश 600 क्विंटल तक ही रुका हुआ है। उसका कारण यह है कि न हमें पानी मिल रहा है, न बिजली मिल रही है और न ही खाद मिल रही है। इन योजनाओं के लिए कोई पैसा आपकी तरफ से नहीं जा रहा है। आप यहां जो बार-बार उत्तर प्रदेश का बजट प्रस्तुत करते हैं, उसमें भी आपका कोई ध्यान नहीं जाता। सिर्फ कामचलाऊ बजट आता है। बिना खाद के, बिना पानी के और बिना इंफ्रास्ट्रक्चरल सुविधाओं के कृषि उत्पादन कैसे बढ़ सकता है। दुनिया के देशों की बात नहीं करता, लेकिन अपने देश में उत्तर प्रदेश इसलिए नहीं पिछड़ा है कि वहां वैज्ञानिक क्षमता का अभाव है या किसान मेहनती नहीं है, या ईमानदारी से काम नहीं करता, परिणाम नीचे इसलिए है कि हमको सरकार की तरफ से मौलिक सुविधाएं जो उपलब्ध होनी चाहिए, उनसे वंचित रखा जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में खाद का एक कारखाना बंद पड़ा है। प्रधान मंत्री जी ने गोरखपुर खाद कारखाने को चालू करने की बात कही थी और गोरखपुर फर्टिलाइजर खाद कार्पोरेशन के लिए 750 करोड़ रुपये देने को कहा था। उनके निर्देश पर यहां से फर्टिलाइजर सेक्रेटरी गए। उन्होंने कहा कि इस प्लांट को हटाकर नेफ्ता बेस्ड नया प्लांट लगायेंगे।

अध्यक्ष महोदय: समाप्त करें, इस पर पूरा समय दो घंटे है।

श्री सत्यदेव सिंह: मैं अपनी पार्टी की तरफ से पहला सदस्य हूं जो बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश की समस्या सिर्फ राजनीतिक ही नहीं है। .. *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: लेकिन आपके दल के लोगों की लम्बी सूची है। दल के अन्य सदस्यों को भी बोलना है।

... (व्यवधान)

श्री सत्यदेव सिंह: पहले मुझे अपनी बात पूरा करने दीजिए... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप चाहते हैं कि आपके दल का एक वक्ता ही बोले।

... (व्यवधान)

श्री सत्यदेव सिंह: महोदय, प्रश्न एक वक्ता के बोलने का नहीं है। प्रश्न उत्तर प्रदेश की समस्याओं का है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के साथ राजनैतिक तथा आर्थिक दृष्टि से अत्याचार किया जा रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश के सांसदों को आपके माध्यम से यहां अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। आखिर जब सदन में इसका फैसला हो रहा है, सदन में उत्तर प्रदेश के राजनैतिक तथा आर्थिक फैसले लिये जा रहे हैं, हमारे जो वित्त मंत्री हैं, वे यह सब कर रहे हैं तो आखिर क्या हमें अपनी बात रखने की भी अनुमति नहीं देंगे? यह तो उत्तर प्रदेश के साथ बड़ा अत्याचार होगा।

गोरखपुर में फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन के नए प्लांट लगाने की बात हो रही है। वित्त मंत्री जी आप अपने पुराने भाषण को पढ़िए जिसमें आपने कहा था कि फर्टिलाइजर्स सेक्रेटरी गए हैं और सीधे हम इस पर निर्णय लेंगे। छः महीने में दुबारा राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जितनी आपने शीघ्रता की है, क्या फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन के लिए आप इस बजट में कोई प्रावधान कर रहे हैं? सबसे ज्यादा पिछड़े हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए क्या आप इस फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन की फैक्टरी को दुबारा चालू करने जा रहे हैं? यदि करेंगे तो कब तक चालू करेंगे? अगर आप नहीं करेंगे तो खाद की जो स्थिति उत्तर प्रदेश में है, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आखिर खाद का कंजम्पशन क्या है? खाद की खपत कितनी है? खाद का उत्पादन कैसे बढ़ेगा? उत्तर प्रदेश में किलो और प्रति हेक्टेयर कितने किलो खाद का प्रयोग हो रहा है? यह 99.6 है। पंजाब में 114, हरियाणा में 126 तथा आन्ध्र प्रदेश में 126 है। उत्तर प्रदेश में खाद के कारखाने बंद होंगे। उत्तर प्रदेश के बाहर देश के अंदर जो उत्पादन हो रहा है, उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के किसान कहां से तरक्की करेंगे? वहां पर अगाध गरीबी है। अगर उत्तर प्रदेश की गरीबी दूर नहीं होगी तो देश आबाद नहीं हो सकता। दूसरा प्रश्न सिंचाई का है।

सरजू और शारदा परियोजना पिछले दस साल से धूल खा रही है। बार-बार माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपनी घोषणा में इस बात को कहा था कि इस परियोजना के लिए मैं आपको 50 करोड़ रुपये मुहैया कराऊंगा। क्या आप इसके लिए इस बजट में कोई धन उपलब्ध करा रहे हैं?

उत्तर प्रदेश में नलकूपों की स्थिति अत्यंत खराब है। 63 प्रतिशत से ज्यादा सिंचाई उत्तर प्रदेश के नलकूपों से होती है। अगर सिंचाई नहीं होगी तो गन्ना, ऑयलसीड तथा खाद्यान्नों का उत्पादन कम होगा। आज आधे से ज्यादा बल्कि पूरे के पूरे नलकूप खराब पड़े हुए हैं। उसके लिए उत्तर प्रदेश शासन के पास कोई पैसा नहीं है। डी.आर.डी.ए. में जिला विकास योजनाओं के संबंध में जब बैठक होती है तो सांसदों, विधायकों के द्वारा बार-बार उस योजना में पैसा बढ़ाने की बात की जाती है। उत्तर प्रदेश शासन कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। केन्द्र सरकार पैसा दे तो उत्तर प्रदेश का काम चलेगा।

आज बिजली की उत्पादकता हमारे यहां कितनी है? आज मुझे यह बताने में बड़ा दुख होता है कि उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन के कारखाने नहीं हैं। वहां का प्लांट लो फैक्टर इस देश में सबसे नीचे हैं। आज हमारी स्थापित उत्पादन क्षमता 6075 मेगावाट है जो पूरे देश का 7.5 प्रतिशत है। 1/6 था और बिजली उत्पादन में हिस्सेदारी साढ़े सात प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश का काम कैसे चलेगा? आयोग के द्वारा सर्वे हुआ है कि उत्तर प्रदेश का हाईड्रो-इलैक्ट्रिक पोटेंशियल 9744 मिलियन मेगावाट है। 1505 मेगावाट उत्पादन हो रहा है। इसकी क्षमता का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? आज अगर आप हाईड्रो-जनरेशन करेंगे, ठीक है कि हो सकता है कि कई जगह एनवायरनमेंट फ्रेंडली न हो। लेकिन जब एक जगह हाईड्रो बन जाता है, सिंचाई के साधन उपलब्ध होते हैं और बिजली पैदा होती है। उत्तर प्रदेश में आज हाईड्रो-जनरेशन लगभग नगण्य है।

ट्रांसमिशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन नुकसान उत्तर प्रदेश की यू.पी.एस.ई.बी. का आज दो हजार करोड़ है और ट्रांसमिशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज सन् 1990 और 1993 में तीन वर्ष के कार्यकाल में 666 करोड़ का है। ट्रांसमिशन के लिए जो व्यवस्था हमें करनी चाहिए, तीस-तीस करोड़ के कैपीसेटर्स, इस ट्रांसमिशन लागत को हम नहीं कर पा रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने वादा किया था कि उत्तर प्रदेश के किसानों को दस रुपया प्रति हॉर्स पॉवर सब्सिडी हम देंगे। 200 करोड़ रुपये का इस बजट में प्रावधान किया है। आप सब्सिडी दे दीजिए। बिजली का उत्पादन ऐसा है कि 6 घंटे भी उत्तर प्रदेश में बिजली उपलब्ध नहीं है।

रबी की सिंचाई हो रही है, बिजली गायब है। विद्यार्थियों के इम्तिहान हो रहे हैं, लेकिन बिजली गायब है। जनरेटर से सारा शहर जगमगा रहा है। डीजल पर बोझ पड़ रहा है। वातावरण खराब हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, लेकिन बिजली का उत्पादन बढ़ाने पर कोई प्रयास नहीं हो रहा है। मेरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा जिला है। मैं दसवीं लोक सभा में अनेक बार लोक सभा में मामला उठा चुका हूं। मैंने कई बार कहा है, शिवपुरा, श्रीदत्तगंज और गौराचौकी छोटे-छोटे क्षेत्र हैं, इनमें सब-स्टेशन बना दिये जायें, सिर्फ दो-ढाई करोड़ रुपये का खर्च है, लेकिन इसकी व्यवस्था केन्द्रीय सरकार नहीं कर पाई। राष्ट्रपति शासन में सब दरवाजे खटखटा डाले कि कम से कम उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उसमें गौंडा जनपद भी है और मेरा क्षेत्र बलरामपुर भी आता है, पैसा मांगते-मांगते परेशान हो गए, लेकिन दस करोड़ रुपये की व्यवस्था नहीं कर सके, तो उत्तर प्रदेश का विकास कैसे होगा।

शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य—ये प्रमुख आवश्यकतायें हैं, इसके लिए बजट में क्या प्रावधान है। पुलिस फोर्स के मॉड्रनाइजेशन के लिए 2200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की मांग की गई है। जब तक पुलिस को ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, तब तक उनकी सोच में गुणात्मक परिवर्तन नहीं होगा। उनको अच्छे उपकरण मुहैया नहीं होंगे, उनके रहने के लिए अच्छे मकान नहीं होंगे, उनके बच्चों की शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अच्छे विद्यालय नहीं होंगे, तो विकास कैसे होगा। लेकिन उनको अधिकार दे दिये गये हैं और पुलिस के अन्दर गुंडा राज कायम हो रहा है। वहां आम आदमियों का उत्पीड़न हो रहा है। आपके बजट में उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। उन्हें सोने के लिए जगह नहीं रहेगी, शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, रहने के लिए स्थान नहीं दिया जायेगा, तो उनकी मानसिकता में सुधार नहीं ला सकते हैं। इन सब बातों को करने के लिए उत्तर प्रदेश में धन की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश को उसका हिस्सा नहीं मिला है और अब उत्तर प्रदेश इस बात के लिए शान्त नहीं रहने वाला है। उत्तर प्रदेश को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। केन्द्रीय बजट में प्रावधान होना चाहिए। केन्द्रीय योजनाओं में होना चाहिए। विकास के लिए जो धन मिलना चाहिए, उसकी आपूर्ति आप करें। यही हम आपसे मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज ज्वालामुखी के कगार पर खड़ा हुआ है। इसको आप नजरअन्दाज मत करिए।

उत्तर प्रदेश की चालू योजनाओं में स्वास्थ्य, सड़क और सिंचाई के लिए छः हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है। लेकिन आपने छः पैसे की भी व्यवस्था नहीं की है। एडहॉक बजट नहीं बनाए जाते हैं। आपने कह दिया कि अनएवायडेबल सर्कम्सटांसेज हैं और आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आप बजट दे रहे हैं। देना है, इसलिए बजट ला रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश का विकास करना है, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के बारे में, भूखमरी के बारे में, अशिक्षा और अज्ञानता के बारे में आपको चिन्ता करनी है। साथ ही भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़नी है। लेकिन बजट में केन्द्रीय सरकार ने कहीं पर भी ध्यान नहीं दिया है।

[श्री सत्यदेव सिंह]

मेरा सौभाग्य है कि मेरे मित्र यादव जी सदन में उपस्थित हैं, वे पीडीएस के मंत्री हैं। पीडीएस सिस्टम में जितना पैसा दिया जाता है, तकावी दी जाती है, मैं पूछता हूं, उसका क्या हाल है और जिनके लिए बना है, क्या वहां तक पहुंचता है? आप यह नहीं कह सकते हैं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है और प्रदेश सरकार को मानिटरिंग करनी चाहिए। आज प्रदेश सरकार यहां बैठी है। आप प्रदेश की सरकार हैं। आपके मुखिया हैं, राज्यपाल। आपके मुखिया राज्यपाल की यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का गला घोंटे। उसकी जिम्मेदारी यह नहीं है कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि उत्तर प्रदेश की जनता के द्वारा बहुमत में जिसको मत मिला है, उस सरकार को न आने देने के लिए हर प्रकार के कुकृत्य करे। वे इसलिए मुखिया बनकर नहीं बैठे हैं, बल्कि यह भी दायित्व है, कम से कम उनका नहीं तो आपका नैतिक कर्तव्य है कि उत्तर प्रदेश के इकोनोमिक डवेलपमेंट में उत्तर प्रदेश में बाधा न पैदा की जाए। आधारभूत सुविधा जैसे पेयजल, इंडिया मार्क-॥ में आप करोड़ों रुपया दे रहे हैं। जितने हैंडपम्प लग रहे हैं, उनकी क्या हालत है। मेरा क्षेत्र तुलसीपुर नेपाल की तराई से लगा हुआ क्षेत्र है और साथ ही बलरामपुर और शिवपुरा है। वहां पर नल नहीं गाड़ सकते हैं, इसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। इन आधारभूत प्रारम्भिक सेवाओं के लिए, जिनमें शिक्षा है, चिकित्सा है, सड़क है, विद्यालय है, पेयजल है, अगर बराबर की स्थिति में भी आप चाहें, तो 16 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है। यह आप कुछ नहीं कर पायेंगे, आपके पास कुछ नहीं है। प्रधान मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के लिए पांच हजार करोड़ रुपये की घोषणा की है और साथ ही आपने जो कहा है, उसको मैं कोट करना चाहता हूं। आप अपनी घोषणायें कितनी सफाई से टालना चाहते हैं। आपने अपने भाषण के अंत में कहा था–

[अनुवाद]

> "इन वचनों को कार्यान्वित करने का एक बेहतर तरीका है। मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि उत्तर-प्रदेश के चुने हुए प्रतिनिधि एक जुट हो जाएं और एक सरकार बनाए।"

यहां आप एक जुट हुए हैं और एक सरकार कायम की है। उत्तर प्रदेश में आप ऐसा क्यों नहीं करते।

[हिन्दी]

यह आपकी इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए नोबल वर्क्स एंड सैंटिमेंट्स हैं लेकिन काम इसके उलटा। सरकार आप बनने नहीं देंगे और इस सदन के माध्यम से, टी.वी. तथा अखबार के माध्यम से ये भावनायें व्यक्त करेंगे कि वे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए मरे जा रहे हैं और आपका दुर्भाग्य है कि आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये बजट में काम चलाऊ व्यवस्था दे रहे हैं, ये किसी का भला नहीं करेंगे। यदि उत्तर प्रदेश की तरक्की नहीं होगी, आर्थिक विकास नहीं होगा तो यह देश भी आगे नहीं बढ़ पायेगा। इस बजट के अंदर न तो कोई नीयत है, न कोई सोच है और न ही कोई दिशा अथवा दर्शन है। उत्तर प्रदेश के मामले में यह बजट शून्य है। हालांकि आपको यह जिम्मेदारी दी गयी है लेकिन आप मजबूरी का निर्वहन कर रहे हैं क्योंकि आप वित्त मंत्री हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश का यह बजट रख रहे हैं; अब देखिये इनकी घोषणाओं का क्या होगा?

श्री कल्पनाथ राय (घोसी): क्या क्या घोषणायें की हैं?

श्री सत्यदेव सिंह: अभी तो घोषणायें अधूरी हैं लेकिन हमारे राज्यपाल घोषणायें करने के बहुत शौकीन हैं क्योंकि ये उत्तर प्रदेश को स्वर्ग और यहां रहने वालों को स्वर्गवासी बना देंगे। ये सब पन्ने पन्ने में छपा पड़ा है। उत्तर प्रदेश का कोई सब-मंडल नहीं रह गया जहां नहीं गये हों। इसमें इटावा का नाम नहीं। हमारे पूर्व सांसद सिने कलाकार वहां गये और गाया–'मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है।' तो इस प्रकार नाच गाना हुआ। इटावा में 'उत्तर प्रदेश राज्यपाल बचाओ अभियान' के तहत एक रैली हुई। उससे प्रसन्न होकर माननीय राज्यपाल महोदय ने करोड़ों रुपये की घोषणा इटावा के लिए कर दी। यह इटावा के लिए नहीं, उसके एक गांव सैफई के लिए की गई जहां भगवान की कृपा से जल्दी ही यह गाँव से बढ़कर तहसील, तहसील से बढ़कर जिला और जिला से बढ़ाकर कमिश्नरी हो जाये। इन्होंने ये घोषणायें लखनऊ, वाराणसी, आजमगढ़, बरेली, इलाहाबाद, मुरादाबाद, कानपुर, पौड़ी गढ़वाल और झांसी में की हैं। यह सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तिका में दिया हुआ है। इन घोषणाओं के लिए सैंकड़ों करोड़ों रुपये की आवश्यकता है। क्या इस बजट में इन सबके लिये रुपया रखा गया है, क्या प्रधान मंत्री का पांच हजार करोड़ रुपया इसमें रखा गया है? नहीं रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है क्योंकि व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। राजभवन के अंदर हैलीकाप्टर के लिये हैलीपैड बनाया गया, राजभवन की साज-सज्जा के लिये 70 लाख रुपया खर्च किया गया है और उत्तर प्रदेश की जनता के साथ ये लाट साहब मजाक बना रहे हैं। क्या केन्द्र सरकार उनके इस बजट पर नियंत्रण रख सकेगी? मेरा सरकार से कहना है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनने दीजिए। आप यह काम अपने सिर से हटाईये। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए केन्द्रीय योजना में जो व्यवस्था करनी है, उत्तर प्रदेश का जो हक है और उसकी साझेदारी है, उसको देने का काम करें। उत्तर प्रदेश में सरकार बनने का एकमात्र विकल्प केन्द्र सरकार द्वारा बजट बनाना नहीं और न ही केन्द्र से सत्ता चलाने से काम चलेगा, उसका एकमात्र रास्ता यह है कि प्रदेश में लोकप्रिय सरकार बनने दें। पिछले साल अक्तूबर में चुनाव हुये थे। लोकतंत्र में चुनाव होता है सरकार

बनने के लिये लेकिन वहां सरकार न बनने देने के लिए चुनाव हुये हैं। मेरे कुछ मित्रों को तकलीफ हो रही है। मैं जानता हूं कि आपको कष्ट है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता आपको स्वीकार नहीं कर रही है... *(व्यवधान)* आप हमारे पड़ोसी हैं। उत्तर प्रदेश की जनता मानने वाली नहीं है अगर आप यही कर्म करते रहे तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश आपको रास नहीं आने वाला है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

कटौती प्रस्ताव

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि आबकारी विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

वर्ष 1997-98 के लिये उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में शराब की दुकानों के लिए दिये गये लाइसेंसों को रद्द किये जाने की आवश्यकता। (1)

कि आबकारी विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में उत्पादन शुल्क विभाग में निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता। (2)

कि आबकारी विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जाये।

उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में पूर्ण नशाबन्दी लागू करने की आवश्यकता। (3)

कि आबकारी विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में अवैध शराब की तस्करी को रोकने की आवश्यकता। (4)

कि खाद्य तथा रसद विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में खाद्यान्नों की कमी की समस्या को तत्काल हल करने की आवश्यकता। (5)

कि खाद्य तथा रसद विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश को आबंटित खाद्यान्नों के कुल कोटे में से 30% उत्तरांचल क्षेत्र को दिये जाने की आवश्यकता। (6)

कि खाद्य तथा रसद विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में जिला आपूर्ति अधिकारी और आपूर्ति निरीक्षकों को तत्काल नियुक्त किये जाने की आवश्यकता। (7)

कि खाद्य तथा रसद विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग में खाली पड़े सभी पदों पर नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता। (8)

कि खाद्य तथा रसद विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश में जिला खाद्यान्न सलाहकार समितियों का पुनर्गठन किये जाने की आवश्यकता। (9)

कि नागरिक उड्डयन विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के पंतनगर विमानपतन पर विमानों के उड़ान भरने और उतरने के लिए समुचित प्रबंध किये जाने की आवश्यकता। (10)

कि नागरिक उड्डयन विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में नैनी-सैनी हवाई पट्टी का निर्माण कार्य पूरा करने की आवश्यकता। (11)

कि लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) शीर्ष के अंतर्गत मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में पक्की सड़कें उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (12)

कि लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) शीर्ष के अंतर्गत मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में पक्की सड़कें उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (13)

कि लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) शीर्ष के अंतर्गत मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में सड़कों के निर्माण हेतु प्राथमिकता के आधार पर सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता। (14)

कि वन विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में लकड़ी काटने हेतु लाइसेंस दिये जाने की आवश्यकता। (15)

[श्री बची सिंह रावत 'बचदा']

कि वन विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में ग्रामवासियों को ईंधन लकड़ी तथा इमारती लकड़ी प्रदान किये जाने की आवश्यकता। (16)

कि उद्योग विभाग (खानें और खनिज) शीर्ष के अंतर्गत मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में खड़िया, मेगनेसाइट, स्लेट आदि के खनन की प्रक्रिया को आधुनिक बनाये जाने की आवश्यकता। (17)

कि उद्योग विभाग (खानें और खनिज) शीर्ष के अंतर्गत मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तरांचलवासियों को पत्थर, स्लेट, रेत तथा कंकड़ निकालने की पहले दी गई सुविधा को बहाल करने की आवश्यकता। (18)

कि उद्योग विभाग (खानें और खनिज) शीर्ष के अंतर्गत मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में खानों और खनिजों से संबंधित उद्योगों की स्थापना के लिए केवल स्थानीय लोगों को लाइसेंस प्रदान करने की आवश्यकता। (19)

कि उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) शीर्ष के अंतर्गत मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में ग्रामीण तथा लघु उद्योगों की स्थापना को प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता। (20)

कि उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) शीर्ष के अंतर्गत मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में उपलब्ध कच्चे माल के आधार पर उद्योगों की स्थापना के लिए नीति बनाये जाने की आवश्यकता। (21)

कि कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) शीर्ष के अंतर्गत मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले के नरियालगांव में स्वीकृत पशु प्रजनन, भ्रूण प्रतिरोपण अनुसंधान प्रशिक्षण और संवर्धन केन्द्र के निर्माण की आवश्यकता। (22)

कि कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) शीर्ष के अंतर्गत मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में पशुपालन को उद्योग का दर्जा दिये जाने की आवश्यकता। (23)

कि कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) शीर्ष के अंतर्गत मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में पशुपालन विभाग की लम्बित योजनाओं को शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता। (24)

कि कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) शीर्ष के अंतर्गत मांग में से 100 रुपये कम किये जाएं।

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों के सभी गांवों को दुग्धमार्गों से जोड़े जाने की आवश्यकता। (25)

कि कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) शीर्ष के अंतर्गत मांग में से 100 रुपये कम किये जाएं।

उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल डेरी परिसंघ का गठन किये जाने की आवश्यकता। (26)

कि कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) शीर्ष के अंतर्गत मांग में से 100 रुपये कम किये जाएं।

उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में दुग्ध प्रशीतन केन्द्रों की संख्या तथा उनकी क्षमता में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता। (27)

कि कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) शीर्ष के अंतर्गत मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के सभी विभागों में "हिल केडर 1992" को कड़ाई से लागू किये जाने की आवश्यकता। (28)

कि कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) शीर्ष के अंतर्गत मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र के रिक्त पदों को भरने के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग गठित किये जाने की आवश्यकता। (29)

कि कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) शीर्ष के अंतर्गत मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल क्षेत्र की शैक्षिक संस्थाओं में स्वीकृत विषयों के लिए अध्यापकों के पद सृजित करने की आवश्यकता। (30)

कि खाद्य तथा रसद विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र को खाद्यान्नों की ढुलाई हेतु राज सहायता दिये जाने की आवश्यकता। (31)

कि खाद्य तथा रसद विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र के धारचूला, मुनश्यारी, कपकोट, स्यालदे विकास खंडों में पर्याप्त मात्रा में चावल की सप्लाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता। (32)

कि गृह विभाग (पुलिस) शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में हड़ताली राजस्व पुलिस अधिकारियों से बातचीत किये जाने की आवश्यकता। (33)

कि चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पतालों द्वारा चिकित्सा शुल्क तथा अन्य प्रभार लिया जाना बंद किये जाने की आवश्यकता। (34)

कि नगर विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में पेयजल की अपूर्ण योजनाओं पर काम शुरु किये जाने की आवश्यकता। (35)

कि नगर विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल क्षेत्र की पेयजल समस्या के समाधान के लिए पम्पिंग लिफ्ट पेयजल योजना तैयार किये जाने की आवश्यकता। (36)

कि नगर विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र के पेयजल के संकट के समाधान के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान किये जाने की आवश्यकता। (37)

कि परिवहन विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में लोक निर्माण विभाग के सभी मोटरमागण पर बस सेवाएं आरम्भ करने की आवश्यकता। (38)

कि परिवहन विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में रानीखेत स्थित उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम के डिपो को अन्यत्र स्थानांतरित न करने की आवश्यकता। (39)

कि पर्यटन विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में विशेषकर पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिलों में पर्यटन केन्द्रों की स्थापना करने की आवश्यकता। (40)

कि पर्यटन विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तरांचल क्षेत्र में पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता। (41)

कि राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तरांचल क्षेत्र में राजस्व पुलिस (पटवारी संवर्ग) की वेतन, वर्दी, सुरक्षा इत्यादि की मांगें पूरी करने की आवश्यकता। (42)

कि राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश में जिला अल्मोड़ा की भिकियासेज तहसील में आवासीय तथा गैर-आवासीय भवन का निर्माण करने की आवश्यकता। (43)

कि लोक निर्माण विभाग (संचार) शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

जिला अल्मोड़ा में तारीखेत-पिपली-मज्यूरखान मोटरमार्ग के विकास के लिए स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता। (44)

कि लोक निर्माण विभाग (संचार) शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

जिला अल्मोड़ा में हरदा-भिकियासेज मोटरमार्ग के विकास के लिए स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता। (45)

कि लोक निर्माण विभाग (संचार) शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

जिला अल्मोड़ा में भन्नेजखान-जिनापनी-भिकियासेज मोटरमार्ग के विकास के लिए स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता। (46)

कि लोक निर्माण विभाग (संचार) शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

जिला अल्मोड़ा में खरगोली-पेंटमोहन मोटरमार्ग के विकास के लिए स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता। (47)

[श्री बची सिंह रावत 'बचदा']

कि लोक निर्माण विभाग (संचार) शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

पिथौरागढ़ जिले में अपूर्ण सड़कों के निर्माण कार्य को पूरा करने की आवश्यकता। (48)

कि वन विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में आरा मशीनों के लिए लकड़ी के आवंटन की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (49)

कि वन विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में नदियों से बालू, कंकड इत्यादि के आवंटन की नियमित व्यवस्था करने की आवश्यकता। (50)

कि शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल क्षेत्र के प्रत्येक गांव में प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता। (51)

कि शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों में बी.एड. और सी.पी.एड. डिग्रीधारियों को अध्यापकों के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता। (52)

कि शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति करने में 'जिला संवर्ग' लागू करने की आवश्यकता। (53)

कि शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तरांचल क्षेत्र में और अधिक जूनियर गर्ल्स हाई स्कूल खोलने की आवश्यकता। (54)

कि शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तरांचल क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को यात्रा तथा आवासीय भत्ता देने की आवश्यकता। (55)

कि शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (56)

कि शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में माध्यमिक विद्यालयों में अनिवार्य कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता। (57)

कि शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तरांचल क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों का दर्जा बढ़ाने की आवश्यकता। (58)

कि शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों और इंटर-कालेजों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की नियुक्ति करने की आवश्यकता। (59)

कि शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तरांचल क्षेत्र में माध्यमिक विद्यालयों के लिए भवनों और प्रयोगशालाओं का निर्माण करने की आवश्यकता। (60)

कि शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में धारचूला और मुन्स्यारी के अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में डिग्री कालेज खोलने की आवश्यकता। (61)

कि शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट, पटी, कनालीछीना, मुनाकोट खंडों में डिग्री कालेज खोलने की आवश्यकता। (62)

कि शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

अल्मोड़ा जिले में चौखुटिया, भिकियासेज, गरुड़, साकुला, भैसयाछाना, हवालबाग खंडों में डिग्री कालेज खोलने की आवश्यकता। (63)

कि समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में धारचूला और मुन्स्यारी की जनजाति बहुल तहसीलों में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों की पूर्ति करने की आवश्यकता। (64)

कि समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

पिथौरागढ़ जिले की धारचूला तहसील के मूल निवासियों को तिब्बत सीमा के निकट 'इनर लाइन' के लोगों पर लगे प्रतिबंधों से रियायत देने की आवश्यकता। (65)

कि समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

जिला अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को शिक्षा हेतु विशेष सरकारी सहायता देने की आवश्यकता। (66)

कि उत्तराखंड विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तरांचल के पिछड़े क्षेत्रों में नये मोटरमार्गों का निर्माण करने की आवश्यकता। (67)

कि उत्तराखंड विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तराखंड क्षेत्र में 'फ्रूट बेल्ट्स योजना' आरंभ करने की आवश्यकता। (68)

कि उत्तराखंड विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तराखंड क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सिंचाई नहरों का पुन:निर्माण करने की आवश्यकता। (69)

कि उत्तराखंड विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तराखंड क्षेत्र का विद्युतीकरण करने की आवश्यकता। (70)

कि उत्तराखंड विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तराखंड क्षेत्र के प्रत्येक गांव में पेयजल सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता। (71)

[अनुवाद]

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:-

कि आवास विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रु. कम किये जायें।

कानपुर विकास प्राधिकरण के कार्यकरण को प्रभावी बनाये जाने की आवश्यकता। (72)

कि आवास विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रु. कम किये जायें।

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवास योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता। (73)

कि आवास विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रु. कम किये जायें।

कानपुर के निर्धन लोगों को छोटे और सस्ते आवासीय भूखंड आवंटित किये जाने की आवश्यकता। (74)

कि आवास विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रु. कम किये जायें।

कानपुर की चालू परियोजनाओं को पूरा करने की आवश्यकता ताकि उनकी लागत में वृद्धि न होने पाये। (75)

कि आवास विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रु. कम किये जायें।

कानपुर में बहुमंजिले भवनों के निर्माण में विहित मानदंडों का पालन लागू करने की आवश्यकता। (76)

कि आवास विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रु. कम किये जायें।

कानपुर में बहुमंजिले भवनों के लिए मौजूदा अनुमत्य ऊंचाई में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता। (77)

कि आवास विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रु. कम किये जायें।

कानपुर में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए और अधिक मकानों का निर्माण किये जाने की आवश्यकता। (78)

कि आवास विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रु. कम किये जायें।

उन क्षेत्रों जहां कानपुर विकास प्राधिकरण ने कोई विकास कार्य नहीं किया है अथवा जहां अपेक्षित स्तर का विकास कार्य नहीं किया गया है, विकास कार्य किये जाने की आवश्यकता। (79)

कि ऊर्जा विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रु. कम किये जाएं।

कानपुर में रिवर साइड पावर हाउस को गैस आधारित पावर हाउस में परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता। (80)

कि ऊर्जा विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रु. कम किये जाएं।

बेहतर वोल्टता सुनिश्चित करने और विद्युत पारेषण या विद्युत की क्षति रोकने के लिए सभी पुरानी पारेषण लाइनों को बदलने की आवश्यकता। (81)

[श्री जगत वीर सिंह द्रोण]

कि ऊर्जा विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रु. कम किये जाएं।

शीत भंडारों और ऐसी ही अन्य यूनिटों को नियमित विद्युत सप्लाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता। (82)

कि ऊर्जा विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रु. कम किये जाएं।

कानपुर में समान विद्युत लोड वितरण और विद्युत सप्लाई बेहतर करने के लिए वहां और अधिक विद्युत सब-स्टेशन स्थापित किये जाने की आवश्यकता। (83)

कि ऊर्जा विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रु. कम किये जाएं।

कानपुर में विद्युत कनेक्शन हेतु लंबित आवेदनों को तेजी से निपटाने की आवश्यकता। (84)

कि ऊर्जा विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रु. कम किये जाएं।

उपभोक्ताओं को असुविधा से बचाने के लिए उन्हें गलत बिल भेजा जाना रोकने की आवश्यकता। (85)

कि ऊर्जा विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रु. कम किये जाएं।

के.ई.एस.ए. के ढांचे के पुनर्गठन के लिए कानपुर को कम से कम 100 करोड़ रु. की राशि विशेष अनुदान के रूप में प्रदान किये जाने की आवश्यकता। (86)

कि ऊर्जा विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रु. कम किये जाएं।

उद्योगों का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से उन्हें विद्युत की सप्लाई में कटौती रोके जाने की आवश्यकता। (87)

कि खाद्य तथा रसद विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

कानपुर की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता। (88)

कि खाद्य तथा रसद विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से घटिया किस्म के खाद्यान्नों की आपूर्ति रोकने की आवश्यकता। (89)

कि खाद्य तथा रसद विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

राज्य की जनसंख्या के अनुपात में उत्तर प्रदेश के लिए खाद्यान्नों के अधिक कोटे की मांग किये जाने की आवश्यकता। (90)

कि खाद्य तथा रसद विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों के कमीशन में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता ताकि इन दुकानों द्वारा किये जा रहे कदाचारों को रोका जा सके। (91)

कि खाद्य तथा रसद विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

कानपुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारु बनाये जाने की आवश्यकता। (92)

कि खाद्य तथा रसद विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

कानपुर में समाज के कमजोर वर्गों को खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के लिए एक निर्धारित अवधि के भीतर राशन कार्ड जारी किये जाने की आवश्यकता। (93)

कि खाद्य तथा रसद विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

कानपुर के खाद्य और रसद विभाग के कार्यालयों में कदाचार को रोकने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता। (94)

कि खाद्य तथा रसद विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

कानपुर के उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने के लिए उचित मूल्य की दुकानों की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (95)

कि खेल विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (96)

कि खेल विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में केन्द्रीयकृत प्रशिक्षण के लिए अधिक व्यायामशालाएं खोले जाने की आवश्यकता। (97)

कि खेल विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश में प्रतिभावान युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में और खेल महाविद्यालय खोले जाने की अनुमति दिये जाने की आवश्यकता। (98)

कि खेल विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश की सभी शिक्षण संस्थाओं में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाये जाने की आवश्यकता। (99)

कि खेल विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

9 से 12 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए विभिन्न खेलों हेतु और प्रशिक्षण शिविर लगाये जाने की आवश्यकता। (100)

कि खेल विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

प्रत्येक विद्यालय में कम से कम एक खेल के मैदान की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता। (101)

कि खेल विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

शारीरिक शिक्षा अध्यापकों को अन्य अध्यापकों के समान दर्जा दिये जाने की आवश्यकता। (102)

कि खेल विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किये जाने की आवश्यकता। (103)

कि चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण) शीर्ष के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के मेडिकल कालेजों में छात्रों को प्रायोगिक प्रशिक्षण पर अधिक जोर दिये जाने की आवश्यकता। (104)

कि चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण) शीर्ष के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

जे.के. कैंसर इंस्टिट्यूट, कानपुर का दर्जा बढ़ाकर उसे रीजनल कैन्सर इंस्टिट्यूट बनाये जाने की आवश्यकता। (105)

कि चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण) शीर्ष के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

जे.के. कैंसर इंस्टिट्यूट, कानपुर में आधुनिक सुविधायें उपलब्ध कराये जाने और वहां विशेषज्ञों की भी नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता। (106)

कि चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण) शीर्ष के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

छात्रों के ज्ञान को अद्यतन बनाने के लिए जी.एस.वी.एस. मेडिकल कालेज, कानपुर से संबद्ध अस्पतालों में आधुनिक सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (107)

कि चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण) शीर्ष के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

सभी सरकारी अस्पतालों में आवश्यक औषधियों की उपलब्धता और औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता। (108)

कि चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण) शीर्ष के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

नर्सिंग होम संस्कृति को हतोत्साहित करने और सरकारी अस्पतालों के स्तर में सुधार किये जाने की आवश्यकता। (109)

कि चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण) शीर्ष के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

कानपुर के सभी जिला अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड और सी.ए.टी. स्कैनिंग सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (110)

कि चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण) शीर्ष के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

किदवई नगर, कानपुर में मस्तिष्क की चोटों और सिर की अन्य सभी प्रकार की बड़ी चोटों के उपचार के लिए सभी आधुनिक सुविधाओं युक्त एक सरकारी अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता। (111)

कि चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण) शीर्ष के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

सभी सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में सुधार और चालू हालत में उपकरणों की उपलब्धता भी सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता। (112)

कि चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण) शीर्ष के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

पर्यावणीय कारणों से कानपुर की घनी आबादी वाले क्षेत्र से पोस्टमार्टम गृह को शहर के बाहरी भाग में स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता। (113)

कि नगर विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

सड़कों, स्ट्रीट लाइटों, मलव्ययन और जलापूर्ति के लिए कानपुर को विशेष अनुदान दिये जाने की आवश्यकता। (114)

[श्री जगत वीर सिंह द्रोण]

कि नगर विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

कानपुर में सम्पूर्ण मलव्ययन प्रणाली को पुन: बनाए जाने की आवश्यकता। (115)

कि नगर विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

कानपुर में जल निगम, नगर निगम और जल संगठन में व्याप्त कदाचार को रोकने की आवश्यकता। (116)

कि नगर विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

गंगा नदी में मिलने वाले सभी नालों को बंद कर कानपुर में पेय जल के प्रदूषण के रोके जाने की आवश्यकता। (117)

कि नगर विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

कानपुर की 40 लाख आबादी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शहर में एक नये जलापूर्ति खंड खोले जाने की आवश्यकता। (118)

कि नगर विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

कानपुर के विकास पर ध्यान देने और शहर की बिगड़ती दशा को रोकने के लिए विशेष धनराशि आवंटित किये जाने की आवश्यकता। (119)

कि शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

प्रौढ़ शिक्षा पर व्यय को बचाने के लिए प्राथमिक शिक्षा के पुनर्गठन और उस पर अधिक बल दिये जाने की आवश्यकता। (120)

कि शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

छात्रों को आकर्षित करने के लिए सभी प्राथमिक विद्यालयों में अच्छे भवन, फर्नीचर और प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (121)

कि शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) शीर्ष के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

कानपुर में बालिकाओं के लिए कम से कम छ: इंटर कालेज खोले जाने की आवश्यकता। (122)

कि शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) शीर्ष के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में कम से कम 180 कार्य दिवस सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता। (123)

कि शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) शीर्ष के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

प्रत्येक प्रतिभावान छात्र का उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता। (124)

कि शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) शीर्ष के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

परीक्षाओं में नकल विरोधी कानून लागू करने और इसे सदोष अपराध बनाये जाने की आवश्यकता। (125)

कि शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) शीर्ष के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

सभी महाविद्यालयों में नैतिक शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाये जाने की आवश्यकता। (126)

कि शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) शीर्ष के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

सभी महाविद्यालयों में अच्छे पुस्तकालय बनाये जाने के लिए विशेष धनराशि दिये जाने की आवश्यकता। (127)

[हिन्दी]

डा. रमेश चन्द तोमर (हापुड़): मैं प्रस्ताव करता हूं:-

कि आबकारी विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश में मद्य निषेध लागू करने की आवश्यकता। (128)

कि आबकारी विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश में शराब की तस्करी रोके जाने की आवश्यकता। (129)

कि उद्योग विभाग (ग्राम्य एवं लघु उद्योग) शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में प्राथमिकता के आधार पर गाजियाबाद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग खोले जाने की आवश्यकता। (130)

कि चिकित्सा विभाग (एलोपैथी) शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता। (131)

———

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रुडी (छपरा): महोदय, मैं केवल एक मुद्दा उठाना चाहता हूं। मैंने उसकी सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय: इस समय कोई सूचना नहीं ली जाएगी।

श्री राजीव प्रताप रुडी: मैंने प्रात: इसकी सूचना दी थी। यह विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में है। आपने अवश्य ही सूचना पढ़ी होगी।

अध्यक्ष महोदय: आज, कोई अन्य मामला नहीं उठाया जाएगा। कृपया मेरी बात मानें। आप इसे सोमवार को उठा सकते हैं, आज नहीं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप सोमवार को इसे उठा सकते हैं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आज, सभा की बैठक नहीं थी। आप समझते क्यों नहीं हैं?

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आज सभा की बैठक विशेष रूप से विधेयकों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई है अन्यथा आज सभा की बैठक नहीं होती।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रुडी: यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अन्य मुद्दे न उठाएं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं, कृपया नहीं।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रुडी: लेकिन सोमवार को मुझे मौका दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपसे यही कहा है लेकिन आप मेरी बात नहीं सुन रहे। मैंने कहा है कि आप इसे सोमवार को उठा सकते हैं।

श्री राजीव प्रताप रुडी: महोदय, धन्यवाद।

मध्याह्न 12.00 बजे

बेगम नूर बानो (रामपुर): अध्यक्ष महोदय, संयुक्त मोर्चा सरकार के कठोर रवैये के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य के बजट पर यहाँ चर्चा अपने आप में त्रासदी है। बजट को विधिवत् रूप से निर्वाचित राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए था और उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा राज्य विधान सभा में इस पर चर्चा की जानी चाहिए थी।

उत्तर प्रदेश का बजट एक छलावा है। इसे नौकरशाहों द्वारा बनाया गया है जो दिशाहीन है।

अपराह्न 12.01 बजे

[प्रो. रीता वर्मा पीठासीन हुई]

[हिन्दी]

जहां तक विकास और तरक्की का सवाल है, यह बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश में विकास और तरक्की नहीं हो रही है। सड़कें और पुल जहां बनने चाहिए वहां नहीं बने हैं। जैसे ही आप उत्तर प्रदेश में जाने के लिए सीमा पार करते हैं तो सड़कें इतनी खराब है कि सड़कें और पुल न होने की वजह से वहां ट्रैफिक जाम लग जाते हैं। जो बनी हुई सड़कें और ब्रिजेज़ हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। उनकी मेनटेनेन्स नहीं होती है। उसके लिए भी कहीं से पैसा नहीं आता है।

जहां तक उत्तर प्रदेश में जिलों का सवाल है, वहां पर न बिजली है, न पीने का पानी है और न ही हैण्ड पम्प्स हैं। न ही वे लोग नदियों से पानी ला सकते हैं क्योंकि जितनी नदियां हैं, सब पोल्यूटेड हो चुकी हैं। केमिकल वेस्ट उसमें आता है और उसके लिए कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। जो पुराने जिला अस्पताल थे, उनकी बिल्डिंग्ज़ गिरने वाली हो गई हैं। नये अस्पताल अभी तक नहीं बने हैं और उनकी मरम्मत के लिए कोई पैसा नहीं है। कोई नयी फेसेलिटी उसमें नहीं दी गई हैं। किसी किस्म का सुकून और आराम वहां की अवाम के लिए नहीं है। बच्चों के स्कूल इस हालत में हो गए हैं कि बहुत सी स्कूल बिल्डिंग्ज़ गिरने वाली हैं और इसलिए बच्चे बिल्डिंग छोड़कर पढ़ने के लिए बाहर बैठते हैं चाहे बरसात हो या बहुत गर्मी हो या बहुत सर्दी हो। मेरे ज़िले में जहां पर पेलेसेज़ और फोर्ट्स को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स के लिए दिया गया था, जहां डिग्री कालेजेज़ और इंटर

[बेगम नूर बानो]

कोलेजेज़ हैं, वहां पर इतने बच्चे हो गए हैं कि उनके ऐक्सटेन्शन की ज़रूरत है। वहां के लिए भी पैसा मांगा जाता है लेकिन पैसा नहीं आता है। कुछ महीने पहले जो पुल और सड़कों के लिए जो सैन्क्शन्स किये गये थे, उनके सर्वे के लिये भी अभी तक कोई नहीं आया है। जब उनसे कहा जाता है कि इसका सर्वे करके ऐस्टिमेट बनाया जाए तो वह कहते हैं कि सर्वे के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है। जब बजट में किसी चीज के लिए पैसा नहीं दिया गया है तो किस प्रकार से उत्तर प्रदेश तरक्की कर सकता है? प्रधान मंत्री जब उत्तर प्रदेश असेम्बली के इलेक्शन्स से पहले वहां गए थे तो उन्होंने वहां की जनता से बहुत से वायदे किये थे। उन्होंने कहा था कि वह मुसलमानों के लिए रेसिडेन्शियल स्कूल बनवाएंगे, पावर स्टेशन्स लगवाएंगे, स्पिनिंग मिल्स और शुगर फेक्टरीज़ लगवाएंगे और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को घर देंगे, लेकिन उनमें से कोई भी चीज अभी तक शुरु नहीं हुई है और न होने की कोई उम्मीद है। मेरे ख्याल से हुकूमत को कोई दिलचस्पी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में तरक्की का कोई काम हो और ऐसा लगता है कि वे ऐसे ही हालात उत्तर प्रदेश में रखना चाहते हैं क्योंकि शायद उनको यही माफिक लगता है कि ऐसे ही चलता रहे।

इन्हीं चन्द अल्फाज़ के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूं।

श्री सुरेन्द्र यादव (खलीलाबाद): माननीय सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के बजट पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। लेकिन अफसोस यह है कि उत्तर प्रदेश के विकास की कोई इस तरह की योजना नहीं है कि दक्षिण के प्रदेशों की तरह उसका डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो, सुचारू रूप से हो और प्रदेश की जनता के लिए जीवन के हर क्षेत्र में अच्छी सुविधा मिल सके। जो बजट प्रदेश के लिए दिया गया है वह किसी भी तरह से वहां के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो उत्तर प्रदेश में इतने नॉन एडिड इंस्टीट्यूशंस हैं कि वहां हजारों की संख्या में एक-एक विद्यालय में 50-100 टीचर्स से लेकर या जो भी उनकी संख्या है, वे भुखमरी के कगार पर हैं। मेरा सरकार से यह कहना है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं अगर आप इनको मान्यता देते हैं तो एड के साथ इनको मान्यता दें ताकि किसान और मध्यमवर्गीय परिवार के जो लोग एम.ए., बी.एड., बी.ए., बी.एड., बी.एस.सी., बी.एड. करके अध्यापक होने या देश की शिक्षा और साक्षरता में अपना योगदान देने का मन बना चुके हैं या यह इनका शौक है तो उनकी जिंदगी भी बेहतर बन सके। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ऐसे विद्यालयों में अध्यापक सौ, दो सौ, पांच सौ रुपये के वेतन पर काम कर रहे हैं और बार-बार इसके बारे में मांग उठती है, अभी उत्तर प्रदेश में राजभवन को घेरने का कार्यक्रम नॉन एडिड जूनियर हाईस्कूल के अध्यापकों ने बनाया था और उन्होंने घेराव भी किया, लेकिन उन्हें खदेड़ दिया गया। वे अपनी रोजी-रोटी अपने पेट भरने की बात कर रहे हैं, जो उनका मौलिक अधिकार है। लेकिन ऐसा कोई योगदान सरकार की ओर से नहीं किया जा रहा है कि उनकी जिंदगी बेहतर बन सके। इसी तरह से इंटरमीडिएट कॉलेज हैं, हाईस्कूल कॉलेज हैं, बार-बार आवाज उठती है लेकिन इन अध्यापकों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सरकार बिलकुल ही नहीं सोचती है। निर्वाचित सरकारें थीं तो भी यही हाल था और आज उत्तर प्रदेश में राज्यपाल शासन है तब भी यही हाल है। हजारों ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां के अध्यापकों की जिंदगी इस कदर लाचारी और बदहाली की तरफ जा रही है कि हमारे जैसे लोग जो शिक्षा जगत से जुड़े रहे हैं, उनका चिंतित होना लाजिमी है। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर सरकार बजट में इन अध्यापकों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इंस्टीट्यूशंस में एकता लाने के लिए प्रावधान करती तो शायद उत्तर प्रदेश के अध्यापकों की हालत इतनी गिरी हुई, इतनी खराब न होती। उनकी उम्र बीत रही है, बहुत से बेचारे तो रिटायरमेंट के करीब हैं लेकिन वे अभी भी वेतन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी यही हाल है। चिकित्सा के क्षेत्र में जहां तमाम ऐसे अस्पताल बने हुए हैं, जिन पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया है, उनकी इमारतें बनकर तैयार हैं। लेकिन उन अस्पतालों में कोई डॉक्टर नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है और वे बिल्डिंगें जो सरकारी बजट से बनकर तैयार हैं, वे हैंडओवर नहीं हो रही हैं। मैं आज इस सदन के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि ऐसी जो संस्थाएं हैं, मैडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, अस्पताल हैं, जिनकी बिल्डिंगें बनकर तैयार हैं मगर हैंडओवर नहीं हो रही है, वहां काम-काज नहीं हो रहा है, उनको हैंड-ओवर किया जाए। हमारे लोक सभा क्षेत्र के बघौली में 100 शैया का एक बहुत बड़ा अस्पताल है मगर अभी तक उसके हैंड-ओवर न होने की वजह से आज वह बदहाली का शिकार है, यहां तक कि उसके दरवाजे आदि बदमाश लोग तोड़कर ले जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप आज वह बिल्कुल धराशायी होने के कगार पर है।

मैं आपसे कहना चाहूंगा कि लोगों को साक्षर बनाने के लिए जो पैसा खर्च हो रहा है, वास्तव में वह बिल्कुल बेकार जा रहा है क्योंकि कोई डेवलपमेंट या विकास उससे नहीं हो रहा है। अगर उस पैसे से कुछ जनहित के काम किये जा सकें तो वह अच्छी बात होगी।

जहां तक सिंचाई का सवाल है, आज से बहुत समय पहले सिंचाई के लिए ज्यादा पैसे का प्रावधान किया जाता था, ज्यादा पैसा सिंचाई पर खर्च किया जाता था, राजकीय नलकूप या ट्यूबवैल लगाये जाते थे। हमारे प्रधान मंत्री जी ने अब जाकर सिंचाई के लिए बजट में ज्यादा पैसे का प्रावधान किया है मगर इसके पहले हमारे जिले में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में उस गति से राजकीय नलकूप नहीं लगाये जा रहे थे जिस गति से पहले लगाये जाते थे। मैं मांग करना चाहूंगा कि आज नहरों का जिस तरह विकास हो रहा है, वह तो होना ही चाहिए लेकिन बजट में ज्यादा से ज्यादा पैसे का प्रावधान करके उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक राजकीय नलकूप लगाए जाएं ताकि ग्रामीण अंचलों में

सिंचाई की सुविधा मिल सके क्योंकि बिना सिंचाई के किसी भी तरह का विकास संभव नहीं है। अगर उत्पादन नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। अगर उत्तर प्रदेश में अन्न का भंडारण अधिक नहीं होगा तो देश की प्रगति में उत्तर प्रदेश का योगदान कम ही रहेगा।

इसलिए सभापति जी, में आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाई जाएं क्योंकि वहां ऐसे अनेक जिले हैं जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हर जिले में डी.आर.डी.ए. की जो बैठकें होती हैं अथवा जिला योजना की बैठकों में हम लोग जो मामले पेश करते हैं और कहते हैं कि हमारे जिले का विकास नहीं हो रहा है, जिले के विकास की योजनाएं जिस गति से लागू की जानी चाहिएं, उस गति से लागू नहीं हो रही हैं तो जिन अधिकारियों के हाथ में उन योजनाओं के क्रियान्वयन की शक्तियां हैं, वे आनाकानी करते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सुनिश्चित रोजगार योजना के पैसे को जवाहर रोजगार योजना के मद में डाल दिया जाता है और गलत ढंग से उसे खर्च किया जाता है, सारा पैसा नाजायज तरीके से खर्च होता है। हमारे जिले में जितनी सड़कें बनाई जा रही हैं, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में ठेकेदारों को भरोसे काम कराए जा रहे हैं और इस काम में ठेकेदारों की कुछ ऐसी सांठ-गांठ बनी हुई है कि जितना पैसा सड़कें बनाने पर खर्च हुआ दिखाया जाता है, सिर्फ आधी सड़कें ही कागजों पर बनती हैं और आधा पैसा सी.डी.ओ. आदि दूसरे अधिकारी अपनी जेबों में रख लेते हैं। उनका वहां एक नैटवर्क बना हुआ है। हर ठेकेदार की वहां के जिला अधिकारी, सी.डी.ओ., इंजीनियर आदि से सांठ-गांठ है जिससे जिले का विकास ताक पर रखकर ये लोग सिर्फ अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं।

इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप चाहे जितना बजट में प्रावधान कर दीजिए, जब तक उस पैसे को सही ढंग से खर्च नहीं किया जायेगा तो कोई सवाल ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश का विकास हो सके। हम लोगों ने हमेशा इस मामले को उठाया है और कहा है कि सिर्फ कागजों में सड़कें बनाई जाती हैं, ठेकेदार अपने आदमियों को कुदाल देकर सड़कों से घास छिलवा देते हैं और उस पर मिट्टी तक नहीं डालते। जनता को पता भी नहीं चलता कि हमारी सड़क कागजों में बन गई है—इस तरह उत्तर प्रदेश का क्या विकास होगा, जिलों का क्या विकास होगा? जब आवागमन के साधन ही नहीं होंगे तो किसी भी हालत में किसानों का तैयार माल खेतों और गांवों से बाजार तक नहीं पहुंच पायेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जिला योजनाओं पर जितना खर्च हो रहा है, वास्तव में वह सही तरीके से खर्च हो रहा है या नहीं, इस पर निगरानी के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा जिला स्तर पर ईमानदार अधिकारियों की एक कमेटी बनाई जाए, जो वहां जाकर चैक करे।

कागज में वह सड़क बनी, मगर वास्तव में, मौके पर या उस गांव में, उस क्षेत्र में वह सड़क नहीं बनी। मैं बहुत खुले रूप में कहना चाहता हूं। जितने माननीय सदस्य यहां बैठे हैं उनमें से 50 प्रतिशत सदस्य इस तरीके से जिलाधिकारियों और सी.डी.ओ. एवं अन्य अधिकारियों से परेशान हैं। वे काम नहीं करते हैं। जनता हमसे शिकायत करती है। मैं अपने क्षेत्र की बात बताना चाहता हूं कि मैं एक बार भ्रमण पर जा रहा था। वहां पर ग्रामीणों ने मुझे रोक दिया और कहा कि यह सड़क देखिए, इस पर मिट्टी तक नहीं डाली गई है। बिलकुल तमाशा बना रखा है। मैंने उनसे कहा कि जब इस सड़क पर काम हो रहा था, तब क्यों नहीं कहा, तो उन्होंने कहा कि हमने कहा था, तो ठेकेदार ने हमें बताया कि जितना काम हो रहा है वह भी नहीं होगा अगर तुमने रोका तो मैं काम भी नहीं करूंगा और पेमेंट जिलाधीश के यहां से सीधे ले लूंगा। जितनी मिट्टी डाली गई है उतनी भी नहीं डाली जाएगी। मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचारियों से सांठगांठ करके इस प्रकार से पूरे प्रदेश को लूट रहे हैं उनके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि चाहे कितना भी बजट किसी भी प्रदेश को दे दें, यू.पी. को दे दें, यदि उसकी देखरेख नहीं होती है, तो उसका क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो पायेगा।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह जो भ्रष्टाचार देश में और प्रदेशों में बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर देखरेख रखने के लिए जब तक ईमानदार अधिकारियों को नहीं लगाया जाएगा तब तक इस धन का सही इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। जब तक इन योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश के बजट को ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जायेगा, तब तक चाहे जितना भी पैसा खर्च कर लिया जाए, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, वह सब व्यर्थ जाएगा। उससे विकास नहीं होगा। आज हमारा पूर्वांचल का इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है। आज वे लोग मांग कर रहे हैं कि प्रदेश को कई हिस्सों में बांटा जाए। प्रदेश के छोटे-छोटे टुकड़े किये जाएं ताकि विकास की गति तेज हो सके। मैं कहना चाहता हूं कि राज्य के केवल बंटवारे से इस प्रदेश का उत्थान नहीं होगा बल्कि उत्तर प्रदेश का सही ढंग से विकास करने के लिए हमें उस पर नजर रखनी पड़ेगी। हमारे बी.जे.पी. के लोग कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल शासन है इसलिए कोई विकास नहीं हो रहा है। अगर राज्यपाल का शासन है, तो भी यदि निगरानी और देखरेख सही ढंग से होगी, तो विकास ज्यादा होगा।

सभापति महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद): माननीय सभापति महोदया, मैं इस बजट का बहुत मजबूरी के साथ समर्थन कर रहा हूं। इस बात में मैं अपने बी.जे.पी. के साथियों के साथ सहमत हूं कि जो

[श्री सैयद मसूदल हुसैन]

विकास का काम राज्यपाल से नहीं होता है वह पूरी सरकार से होता है, यह बात तो सच है। लेकिन लोकप्रिय सरकार बनाए कौन? उत्तर प्रदेश से जितने भी माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, मैं उनको इतना याद दिलाना चाहता हूं कि आपकी यू.पी. की जो यह परम्परा बनी है कि सबसे बड़ी सरकार साढ़े तीन साल रही और सबसे छोटी सरकार 18 दिन रही, इनमें से आप बताइए कि लोकप्रिय सरकार कौन सी थी? जिस सरकार की मौत साढ़े तीन साल के अंदर हो जाए और जो 18 दिन से ज्यादा जिंदा न रहे, क्या उसे भी लोकप्रिय सरकार कहेंगे? चुनाव तो हो गया। जनता ने अपनी राय तो दे दी, लेकिन आपने किसी भी दूसरी पार्टी के साथ हाथ मिलाकर सरकार क्यों नहीं बनाई?

सभापति महोदया, यू.पी. सिर्फ हिन्दू-मुसलमान में बंटा हुआ नहीं है। हिन्दू-हिन्दू भी बंटे हुए हैं। यू.पी. में लखनऊ की तहजीब के बारे में हम सब फख्र करते हैं। यू.पी. में शिया और सुन्नी का भी दंगा होता है। शिया और सुन्नी भी आपस में बंटे हुए हैं। वे भी खुद मारपीट करते हैं। भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी काशी हिन्दू यूनिवर्सिटी है। यह सवाल मैंने नहीं उठाया है। आपकी तरफ से उठाया गया है। वहां क्या चल रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है। वहां बाहर के लोग जाकर नहीं कर रहे हैं। वहां केन्द्र सरकार जाकर यह काम नहीं कर रही है। पहले आप अपने लोगों को वहां पर यह समझाइए कि जो यह प्रान्त है, यह हमारा अपना प्रान्त है। यह हमें ही संभालना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसलिए है कि आप सेंटर में बैठे हैं। लोकप्रिय सरकार बने तब कुछ हो। इनसे भी नहीं बन पाई और कई मर्तबा इन्होंने मायावती के हाथ में भी राखी बांधी, लेकिन आज वे भी राखी बंधवाने के लिए हाथ नहीं बढ़ा रही हैं।

महोदया, आप कहेंगे कि वहां की ला एंड आर्डर की स्थिति बहुत खराब है। यह कोई नई बात नहीं है। मैं 1992 के दिसंबर महीने की यदि बात कहूंगा, तो आप कहेंगे कि बाबरी मस्जिद की बात उठा रहा हूं। मैं उससे आगे जा रहा हूं और बागपत की बात कहना चाह रहा हूं जो यू.पी. में है और जहां ला एंड आर्डर की स्थिति खराब है। क्या बागपत यू.पी. में नहीं है? बागपत जैसा घिनौना कांड कहीं दूसरी जगह नहीं हुआ होगा। क्या चंबल घाटी का एक हिस्सा यू.पी. में नहीं है? क्या वी.पी. सिंह जी को इस्तीफा नहीं देना पड़ा था क्योंकि वे अपने जस्टिस भाई को नहीं बचा पाए थे? यू.पी. के लिए यह कोई नई बात नहीं है। आप कहते हैं कि भंडारी जी ऐसे हैं, वैसे हैं। गवर्नर तो गवर्नर होता है। उनकी चाल-ढाल अलग होती है। घोड़े की चाल घोड़ा चलता है और हाथी की चाल हाथी चलता है।

महोदया, मैं माननीय जगमोहन जी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं गवर्नर जगमोहन जी की बात कर रहा हूं। जब वे कश्मीर में गवर्नर थे, तो उस समय हम लोग अपोजीशन में थे और कांग्रेस पोजीशन में थी, लेकिन समर्थन करना पड़ा था। आज भंडारी जी हैं, समर्थन करना पड़ रहा है। यह भी हमारी मजबूरी है। भंडारी जी या कौन है, इससे बड़ी बात यह है कि आज हमारा देश किस हालत में रहेगा, इस पर सोचना है। किसी गवर्नर को करैक्टर सर्टिफिकेट देने के लिए हम यहां खड़े नहीं हुए हैं। उनके भी हर काम में रोकटोक होनी चाहिए, उन पर भी निगाह रखनी चाहिए। भंडारी जी के टाइम में यू.पी. में विकास का काम ठप्प पड़ा है, विकास नहीं हो रहा है, तो क्या जगमोहन जी के टाइम में कश्मीर में विकास का काम होता था, पैसा कहां जाता था?

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली): आप जानकारी करके देखिए। कश्मीर के लोग, जम्मू के लोग आज भी जगमोहन जी को याद कर रहे हैं। जब यहां पर नियम 184 में चर्चा होगी और उस समय इस बात को कहेंगे, तो आपको जवाब भी मिलेगा।

सभापति महोदय: ठीक है, इसके बाद जब आपके बोलने का नंबर आएगा, तो आप जवाब दे दीजिए।

श्री सैयद मसूदल हुसैन: माननीय सभापति महोदया, मैंने तो बोलने के लिए इनको फ्लोर नहीं दिया, फिर ये बीच में क्यों बोल रहे हैं। मैं कहूंगा कि वहां पर जगमोहन जी जैसे गवर्नर को मानने वाले लोग हैं, तो यू.पी. में भी भंडारी जी को चाहने वाले, मानने वाले मौजूद हैं।

अगर यू.पी. में भंडारी जी को चाहने वाले मौजूद न होते तो आज भंडारी जी यू.पी. में न होते। चाहने वाले क्या कहते हैं? सवाल यह है कि यू.पी. का काम कैसे चले? काम चल सकता था लेकिन उत्तर प्रदेश में इससे पहले जो सरकारें सत्ता में आई उन्होंने सत्ता को अपनी जेब में डालकर रखने की कोशिश की और उससे केवल अपना काम करना चाहा। अगर आज डीसैंट्रलाईजेशन ऑफ पावर होता तो शायद यू.पी. का हाल यह न होता। पूरे भारत में पश्चिम बंगाल में एक ही सरकार 20 साल से चल रही है। इसका कारण एक ही है कि 1977 में जब यह सरकार आई तो उसने 1978 में पंचायत का चुनाव कराया और वहां लगातार 5 साल बाद चुनाव हो रहा है। अगर यह डीसैंट्रलाईजेशन ऑफ पावर होता तो शायद यू.पी. का यह हाल न होता। पंचायत के हाथ में पावर जाने के बाद साथ-साथ लैंड रिफार्म होता, गांव की जनता का हाल पता चलता.... *(व्यवधान)*

श्री पी. आर. दासमुंशी (हावड़ा): बंगाल में जो हुआ है वह हिन्दुस्तान में कहीं नहीं होगा।

श्री सैयद मसूदल हुसैन: आइये मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं। भले ही हमारा कांग्रेस के साथ विरोध हो। बजट के बारे में, लैंड रिफार्म में उनकी पूरी मदद दी। उनके साथ मिलकर हमने बजट भी बनाया और लैंड रिफार्म भी किया, बटाईदार का नाम रिकार्ड भी हमने करवाया।

बजट में क्या है और क्या नहीं है, इसके पहले आपको यह सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए था और क्या करना चाहिए।

यू.पी. का हाल बिगड़ रहा है। लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन खराब है। एजुकेशन की हालत खराब है। सड़क की हालत खराब है। कभी आप तो कभी वह, कोई न कोई तो सरकार में रहते थे। जहां लोगों का दिल टूट गया वहां सड़क क्या पूरी रहेगी? पहले आप सब पार्टियां मिलकर लोगों के दिलों को जोड़ने का काम तो कीजिए। जिस हालत में आज यू.पी. के लोग बैठे हुए हैं, दूसरे किसी राज में शायद ऐसा नहीं होगा। .. *(व्यवधान)* आपके लगे हुए हैं। तहजीब एक है और पार्टी भी लगभग एक है। आप छेड़िये नहीं क्योंकि जो जवाब आयेगा वह आपको अच्छा नहीं लगेगा।

श्री मनोज कुमार सिन्हा (गाजीपुर): मजबूरी में बोल रहे हैं। आपको क्या छेड़ेंगे?

श्री सैयद मसूदल हुसैन: हमें मजबूरी में इस बजट को सपोर्ट करना पड़ रहा है। जो बजट स्टेट में पास होना चाहिए था। जिसकी चर्चा स्टेट में होनी चाहिए थी, वह यहां हो रही है। स्टेट के लोग अपना बजट बनाने का काम करते तो अच्छा था लेकिन वह काम यहां पर हो रहा है।

मैं पश्चिम बंगाल का हूं। शरद पवार जी महाराष्ट्र के हैं। मेरा और उनका कोई ताल्लुक नहीं हो सकता लेकिन आज यू.पी. का बजट हमें पारित करना पड़ रहा है। यही मजबूरी है। इस चर्चा की जिम्मेदारी सैंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है। इस चर्चा के जिम्मेदार आप यू.पी. के लोग हैं। .. *(व्यवधान)*

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी): इसके जिम्मेदार आप लोग ही हैं। आप समर्थन न देते तो यह हालत न होती। ... *(व्यवधान)*

श्री सैयद मसूदल हुसैन: सभापति जी, ज्यादा वक्त लेने की कोई जरूरत नहीं है।

इस बजट से विकास नहीं होगा, क्योंकि यह कामचलाऊ बजट है। इसमें ज्यादा नुक्ताचीनी करने की जरूरत नहीं है। नौकरशाही का क्या चलन है, वे क्या करते हैं, हर कोई जानता है। यहां नौकरशाही को गाली देने वाला हर कोई है, लेकिन यह भी मजबूरी है कि नौकरशाही के हाथ से ही काम करवाना पड़ेगा। मैं यह कहूंगा कि हम जितनी ज्यादा गाली देंगे, काम उतना ही बिगड़ेगा, इसलिए गाली भी दीजिए तो जरा होशियारी से और सोच-समझकर दीजिए, क्योंकि उन्हीं को लेकर काम करना है... *(व्यवधान)*

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री: उत्तर प्रदेश में राजनैतिक हत्याएं इसी कारण से हो रही हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। ... *(व्यवधान)*

श्री सैयद मसूदल हुसैन: मैं कार सेवा के बारे में नहीं कह रहा हूं, वह सवाल तो कई बार उठ चुका है।

उत्तर प्रदेश में राजनैतिक हत्याएं कोई नई बात नहीं है और क्रिमिनल्स के साथ राजनीति करने वालों का सम्पर्क भी कोई नई बात नहीं है। कहां गये बृज भूषण शरण सिंह, क्या है उनके खिलाफ चार्ज? एक डाक्टर की मौत के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। एक्स एम.पी. के खिलाफ टाडा का चार्ज मुम्बई के बम कांड के लिए हो तो शर्म से सिर झुक जाता है।

मैं फिर कह रहा हूं कि हालात की मजबूरी है। पंजाब का बजट इसी तरह से कई मर्तबा हमें पास करना पड़ा। लगातार नौ साल तक कश्मीर का बजट पास करना पड़ा। अगर यह चाल न बदली तो न जाने कब तक यू.पी. का बजट हमें यहां से पारित करना पड़ेगा।

मैं आशा करता हूं कि कम से कम यहां के लोग दूसरे राज्यों से कुछ तो सबक लेंगे और सही दिमाग से सही रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे। जो राजनीति करेंगे, ऊपर रहेंगे, वह जो करेंगे, उसका फल नीचे के लोगों को भुगतान पड़ेगा, लेकिन नीचे के लोग ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस बात को भी याद रखिए।

इतना कहते हुए मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ।

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा): एक एम.पी. के तीन बच्चे किडनैप हो गये हैं, गायब हो गये हैं, उसके बारे में भी तो कुछ कहिये।

श्री सैयद मसूदल हुसैन: ठीक है, आपकी अनुमति से मैं यह भी जोड़ रहा हूं कि जो एम.पी. के घर के तीन लोग गायब हैं, उनमें उनका ड्राइवर है, जिस ड्राइवर के खिलाफ मर्डर का चार्ज है। यह भी मैं जोड़े दे रहा हूं।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर): महोदया, मैं अत्यन्त ही पीड़ा के साथ और भारी दिल से इस चर्चा में भाग ले रहा हूं। मैं वित्त मंत्री जी की विवशता को, मजबूरी को भी समझ रहा हूं।

यह काम उनका नहीं है, यह काम इस सदन का भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के निर्वाचित विधायकों को इस पर चर्चा करनी चाहिए थी। प्रदेश के वित्त मंत्री बैठे होते, एक लोकप्रिय सरकार होती, वह लोगों की समस्याओं को जानते हुए, उन समस्याओं के समाधान के लिए बजट के प्रस्ताव लाती। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम यहां चर्चा कर रहे हैं। यह चर्चा भी केवल औपचारिकता है। इसका कोई अर्थ होगा, ऐसा मैं नहीं समझता। सबसे बड़ा प्रान्त, लगभग 15 करोड़ जिसकी जनसंख्या है। देश के हर छह व्यक्तियों में से एक उत्तर प्रदेश से आत है, उस प्रान्त के साथ एक राजनीतिक खेल खेलने के द्वारा पिछले सात-आठ महीनों में दूसरी बार हम बजट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं।

सैयद मसूदल हुसैन जी चले गए। मैं उनको बताना चाहता था। उन्होंने कहा कि यू.पी. वालों की गलती है। अगर वह अपने गिरेबान में निगाह डालकर देखें तो जो विरोधाभास सामने बैठे हुए समस्त

[श्री जगत वीर सिंह द्रोण]

राजनैतिक दलों के बीच है, भारतीय जनता पार्टी के डर के कारण जो 14 दल यहां केन्द्र में सरकार बना सकते हैं, वही दल उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में अड़चनें पैदा कर रहे हैं और रोड़े डाल रहे हैं।

श्री रमेन्द्र कुमार (बेगूसराय): बी.जे.पी. को सरकार बनाने नहीं दिया जा रहा है।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण: मैं यही कह रहा हूं। मेरे कथन की पुष्टि माननीय सदस्य कर रहे हैं, मैंने यही कहा था। येन-केन-प्रकारेण किसी भी तरह से सबसे अधिक जनसंख्या वाले एक ऐसे प्रांत में जिसने इस देश को, दो-तीन प्रधान मंत्री छोड़कर, लगातार प्रधान मंत्री दिए हैं, उस प्रांत के लोगों की जीवन दशा कैसी है, प्रदेश में रहने वाले ही उसको जान सकते हैं, उन्हें ही इसका ज्ञान हो सकता है। जो पीड़ा उस प्रांत के रहने वाले लोगों के बीच में है, उसकी अभिव्यक्ति वे करते हैं। लोक सभा और विधान सभा में अपने जनप्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं। उनसे अपेक्षा करते हैं कि जो प्रदेश के स्तर की समस्याएं होंगी, उनके जनप्रतिनिधि, उनके विधायक उनकी बात को कहेंगे और समाधान होगा। लेकिन वहां दुर्दशा है। मेरा सीधा आरोप इस नाते लग रहा है कि अगर केन्द्र में हमें दूर रखकर आप लोग सरकार बना सकते हैं तो वहां भी बनाइये, हम वहां विरोध में बैठना पसंद करेंगे। लेकिन प्रदेश में लोकप्रिय सरकार आनी चाहिए। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आप दोहरे मापदंडों का प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसका कष्ट वहां की जनता को हो रहा है। जनता उसका चिंतन कर रही है। आगे जब भी कभी चुनाव होंगे तो उसका खामियाजा और दंड आपको भुगतना पड़ेगा।

श्री पी. आर. दासमुंशी: इस सत्र के बाद और अगले सत्र के बीच सरकार बन जाएगी।

श्री रमेन्द्र कुमार: आपको भी भुगतान पड़ेगा। आप चाहते क्या हैं? क्या सरकार बननी चाहिए?

श्री जगत वीर सिंह द्रोण: मैं चाहता हूं आप चुप रहें। मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलता, माननीय सदस्य चुप रहें तो मुझे अधिक प्रसन्नता होगी। वहां कानून और व्यवस्था पंगु हो गई है। रोज हत्याएं हो रही हैं, अपहरण हो रहे हैं और बलात्कार हो रहे हैं। अभी मेरे पूर्व वक्ता हमारे दोस्त ने विस्तार से चर्चा की थी और उन आंकड़ों को प्रस्तुत किया था। उसमें जाकर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता। लेकिन प्रदेश में रहने वाले विशेषरूप से अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उनका पक्ष लेने वाली यहां सामने बैठी हुई सरकार के लिए चिंता की बात है, वह चिंतन करे।

राज्यपाल को चर्चा के विषय में नहीं आना चाहिए। लेकिन अब वह समय समाप्त हो गया जब हम राज्यपाल के आगे महामहिम शब्द का प्रयोग करने पर गर्व का अनुभव करते थे। वे पहले कैसे विचार रखते थे, प्रदेश के कल्याण के लिए उनकी सोच होती थी, लेकिन आज राज्यपाल राजनैतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किये जाते हैं और वे वहां पार्टी के कार्यकर्ता के नाते ही यह कार्य करते हैं। ऐसा दुर्भाग्य और किसी प्रदेश के साथ हुआ होगा, मैं ऐसा नहीं मानता।

उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं। मैं कानपुर से आता हूं। वित्त मंत्री जी के ध्यान में होगा कि कताई मिलें, सूती मिलें, पूरे देश की समस्या थीं, केवल कानपुर की ही समस्या नहीं थी। लेकिन मैं कानपुर से आता हूं इसलिए कहना चाहता हूं कि वहां तीन माह से उनको वेतन नहीं मिला, जिसकी गारंटी सरकार ने दे रखी थी। उसके लिए वित्त मंत्री को भी कहा गया, वस्त्र मंत्री जी को भी कहा गया और प्रधान मंत्री जी को भी कहा गया। जब बातें सामने आईं तो मालूम पड़ा कि बजट में प्रावधान समाप्त हो चुका है उसके लिए कैबिनेट में पुनः जाएगा और फिर धन आएगा। आज फिर वही स्थिति वहां निर्माण हो रही है। आपने दो महीने का वेतन दे दिया था, लेकिन अब फिर उनका वेतन बकाया हो गया है। श्रमिक अशांति उत्पन्न हो गई है।

श्री पी. आर. दासमुंशी: हमारे यहां भी ऐसा हो रहा है।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण: यह पूरे देश की समस्या है। मैंने जो कानपुर में देखा है वह व्यक्त कर रहा हूं।

महोदय, कोई भी लोकप्रिय सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास का चिंतन करती है, उसका दायित्व होता है, उसे यह डर भी लगता है कि उसके कार्यकलाप को वहां की जनता बहुत ही बारीकी से देख रही है। अगर जनहित के कल्याणकारी कार्य वे करेंगे तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और जनता उन्हें आगे अपना समर्थन देगी। लेकिन ऐसा राष्ट्रपति शासन में नहीं हो रहा है। राज्यपाल मेरे कानपुर में आए, मंत्री तो अब है नहीं। राज्यपाल जी को कभी कोई उद्घाटन करना है, कभी कहीं पर कोई कंवोकेशन में भाषण डिलीवर करने के लिए आते हैं तो उस दिन किसी भी अधिकारी को सम्पर्क करना हो, चाहे वे जिलाधीश हों या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हों या डी.आई.जी. हों या आई.जी. हों या कमिश्नर हो या विकास प्राधिकरण का कोई अधिकारी हो, नगर निगम का मुख्य नगर निगम अधिकारी हो, पूरे अधिकारी गण राज्यपाल जी की सेवा में लगे रहते हैं। कोई काम नहीं होता। यदि निर्वाचित सरकार होती तो जन समस्याओं के लिए अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों में उपलब्ध रहते।

अभी सत्यदेव सिंह जी ने बिजली की समस्या के ऊपर प्रकाश डाला। मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा। बिजली के मामले में मैं कहना चाहूंगा कि जिन किसानों के लिए बिजली देने के वायदे किये गये हैं, उनको बिजली बिल्कुल नहीं मिलती। मैं कानपुर नगर का सांसद हूं। मुझे स्मरण है कि एक बार 28 दिन तक लगातार मेरे घर में केवल दो घंटे के लिए बिजली आई। बिजली की समस्या प्रदेश की होती है,

उसे लोक सभा में नहीं उठाना चाहिए, यह मैं जानता हूं। लेकिन बाध्य होकर मजबूरी में मैंने इस समस्या को उठाया है। धन का आबंटन नहीं है। जितना धन चाहिए, उतने धन का आबंटन नहीं किया जाता। ट्रांसमिशन लाइनें बहुत पुरानी हो गई हैं। सब-स्टेशंस की कमी है। ट्रांसफार्मर्स जब जल जाते हैं तो उनके लिए धन नहीं है। साइड-बाई में जो ट्रांसमिशन होने चाहिएं, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कानपुर नगर की बिजली समस्या का समाधान यदि हम तात्कालिक रूप से करना चाहें तो लगभग सौ करोड़ रुपये की न्यूनतम आवश्यकता है। अन्य नगर भी हैं। मैं तो पूरे 15 करोड़ की आबादी की बात कर रहा हूं। क्या ऐसा कोई आबंटन हम इस बजट में बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए कर रहे हैं?

पीने का पानी नहीं है। जो मुझे दसवीं लोक सभा में दो करोड़ पांच लाख रुपया अपने क्षेत्र के विकास हेतु मिला था, उसमें से एक करोड़ 18 लाख रुपया मैंने केवल हैंड पंप पर खर्च किया है जिससे कि तात्कालिक रूप से वहां के लोगों को कुछ राहत मिल जाए और वे प्यासे न मर जाएं। जो पैसा बचा है, उससे सड़कों का निर्माण नहीं हो सकता। कानपुर नगर की सीवर की समस्या ऐसी है कि शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां यह समस्या नहीं हो।

यह बात यहां पर करने की नहीं है, मैं जानता हूं। लेकिन जैसे वहां की बातें आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, इसको प्रदेश की असेम्बली में इन सब बातों को उठाया जाना चाहिए था। लेकिन मजबूरी में यहां पर इसका उल्लेख करना पड़ रहा है। सड़कें नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है तो कहता है कि नगर कहां से प्रारम्भ होगा? रात्रि के समय में अगर कोई आता है तो देखता है कि वहां बिजली नहीं है। खंभे लगे हुए हैं तो बल्ब नहीं हैं, ट्यूब लाइट्स नहीं हैं। एक बार हमारे नेता अटल जी का आगमन हुआ तो कहते हैं कि सड़क गढ्ढे में है या गढ्ढे में सड़क है। ऐसी स्थिति हो रही है।

चिकित्सा की सुविधा नहीं है। जो मूलभूत अधिकार प्रदेश के हैं, वे उसको नहीं दिये जाते। जो दुर्दशा जिला स्तर पर चिकित्सालयों की हैं कि वहां पर दवाईयां उपलब्ध नहीं हैं। वहां पर गंदगी का वातावरण है। कोई भी उपकरण वहां पर नहीं है। एक्सरे तक की सुविधा नहीं है। सब बाहर से कराना पड़ रहा है।

यह ऐसा प्रदेश है कि शिक्षा के क्षेत्र में बुरी तरह से पिछड़ा हुआ है। जो राष्ट्रीय एवरेज है, उससे बहुत पीछे है। हम महिलाओं को आगे लाने की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की शिक्षा केवल साढ़े चौबीस प्रतिशत है। 48 प्रतिशत पुरुषों की है और वहां हम इस प्रकार से बात करते हैं। जिन लड़कियों को हाईस्कूल में 70 प्रतिशत अंक मिलते हैं, उनको ग्यारहवीं कक्षा में एडमिशन लेने के लिए जगह-जगह दौड़ना पड़ता है और विवश होकर उनको प्राइवेट परीक्षा में बैठना पड़ता है। यह एक ऐसी सोच है जो केवल सरकार के द्वारा ही हो

सकती है, राष्ट्रपति जी को क्या मालूम? अनेक बार राज्यपाल जी आए, वर्तमान राज्यपाल भी बड़े उदार और इसके पूर्व में जो थे, वे भी बड़े उदार थे। जिस मंच पर गए, उस पर करोड़ों रुपए की घोषणा उन्होंने कर डाली और जब सम्पर्क लखनऊ जाकर किया गया तो सचिव ने बताया कि कोष में पैसा ही नहीं है। राज्यपाल जी घोषणा कर देते हैं। आज तक राज्यपाल जी ने जितनी भी घोषणाएं की हैं, कम से कम कानपुर को तो कोई भी धनराशि प्राप्त नहीं हुई। यह एक ऐसा प्रदेश है कि जनता को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, उनके बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के लिए विद्यालय नहीं हैं। यदि विद्यालय हैं तो वहां पर कोई व्यवस्था नहीं हैं। चलने के लिए सड़क नहीं हैं और उद्योगों के लिए बिजली नहीं है। जो मूलभूत आवश्यक चीजें हैं, बिजली तथा पानी है, वह भी नहीं है। इन सब के बाद उद्योग धंधे सब चौपट हो रहे हैं। उद्योगों में ताला लग गया है। जो उद्योग परम्परागत उद्योग हैं, वे बंद हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। उनका विनाश हो रहा है। प्रदेश में केवल दो उद्योग धंधे अच्छी तरह से पनप रहे हैं। एक तो स्थानान्तरण का उद्योग और दूसरा अपहरण का उद्योग है। स्थानान्तरण के विषय में मैं आपको बताऊं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी किसी भी जगह के लिए अपना स्थानान्तरण करवा सकता है बशर्ते उसकी जेब में पर्याप्त धन हो। यह कटु सत्य है। किसी का नाम लेकर आरोप नहीं लगा रहा हूं। अगर मैं नाम गिनाना शुरु करूं तो शायद ही कोई हो जो बचे। जो अधिकारी जिला स्तर पर अपनी नियुक्ति करवाकर आते हैं, अगर वे प्रांत की राजधानी में पैसा देकर नियुक्ति कराके आते हैं तो पैसा कहां से लेंगे? जिला स्तर पर जो प्रशासनिक अधिकारी है, वह जिला योजनाओं में हेरफेर करता है। अगर पुलिस का अधिकारी है तो थाने बेचता है। इस तरह की व्यवस्था है। अभी हुसैन साहब कह रहे थे कि बंगाल में एक बड़ी उपलब्धि हुई है और वह उपलब्धि भूमि-सुधार तथा पंचायत के चुनाव हैं। यह सब क्या है? पंचायत के चुनाव उत्तर प्रदेश में भी हुए हैं। जो धन केन्द्र सरकार से प्रांत के द्वारा जाता है, आपको आश्चर्य होगा कि पंचायत स्तर तक जाता है। पंचायत का प्रमुख नेता जब तक लखनऊ में जाकर एक निश्चित प्रतिशत, ढाई प्रतिशत नहीं देता, तब तक उनको धन अभिमुक्त नहीं किया जाता।

भ्रष्टाचार की चरम सीमा ऐसी है कि दुर्दशा प्रांत की हो गई है और उसमें हम मजबूरी के साथ इस बजट को पारित कर रहे हैं। बजट पर्याप्त नहीं है। अगर कानपुर नगर की ही समस्या का समाधान करने के लिए हम कटिबद्ध हो जाएं तो 2000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। अगर आकलन हुआ तो इस बजट में कहां से प्रावधान होगा? यहां से हम इसे पारित करके भेज देंगे, ये रिचुअल्स हैं, ये औपचारिकताएं हैं। इस विषय में कोई गंभीर नहीं है। मजबूरी में वित्त मंत्री जी को बजट लाना पड़ा है। वह कोई प्रसन्नता के साथ इस काम को नहीं कर रहे हैं। मैं इस बात को समझ रहा हूं। प्रांत के बजट को जिस गंभीरता के साथ मंत्री जी को देखना चाहिए, उसके लिए उन्हें समय मिला ही नहीं

[श्री जगत वीर सिंह द्रोण]

होगा। एक सरसरी निगाह डाली होगी, यह मैं मानता हूं। मुझे शिकायत नहीं है। लेकिन मुझे व्यवस्था से शिकायत है। जब तक राष्ट्रपति का शासन राज्यपाल के द्वारा वहां चलाया जाता है, अभी कुछ लोग कह रहे थे कि भाजपा वहां सरकार बनाएगी। वहां भारतीय जनता पार्टी को सरकार न बनाने दिया जाए, ऐसी अनौपचारिक बातचीत वहां के महामहिम राज्यपाल महोदय ने वहां के पत्रकारों से की कि जब तक मैं प्रदेश का राज्यपाल हूं तब तक कल्याण सिंह को मुख्य मंत्री नहीं बनने दूंगा। क्या किसी राज्यपाल को ऐसी बात करनी चाहिए? कुछ लोगों को कष्ट हो रहा है क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है।

श्री भगवान शंकर रावत: यह पार्लियामेंट है, असेम्बली नहीं है... *(व्यवधान)*

श्री रामसागर (बाराबंकी): हम लोग कभी असेम्बली में नहीं रहे। .. *(व्यवधान)*

श्री जगत वीर सिंह द्रोण: मुझे मालूम है कि आपको भी चिंता है... *(व्यवधान)*

मुझे मालूम है, आपको कठिनाई है, आपको चिन्ता है। लेकिन आपकी चिन्ता ऐसी है कि वर्तमान व्यवस्था चलती रहे और हम को इस बात की चिन्ता है कि वहां जो निर्वाचित विधायक हैं, वे एक लोकप्रिय सरकार बनाकर वहां की समस्याओं का समाधान करें। केवल सोच में इतना ही अन्तर है और आपको यह सूट कर रहा है। यह व्यवस्था आपके अनुकूल है। आप जो काम करवाना चाहते हैं, वे करा लेते हैं। पूरे प्रदेश में पूरे जिलों का बराबरी के हिसाब से विकास हो और धन का आबंटन होना चाहिए और योजनायें स्वीकृत होनी चाहिए। मैं पूछता हूं, क्या ऐसा हो रहा है? क्या बाराबंकी और इटावा अपवाद नहीं हैं? जितना भी धन हमारे पास होता है, उसमें पूरा विकास नहीं हो सकता है। एक छोटा सा गांव है, सैफई, जहां मुश्किल से चार-पांच पहलवान पैदा हुए हैं, लेकिन वहां पर स्टेडियम बनाने की क्या आवश्यकता थी। ... *(व्यवधान)* बाराबंकी का विकास हो रहा है। ... *(व्यवधान)* एक गांव का विकास हो और आपके पैतृक गांव का विकास न हो, इस पर आपत्ति है। दूसरे का हक ले कर खा जायें, दूसरा भूखा मर जाए, इस पर आपत्ति है। एक न्यायोचित आबंटन प्रत्येक जिले का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इस बात के मेरे पास प्रमाण हैं, कोई खास तथ्य देने की आवश्यकता नहीं है।

महोदय, मैं समझ रहा हूं, समय की सीमा है और भी वक्ता बोलने वाले हैं। सत्यदेव जी ने अपने अधिकारों से कुछ अधिक समय उपयोग कर लिया है, लेकिन उन्होंने पार्टी के प्वाइंट ऑफ व्यूह को रख दिया है। मैं और बातें कहना तो चाहता हूं, लेकिन अन्य वक्ताओं के साथ न्याय नहीं होगा। इस नाते मैं इस बजट का विरोध करते हुए कहना चाहता हूं कि यह बजट अव्यावहारिक है और सदन में विवशता में प्रस्तुत किया गया है। इस पर वहां के विधायकों के द्वारा चर्चा होनी चाहिए, लेकिन यहां सांसद कर रहे हैं। ऐसा बजट प्रदेश के विकास में गति प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए मैं इस बजट का विरोध करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं।

राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़): सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के बारे में हम उत्तर प्रदेश के सांसदों ने मंत्री जी से आग्रह किया था, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। इस बजट में उत्तर प्रदेश के लिए कुछ खास नहीं मिला है। प्रदेश के लिए पहले जितना पैसा आबंटित किया गया था, इस बार खास नहीं मिला है। हमारा प्रदेश विशाल है, इतना बड़ा है और वहां की जनसंख्या भी ज्यादा है। हम मंत्री जी से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों का कुछ तो उनको ख्याल करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के लिए कुछ धन आबंटन करना था, क्योंकि वहां पर मूलभूत सुविधायें नहीं हैं। सड़कों की हालत बहुत ही जर्जर है। एक बार हमने प्रश्नकाल में मांग की थी कि हमें अलग से दो-तीन सौ करोड़ रुपया दे दें, जिससे हम वहां सड़कें बना सकें और नेशनल हाई-वेज बना सकें। हमें उत्तर प्रदेश के लोगों को गांवों से जीड़ना होगा। यदि धन की सुविधा नहीं होगी, तो हम अपने क्षेत्रों का विकास कैसे करेंगे।

उत्तर प्रदेश में बिजली का भी मसला है। सौभाग्य से सदन में बिजली मंत्री जी बैठे हुए हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे कि वे उत्तर प्रदेश का कुछ तो ख्याल रखें। हम अम्बेडकर गांव में ही बिजली दे सकते हैं और अम्बेडकर गांव में दो पोल लगाकर कागजों में दिखा देते हैं कि पूरे गांव में बिजली हो गई है। प्रदेश के एक हिस्से की बात छोड़िए, दूसरे हिस्से में भी बिजली नहीं है। इस समस्या को लेकर जनता हमारे पास आती है कि उन्हें बिजली नहीं मिली है। मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगी कि उत्तर प्रदेश में रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन स्कीम को बढ़ाया जाये, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है, जहां इलैक्ट्रिफिकेशन की स्कीम नहीं आई है, शायद इस लिए कि वहां से भुगतान नहीं हो रहा है। मंत्री जी को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जहां तक ब्रिजेज की बात है, सड़कों की बात है, शिलान्यास के पत्थर लगा दिये गये हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले सात सालों में, जब से कांग्रेस सरकार गई है, कोई ब्रीजेज या सड़कें नहीं बनी हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत नदियां हैं, जब तक वहां ब्रिजेज नहीं बनेंगे, तो यातायात संभव नहीं हो सकता है।

कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ला-एंड-आर्डर की स्थिति खराब है। यह बात अखबारों में भी आ रही है। यह स्थिति तभी सुधर सकती है, जब पुलिस के पास सुविधायें हों, लेकिन सुविधाओं के लिए धन की आवश्यकता है। इस काम के लिए धन नहीं दिया जाता है। उनके पास कम्युनिकेशन के कोई साधन नहीं है। न जीपों की सुविधा है, जिससे वे इधर-उधर जा सकें। वैसे जीपों की हालत भी जर्जर है। ये जीपें 20-25 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जा सकती हैं। यदि कोई

चोरी होती है, तो वे चोर को कैसे पकड़ेंगे। उनके वायरलैस सिस्टम की हालत भी जर्जर है। स्टाफ भी बहुत कम है। हम चाहेंगे कि जब उत्तर प्रदेश के लॉ एंड आर्डर को जो सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है और खास कर हमारे बी.जे.पी. के भाइयों ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया है... *(व्यवधान)* जब इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया है, तो इसके लिए अलग से पैसे की व्यवस्था होनी चाहिए और स्टाफ भी बढ़ाया जाना चाहिए।

जहां तक लोगों के गरीबी की रेखा से नीचे रहने की बात है, लकड़वाला कमेटी ने आंकड़ा तेरह हजार का दिया है, सुना है कि उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा आठ हजार करने जा रहे हैं, जब कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और बहुत गरीबी व्याप्त है। जब उनकी कोई सरकार नहीं है, तो हमें पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। हम गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों के सही आंकड़े भी नहीं दे सकते हैं। इसके साथ ही हमारे यहां सबसे ज्यादा परेशानी प्रदूषण की है। पूरे भारत की सबसे अधिक श्रद्धेय नदी गंगा हमारे उत्तर प्रदेश से जाती है। लेकिन इस नदी में विभिन्न उद्योगों के द्वारा काफी कैमिकल डाला जा रहा है, जिससे यह नदी नाला बन गई है। प्रदेश में मेरे घर के पास से जो गंगा नदी बहती है, उसकी धारा पतली हो गई है, जबकि अभी मार्च का ही महीना है। गंगा इतनी प्रदूषित है कि वह काली सी लगती है। राजीव गांधी जी के जमाने में गंगा नदी में सुधार किया गया था। मैं चाहती हूं कि इसके बारे में पुनर्विचार किया जाए, जिससे सिर्फ गंगा ही नहीं बल्कि अन्य नदियां भी प्रदूषित होने से बचें। गंगा नदी का पानी तो हम सब लोग पीते हैं, जब गंदा पानी पीयेंगे तो हमारे स्वास्थ्य की हालत क्या होगी। नदियों का पानी इतना खराब है कि पानी पीने वाले का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो हमारे हास्पिटल्स में डाक्टर नहीं है और न ही दवायें हैं। डाक्टर्स तो यहां तक कहते हैं कि दवायें उपलब्ध होना तो दूर की बात है, लेकिन स्टाफ भी उपलब्ध नहीं है। उनके पास अलग से स्टाफ रखने की मान्यता नहीं है। वहां पर बैन लगा रखा है कि डाक्टर्स नहीं रखे जा सकते है। हमारे यहां नए हास्पिटल्स खुल रहे हैं, लेकिन हमारे पास डाक्टर्स नहीं हैं। यही बात जनता दल के माननीय सदस्य ने भी कही है। इस ओर मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए।

जहां तक उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए शिक्षा की बात है, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 10-12 प्रतिशत ही महिलायें शिक्षित हैं। हम चाहेंगे कि केन्द्रीय सरकार महिला शिक्षा के लिए अलग से बजट में प्रावधान करे, जिससे हम हर ब्लाक में महिला शिक्षा केन्द्र खोल सकें और अपनी बहनों को शिक्षित कर सकें।

उत्तर प्रदेश में किसान भाइयों को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनको फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है। बीज नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने मांग की थी कि उत्तर प्रदेश में कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जायें। इसके लिए भी सरकार ने अभी तक धन आबंटित नहीं किया है और इस बजट में भी कृषि विज्ञान केन्द्र के लिए कुछ पैसा नहीं दिया गया है।

अपराह्न 1.00 बजे

यह केन्द्रीय बजट है फिर भी उत्तर प्रदेश को परेशानी हो रही है। हमारा मंत्री जी से अनुरोध है कि इस साल कृषि विज्ञान केन्द्र के लिए और धन का आबंटन करें ताकि किसान भाईयों को उसका फायदा मिल सके।

सभापति महोदया, हमारे उत्तराखंड और पूर्वांचल के जो पिछड़े जिले हैं, इस बार भी उनको भुला दिया गया है। ये क्षेत्र बिल्कुल ही उपेक्षित रह रहें हैं। हम वित्त मंत्री जी और केन्द्रीय सरकार से आग्रह करेंगे कि पूर्वांचल और उत्तराखंड का विशेष ध्यान रखा जाये। उत्तर प्रदेश की हालत इतनी खराब है कि हम क्या कहें? हम तो मंत्री जी से आग्रह ही कर सकते हैं कि हमारे क्षेत्र के लिए और धन का आबंटन करें क्योंकि वहां पर पापुलर गवर्नमेंट नहीं है जो डिमांड कर सके। इसलिए केन्द्रीय सरकार का दायित्व बनता है कि इन क्षेत्रों को उपेक्षित न रखे और इस ओर उचित ध्यान दे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.09 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.09 बजे पुन: समवेत हुई।

[कर्नल राव राम सिंह *पीठासीन* हुए]

उत्तर प्रदेश बजट, 1997-98—सामान्य चर्चा
लेखानुदानों की मांगें (उत्तर प्रदेश), 1997-98
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (उत्तर प्रदेश), 1996-97—*जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, सभा अब वर्ष 1997-98 के उत्तर प्रदेश राज्य के बजट पर सामान्य चर्चा प्रारम्भ करेगी।

श्री संतोष कुमार गंगवार।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली): सर, सबसे पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिए जो समय आबंटित हुआ है उसमें कुछ बढ़ोत्तरी की जाए। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है।

सभापति महोदय: यहाँ पर जो नोट लिखा हुआ है वह तो

[अनुवाद]

यह है कि इसका बिना चर्चा के निपटान किया जाए।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार: वह तो परसों ही हो जाना चाहिए था।

सभापति महोदय: आप स्टार्ट तो कीजिए।

[अनुवाद]

इस पर कितना समय लग चुका है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): चर्चा के लिए मात्र 24 मिनट शेष हैं।

सभापति महोदय: मंत्री महोदय, आप यह कैसे कह सकते हैं? इसका बिना चर्चा के निपटान किया जाना था।

श्री पी. चिदम्बरम: आज सुबह अध्यक्ष महोदय ने इसके लिए दो घंटे आबंटित किये थे जिनमें से 136 मिनट व्यतीत हो चुके हैं और 24 मिनट शेष है जिसमें मेरा उत्तर भी शामिल है।

श्री वी. धनन्जय कुमार (मंगलौर): यदि आप इस पर जोर देंगे तो हमें गणपूर्ति का प्रश्न उठाना पड़ेगा। आप सदस्यों को चर्चा में भाग लेने की अनुमति नहीं दे रहे हैं... *(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: इसे गंभीरता से न लें... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया वह मुझ पर छोड़ दें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मंत्री महोदय बोल रहे हैं। कृपया उन्हें बोलने का अवसर दें।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार: सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में 1990 से लेकर अब तक चार विधान सभाओं के चुनाव हुए ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया वह मुझ पर छोड़ दें।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

आप बैठिए। आपकी पार्टी के मंत्री जी ही बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: मेरे मित्र, श्री धनन्जय कुमार को इन सभी चीजों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए।

श्री वी. धनन्जय कुमार: हम गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। हम आपसे यही अनुरोध कर रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश के बारे में गंभीर रहें।

श्री पी. चिदम्बरम: वह हास-परिहास नहीं समझते। अब क्या किया जाए?

श्री संतोष कुमार गंगवार: सभापति जी, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं कह रहा था कि 1990 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में विधान सभा के चार चुनाव हुए और चुनाव होने के बाद भी पिछले डेढ़ वर्ष में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन रहा। पिछले चुनाव के बाद अब 6 महीने से अधिक हो गए, नई विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हो गए, लेकिन 6 महीने बीतने के बाद, अब फिर से राष्ट्रपति शासन 6 महीने और बढ़ाने की बात हो रही है। उधर जो सत्ता दल के लोग बैठे हैं, उनकी बात मेरी समझ में आती है क्योंकि जिस समय हमारे राज्य में चुनाव चल रहे थे और प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश में चुनाव दौरे पर गए थे तो कानपुर में उन्होंने जो कुछ कहा उसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं—

> ''उत्तर प्रदेश में पहले जो कुछ भी हुआ उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। मैं वास्तव में इस राज्य के भविष्य के बारे में चिंतित हूं।''

आगे उसी में कहा गया है कि:

> ''मैं राज्य के लोगों से वायदा करता हूँ, जो इस समय संकट में हैं, कि यदि वे संयुक्त मोर्चा सरकार को एक मौका देते हैं तो वह सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा। आगामी चार वर्षों में मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि उत्तर प्रदेश आर्थिक रूप से देश का सबसे मजबूत राज्य बने।''

[हिन्दी]

मैं समझता हूं कि शायद उनके भाषण के बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने उनकी बात को पसन्द नहीं किया और इसीलिए उसने तय किया कि उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार न बनने पाए।

अभी मुझसे पूर्व वक्ता ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं बने तो आप सब मिलकर सरकार बना लीजिए, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ निवासियों के साथ जो मजाक हो रहा है, उसका कोई उत्तर आप लोगों के पास नहीं है।

उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय एक जगह भाषण देने गए जहां उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा काम कर रहा हूं कि मैंने उत्तर प्रदेश के सारे खर्च बचा दिए, अगर वहां सरकार बनती तो उसमें 30-40 मिनिस्टर बनते, जबकि मैं अकेला ही अपने 4 सहायकों के साथ उत्तर प्रदेश का शासन चला रहा हूँ जिससे बहुत-सा खर्च बच गया। सभापति जी, यदि ऐसा आप ठीक मानते हैं तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि फिर इस संसद की भी कोई जरूरत नहीं है। आप महामहिम राष्ट्रपति जी को सारे अधिकार दे दीजिए कि वे अपने तीन-चार सहायकों के साथ पूरे देश का शासन चलाएं। फिर इतने सारे मंत्रियों और राज्य सभा तथा लोक सभा पर खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। हम विधान सभाओं पर जो खर्चा कर रहे हैं, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति महोदय ही पूरे देश और प्रदेशों का शासन चलाएं... *(व्यवधान)*

यहां उत्तर प्रदेश का जो बजट आया है, उसे मैंने देखा है। मैं समझता हूं कि कुछ बातें जो उत्तर प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने में सहायक थीं, उन्हें लिखना शायद मंत्री जी भूल गए हैं। आज उत्तर प्रदेश में अपहरण एक उद्योग बन गया है, जिससे बहुत अच्छी आमदनी होती है और यह काम वहां सरकारी संरक्षण में होता है। उत्तर प्रदेश में आज स्थानान्तरण एक उद्योग बन गया है। दिल्ली में बैठकर लोग स्थानान्तरण के लिए सौदेबाजी करते हैं। मेरा विचार है कि इन बातों को भी उत्तर प्रदेश के बजट में जोड़ा जाना चाहिए।

अब हमारे सामने नौवीं पंचवर्षीय योजना आ रही है लेकिन उत्तर प्रदेश की हम चिन्ता नहीं कर रहे हैं। 1990 से अब तक जितने प्रोजैक्ट्स उत्तर प्रदेश में आए, हम उनकी चिन्ता नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के भविष्य का क्या होगा, कैसे होगा, इसकी चिन्ता नहीं की जा रही है। उसकी चिन्ता सिर्फ चुनाव के समय की जाती है। मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में फिर यहां कहना चाहूंगा कि जब वे चुनाव के सिलसिले में गोरखपुर गए थे, उन्होंने वहां 900 करोड़ रुपए गोरखपुर उर्वरक इकाई को चालू करने के लिए देने की बात कही थी और कहा था कि आप लोग हमें वोट दें या न दें, मैं तुरन्त गोरखपुर इकाई पर ध्यान दूंगा। इसकी व्यवस्था को सही करूंगा और उर्वरक मंत्रालय के अधिकारियों को मैं कारखाने में भेजूंगा। मगर वह सब कुछ नहीं हुआ। अगर महामहिम हमारे देश के प्रधान मंत्री जी इस प्रकार की बातें करते हैं, तो इसका जवाब हमारे पास नहीं है। यह इस देश की जनता ही समझेगी।

एक और अच्छी बात है, हमारे माननीय तिवारी जी यहां बैठे हुए हैं, वे याद करें कि 3 अक्तूबर को जब नैनीताल में एक पब्लिक मीटिंग में इस देश के प्रधान मंत्री गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं उत्तराखंड से बिल्कुल सहमत हूं। यह बात अलग है कि यही बात उन्होंने

15 अगस्त को लाल किले से भी कह दी थी, लेकिन जो आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं वह यह है कि उन्होंने अपने भाषण में यह कहा था कि सरकार चाहे किसी की बने, आप लोग यह मान लीजिए कि उत्तराखंड राज्य बन गया और मैं मार्च, 1997 में स्थापना करने के लिए यहां पर आऊंगा। अब मार्च, 1997 में कितने दिन बाकी हैं और मैं समझता हूं कि इस देश का प्रधान मंत्री अपने आपको गैर-जिम्मेदार वक्तव्य देने वाला नहीं मानेगा, ऐसा मेरा मानना है। इसकी घोषणा हमारे वित्त मंत्री जी करें कि 30 मार्च से पहले-पहले उत्तराखंड राज्य की स्थापना की जायेगी। मैं इस मामले में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। मेरे साथी उस क्षेत्र के सांसद इस संबंध में कहेंगे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की समस्याओं की चर्चा हम कहां करें?

हमारे प्रदेश के महामहिम जब राज्यों में जाते हैं, तो घोषणा पर घोषणा करते हैं। अगर पिछले एक वर्ष में प्रधान मंत्री जी और महामहिम राज्यपाल की घोषणाओं का हिसाब किताब किया जाए, तो मैं यह जवाब भी चाहूंगा कि उन घोषणाओं का जिम्मेदार कौन है? उनको कब तक पूरा कर दिया जायेगा। राज्यपाल महोदय, हमारे बरेली में गए वहां पर 15 करोड़ रुपए की घोषणा कर आए और यहां आकर कहा कि स्थानीय सदस्य ने बहुत जोर लगाया इसलिए मैंने कह दिया। मैंने कल टेलीफोन पर जिलाधिकारी से बात की और कहा कि मैं लोक सभा में कुछ बोलना चाहता हूं, महामहिम के बारे में क्या कहूं, तो उन्होंने कहा कि इस साल एक पैसा भी नहीं मिला है, आगे की आप चिन्ता करिए। मैंने उनसे एक सवाल किया कि बजट में कितना पैसा आ रहा है? उन्होंने कहा कि 58 प्रतिशत बजट बरेली के लिए आ रहा है। मैं एक जनपद के बजट के बारे में कहूंगा पिछले बजट की तुलना में आप आधे बजट की कटौती कर रहे हैं। आखिर उत्तर प्रदेश की समस्याओं पर हम चर्चा कहां करें?

नियम 184 में तो जब चर्चा होगी, तब होगी। आज उत्तर प्रदेश में आलू का किसान मारा-मारा फिर रहा है। उसको आलू को ले जाने के लिए ट्रक की कीमत भी नहीं मिल रही है। सरकार की तरफ से उसकी क्या व्यवस्था होगी? उसकी चिन्ता कोई नहीं कर रहा है। हमारे क्षेत्र में 15-20 जनपदों में मेंथा आयल कर के एक बहुत बड़ी खेती होती है। किसान को लग रहा है कि यह कैश क्राप है। इससे पैसा मिल रहा है, लेकिन आज मेंथा आयल की मिनीमम सपोर्ट प्राइस तय करने की किसी को चिन्ता नहीं है। आज किसान परेशान है कि आलू का कोई खरीददार नहीं है। आज किसान परेशान है कि मेंथा आयल का कोई खरीददार नहीं है। गन्ने के मामले में सब को मालूम है कि गोलियां चल रही हैं लोग मारे जा रहे हैं। पुराने गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है और अब एक नई समस्या है कि जो गन्ना आज की तारीख में खेतों में खड़ा है, उसे किसान जलाएगा या रखेगा? क्या बजट पर बहस के समय इन बातों पर चर्चा नहीं होगी? हमारे वित्त मंत्री ने कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मेरी समझ में आता है कि इतने

[श्री संतोष कुमार गंगवार]

सारे लोग यहां बैठे हैं वे उत्तर प्रदेश की समस्याओं और भौगोलिक परिस्थिति से परिचित नहीं हैं।

महोदय, आज उत्तर प्रदेश साक्षरता में पिछड़ रहा है, हम स्वास्थ्य में पिछड़ रहे हैं। हम इक्कीसवीं सदी में जा रहे हैं। मैं स्वास्थ्य के बारे में बताना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों हमारी सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने सारी चीजों के पैसे बढ़ा दिए जिसके कारण मरीज परेशान हो रहे हैं। एक तो दवाइयां नहीं मिल रही हैं और दूसरे मरीज पर्ची लेकर घूम रहे हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि जैसे ही पैसे बढ़ाए, 25 प्रतिशत मरीजों का आना कम हो गया है। गरीब से आपका कोई वास्ता नहीं है। उत्तर प्रदेश, जो देश के सर्वाधिक गरीब राज्यों में से है, जो सर्वाधिक निरक्षर लोगों का प्रवेश है, उसकी आपको चिन्ता नहीं है। आदमी को स्वास्थ्य मिले, इसकी आपको चिन्ता नहीं है। आपको चिन्ता इस बात की है कि कैसे हमारा कब्जा राज्य के ऊपर रहे।

महोदय, मैं बजट के अतिरिक्त तो कुछ ज्यादा बोलने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मेरा मानना यह है कि बहुत सी बातों की चिन्ता करनी चाहिए और यहां पर जो लोग बैठे हुए हैं वे इस बात पर विचार करें कि पूरे देश के अंदर एक दलीय सरकार रहे या बहुदलीय सरकार। इस पर सब लोग मिल कर बैठ कर विचार करें और ऐसा तय करें कि यदि आपकी सरकार नहीं बनेगी, तो किसी अन्य दल की सरकार भी आप नहीं बनने देंगे। यदि यह मानेंगे तो निश्चित रूप से इस देश की जनता भविष्य में आपके साथ क्या न्याय करती है, यह देखना पड़ेगा।

महोदय, समस्याएं बहुत हैं। मैं सारी समस्याओं की ओर ध्यान दिलाना नहीं चाहता हूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी कम से कम इस बात की तो चिन्ता करें कि उत्तर प्रदेश जब 2000 में पहुंचेगा, तब क्या स्थिति होगी। आज महानगरों में पावर-कट हो रहा है। आज महानगरों में चार-चार और पांच-पांच घंटे बिजली नहीं आती है। मैं अभी कुछ दिन पहले बरेली के मेयर के साथ इटावा नगर गया था। जब इटावा नगर में गये तो मैंने कहा कि इटावा नगर से बरेली नगर की सड़कें ज्यादा अच्छी हैं। हुआ यह कि जब हम थोड़ा सा आगे पहुंचे तो एक बहुत ही बढ़िया हाईवे दिखाई दिया तो हमें आश्चर्य हुआ। जब हमने लोगों से पूछा कि यह 10 किलोमीटर का टुकड़ा क्या है तो उन्होंने कहा कि आप शायद जानते नहीं। यह तो इस देश के रक्षा मंत्री जी का गांव है। क्या केवल उस पूरे प्रदेश के अंदर 10 किलोमीटर टुकड़ा और एक गांव ही है। वित्त मंत्री जी को मैं चैलेंज कर रहा हूं कि वह पता करें कि इटावा में उस 10 किलोमीटर टुकड़े के अलावा कितना कहां क्या काम हुआ है। अगर इटावा नगर के अंदर काम हुआ है तो उसका जिम्मेदार कौन है? इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश की जनता आपसे इस बात का जवाब मांगेगी कि हमने जिनको चुनकर भेजा है, वह विधान सभा में बैठकर तय क्यों नहीं करते? एक घंटे पहले आप राष्ट्रपति शासन को रिबोक कर रहे हैं और दो घंटे के बाद आप कह रहे हैं कि स्थिति बहुत खराब हो गयी। यह समझ में आ रहा है कि स्थिति खराब है। स्थिति के बारे में बहुत सारी चर्चायें हो रही हैं। इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का बजट आपके द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के विकास की चिन्ता और जिम्मेदारी इस समय आपके सिर पर है। यहां पर हमारे साथी उत्तर प्रदेश की समस्यायें आपके सामने रखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं।

हमारे जनपद में एक चीनी मिल के स्थानांतरण के लिए 1988 में जगह ली गयी थी परन्तु दुर्भाग्य यह है कि 10 साल होने जा रहे हैं। आज तक उसका स्थानांतरण नहीं हुआ है। इस चीनी मिल को दूसरे स्थान पर नहीं लगाया गया है। उसका कारण उत्तर प्रदेश के अंदर सबका कहना है कि हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे यहां सरकार की एक यूनिट इंडियन टेरपेनटाइन एंड रेजियन फैक्टरी के नाम से है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही अच्छी यूनिट मानी जाती है। माननीय तिवारी जी बैठे हुए हैं। वे इससे परिचित हैं। आज वह बंद होने की स्थिति में है। प्रदेश की सरकार उसे बी.आई.एफ.आर. को भेजना चाहती है। ऑप्टरान की समस्या हमने यहां आपके सामने उठाई थी। हमारे प्रदेश के ऑप्टरान को महामहिम चलाना नहीं चाहते हैं। माननीय अटल जी ने इस बारे में हस्तक्षेप किया और वह प्रधान मंत्री जी को भी मिले। पर समझ में नहीं आता कि हम ऐसी किन-किन समस्याओं के लिए हस्तक्षेप करेंगे।

मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन का जो भी नतीजा रहे, आप कम से कम उत्तर प्रदेश के बारे में चिन्ता करिये। डेढ़ साल होने जा रहा है। महामहिम ने एक बार भी किसी सांसद को बुलाकर वहां की समस्याओं की जानकारी नहीं ली। समिति गठित होना, यह तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। डेढ़ साल के अंदर चाहे वह 10वीं लोक सभा हो या 11वीं लोक सभा हो, के एक भी सांसद को बुलाकर महामहिम ने उस क्षेत्र की समस्याओं की चर्चा नहीं की तो फिर महामहिम उत्तर प्रदेश की किस बात की चिन्ता करते हैं। अगर उन्हें वहां पर हैलीपेड बनाकर घूमने का शौक है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं यह चाहता हूं कि बजट के अंदर चाहे आप दो मिनट का जवाब दें, जो घोषणायें माननीय प्रधान मंत्री जी और महामहिम राज्यपाल के द्वारा पूरे प्रदेश में घूमकर की गयी हैं, उनके बारे में बतायें कि वह झूठे साबित होंगे या उनके ऊपर कुछ कार्यवाही की जायेगी और प्रदेश की जनता उन पर विश्वास कर पायेगी।

अंत में मैं यह कहते हुए कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जो इस सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग अन्याय कर रहे हैं, उसे उत्तर प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। इस सजा का भुगतान आपको आने वाले चुनाव

में निश्चित रूप से उठाना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बृज भूषण तिवारी (डुमरियागंज): सभापति महोदय, मैं इस बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी विरोधी दल के लोग और विशेष कर भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस प्रकार की चिन्ता उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को लेकर, उसके विकास की योजनाओं को लेकर जता रहे थे। मैं उनसे केवल एक ही अनुरोध करना चाहूंगा कि वह अपने मित्र और अपने सह संगठन विश्व हिन्दू परिषद के नेता श्री अशोक सिंघल जी को भी समझायें क्योंकि आज प्रश्न केवल यही है कि जो हमारा यथार्थ है, जो हमारे सामने सही चुनौतियां हैं, अगर उन चुनौतियों का हम मुकाबला नहीं करते। केवल जजबाती मुद्दों को उठाकर प्रदेश के अंदर उत्तेजना पैदा करने की कोशिश करेंगे तो प्रदेश कभी भी तरक्की के रास्ते पर आगे नहीं चल पायेगा।

दिक्कत उनके साथ यह है कि इनके कई रूप हैं और इनकी कई जुबानें हैं। ये केवल गरीब जनता के नाम पर यहां घड़ियाली आंसू ही बहाते हैं। इनका दर्द है श्री मुलायम सिंह यादव। इनका दर्द है इटावा, इनका दर्द है सेफई। मगर उत्तर प्रदेश में जब इनके मुख्यमंत्री थे, जब इनकी सरकार थी ... *(व्यवधान)* आप सुन तो लीजिए। आपने अभी तक कहा है। थोड़ा धीरज रखिए। आपकी भी सरकार थी। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया विघ्न न डालें।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बृज भूषण तिवारी: आपके मुख्यमंत्री हुए। आपकी भी सरकार बनी थी। लोगों ने पूछा और मैं भी सवाल करना चाहता हूं कि आपने कितनी सड़कों का निर्माण किया है। आपने उत्तर प्रदेश के विकास की गति को कितना तेज किया है। जब लोगों ने बार-बार आपके मुख्यमंत्री से पूछा कि हमारी सड़कें कहां हैं। बताओ हमारा स्कूल कहां है तो इनके बड़े ही योद्धा, राष्ट्रीय नेता जो मुख्य मंत्री थे, उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने मुझे मंदिर बनाने के लिए भेजा था, सड़क बनाने के लिए नहीं भेजा था। आज वही स्थिति है, वही कारण है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश की राजनीति भंवर जाल में फंस गई है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के संसद् सदस्यों से और लोगों से कहना चाहूंगा कि आज आत्मचिन्तन करने की आवश्यकता है कि क्यों ऐसी परिस्थिति आई।

लोग जानते हैं कि अब एक दल की सरकार नहीं बनेगी। अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो मिल-जुलकर, बैठकर, साझेदारी से प्रदेश की प्रगति के बारे में विचार करना होगा। आपको कई बार मौका

दिया गया, मिलकर, साथ रखकर, सरकार बनाकर, परन्तु हर बार आप केंचुल की तरह अपना रंग बदलते रहे और प्रदेश को और देश को अराजकता की आग में झोंकते रहे। आज आपके सामने यह राज्यपाल का प्रश्न है। राज्यपाल का कौन सा प्रश्न है, यह परिस्थिति किसने पैदा की। अगर यह संवैधानिक अनिवार्यता है कि राज्यपाल का शासन होगा तो राज्यपाल रहेगा।

आपने एक मौत के बारे में हल्ला मचाया। मेरे दल के कितने नेता, मेरे दल के कितने विधायकों की सरेआम हत्या कर दी गई, आपको मालूम होना चाहिए कि इलाहाबाद के सिविल लाइंस में सरेआम हमारे विधायक की हत्या कर दी गई। हमने कोई बात नहीं उठाई, इसलिए मैं आज निवेदन करना चाहूंगा कि जो उत्तर प्रदेश है, उसके राजस्व को बढ़ाने का उपाय सोचना चाहिए। दिल्ली की सरकार से भी मैं कहना चाहूंगा कि उसकी आबादी के हिसाब से, उसकी गरीबी और पिछड़ेपन के हिसाब से उसे अधिक पैसा देना चाहिए। यही जगह है, यही सदन है कि गाजीपुर के गमरी जी जब अपने इलाके का, पूर्वांचल का चित्रण करने लगे तो उन्होंने कहा था कि हमारे यहां के लोग गोबर में से अनाज निकालते हैं, उसको खाकर जिंदा रहते हैं। उनकी बातों को सुनकर, उनकी भावनाओं को सुनकर तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू जी इतने भावुक हो उठे कि उन्होंने तत्काल पटेल कमीशन की घोषणा की थी। आज पटेल कमीशन कहां है।

आज उत्तर प्रदेश के केवल पूर्वांचल का ही मामला नहीं, आज बुन्देलखंड का मामला है, आज मिर्जापुर के उन इलाकों का मामला है, जहां पहनने को साड़ी नहीं है, जहां साफ पीने का पानी नहीं है। मैं फूलन देवी के चुनाव में गया था, वहां पीने को जो पानी मिला, कोई भी आदमी उसको पी नहीं सकता, उसको पीने के बाद मैं डायरिया का मरीज हो गया, तो ये सारे प्रश्न हैं।

मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में लोक-शासन होना चाहिए, जनता का शासन होना चाहिए। उसके साथ ही साथ जो केन्द्र की योजनाएं जाती हैं, चाहे वह इन्दिरा आवास की योजना हो, चाहे सुनिश्चित रोजगार की योजना हो और चाहे लोकल एरिया फंड हो। लोकल एरिया फंड के बारे में स्पीकर साहब ने अपने कोड़े को, अपने चाबुक को मजबूत किया है, मगर सुनिश्चित रोजगार योजनाओं के बारे में जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं रहती, मनमाने तरीके से अधिकारी और मनमाने तरीके से उनके चुनिंदा ठेकेदार और दलाल सारा माल लूटकर खा जाते हैं, इसलिए मेरा सदन से अनुरोध है कि उत्तर में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए, यह बार-बार इस सदन में उठ चुका है। दूसरी चीज, संसद् सदस्यों की राय भी उसमें ली जाये। उसी के साथ-साथ पूर्वांचल विकास निधि थी, इस पूर्वांचल विकास निधि की शुरुआत मुलायम सिंह यादव ने की। आज जिस मुलायम सिंह यादव की सेफई की सड़क आपको बहुत नजर आती है, परन्तु पूर्वांचल

[श्री बृज भूषण तिवारी]

विकास निधि का पैसा किसने आवंटित किया, किसने दिया, यह नजर नहीं आता। आपकी सरकार बनी थीं, आप अगर पूर्वांचल विकास निधि के पैसे को बढ़ा देते, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप मेरी बात सुनिये। समय कम है। ... *(व्यवधान)* केवल पूर्वांचल विकास के लिए ही नहीं ... *(व्यवधान)*

***श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** (झांसी): मैं उस समय उत्तर प्रदेश में था, तब यह तय हुआ था, जिसकी आप बात कर रहे हैं। उस समय मैं* विधायक था, यह उस समय तय हुआ था, जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं।

श्री बृज भूषण तिवारी: आप उसको चुनौती दीजिए। वह केवल पूर्वांचल के लिए नहीं, बुन्देलखंड के विकास के लिए भी था, उत्तराखंड के विकास के लिए भी विशेष धन आवंटित किया गया है। इस प्रकार से मैं यह कहना चाहूंगा कि अब पूर्वांचल विकास निधि का पैसा 50 फीसदी कलैक्टर और कमिश्नर को खर्च करने को दे दिया गया है, यह गलत बात है। उस पैसे को वापस करना चाहिए और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वह पैसा खर्च होना चाहिए।

मैं वहां पर्यटन के बारे में जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, संस्थागत सड़कों की बात, बिजली की बात, ये सारी बातें कही गई हैं। मैं आज भी यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का विकास उसके अपने साधनों के बल पर नहीं हो सकता, जब तक दिल्ली की सरकार, केन्द्र की सरकार और योजना भवन उसके लिए विशेष राशि, विशेष धन आवंटित न करें।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अलमोड़ा): माननीय सभापति जी, उत्तर प्रदेश का विकास जो अवरुद्ध हो रहा है, उसके संबंध में उत्तर प्रदेश के हमारे अनेक माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचारों को व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश में विशेषरूप से उत्तराखंड बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। मैं उसी क्षेत्र से चुनकर आया हूं। वहां की जनता ने पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्तराखण्ड राज्य का आंदोलन करके अब उसको जनांदोलन के रूप में खड़ा कर दिया है। उसके पीछे मूलभूत कारण यह था कि विकास के क्षेत्र में उत्तराखंड की उपेक्षा हुई और वहां का जनजीवन, वहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय प्रदेश में सबसे कम रही है। मैं अपनी बातों को उत्तराखंड की समस्याओं तक ही सीमित रखूंगा।

उत्तराखंड के संबंध में दो बार प्रदेश की विधान सभा से प्रस्ताव पारित करके यहां भेजा गया। एक प्रस्ताव 12 अगस्त 1991 को पारित हुआ और जब मुलायम सिंह जी वहां के मुख्य मंत्री थे तब 24 अगस्त 1994 को दूसरी बार प्रस्ताव पारित हुआ। महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसको 24.5.1996 को सम्मिलित किया गया और भारत सरकार की ओर से कहा गया कि भारत सरकार ने निर्णय ले लिया है। उसके बाद इसकी पराकाष्ठा करते हुए प्रधान मंत्री जी ने लालकिले से बोलते हुए अलग उत्तराखंड राज्य की घोषणा कर दी। आज उत्तराखंड की जनता एकमात्र सवाल यही पूछती है कि माननीय प्रधान मंत्री पूरे उत्तराखंड के क्षेत्र में यह कहकर आए कि 31 मार्च, 1997 तक उत्तराखंड राज्य बन जाएगा, उसका क्या हुआ? हम लोगों ने भी *यहां इस विषय को नियम 377 और शून्य काल में कई बार उठाया।* लेकिन प्रधान मंत्री जी की ओर से इस संबंध में आज तक सदन में कोई बयान नहीं आया। क्या कारण है कि उत्तराखंड के राज्य के निर्माण की ओर कोई ठोस प्रगति नहीं हो रही है? क्या 31 मार्च 1997 तक के वादे पर प्रधान मंत्री जी कायम है? या फिर वचन जाए पर सत्ता न जाए, इस पर कायम हैं। इसलिए इस पर कोई आश्वासन आना चाहिए। मैं मांग करूंगा कि यह एक ज्वलंत मुद्दा है, जिसके पीछे वहां के लोगों का व्यापक समर्थन है। इस कारण वहां पर लोगों पर अत्याचार भी हो रहे हैं। इससे उनके मन में घोर निराशा व्याप्त हो रही है और यह कुंठा में बदल रही है। अगर कुंठा आने वाले समय में आक्रोश के रूप में पैदा होती है तो इसकी जिम्मेदारी वर्तमान केन्द्र सरकार के ऊपर होगी। इसलिए मैं शीघ्र ही उत्तराखंड राज्य की स्थापना की मांग करना चाहता हूं।

उत्तराखंड का 65 प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र है। वहां के ग्रामवासियों ने और निवासियों ने उसे बहाल रखा। उस वन क्षेत्र में कोई कमी नहीं आने दी। लेकिन 12 दिसम्बर 1996 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। उसके अनुसार पूरे पर्वतीय क्षेत्र और विशेष रूप से उत्तराखंड के क्षेत्र में लकड़ी की कटाई, चारा-पत्ती की कटाई पर रोक लगा दी गई। यह रोक वन संरक्षण अधिनियम 1980 की व्याख्या करते हुए लगाई गई। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के ऊपर विभिन्न आरोप लगे हैं। उसमें एक और आरोप मैं अपनी ओर से भी जोड़ना चाहता हूं। वह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की ओर से कोई पैरवी नहीं की गई कि उत्तराखंड क्षेत्र के निवासियों के वनों के भीतर जो लकड़ी काटने, इमारती लकड़ी की कटाई और चारा-पत्ती लाने का परम्परागत अधिकार था और पिछले जंगल के समय से रिकोग्नाइज्ड राइट्स थे, जो राइट होल्डर्स थे उनके लिए कोई पैरवी नहीं की गई। उसका नतीजा यह हुआ कि पर्वतीय क्षेत्र में लकड़ी के लिए और यहां तक कि मुर्दों को जलाने के लिए, हिंदू धर्म के अनुसार, भी लकड़ी उपलब्ध नहीं है। इससे जनजीवन दूभर हो गया है। राज्य सरकार को निर्देश जाना चाहिए कि जो वहां पर कंसेशन हैं, जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से पैरवी की गई थी और वहां के कंसेशनिस्ट्स को, परमिट होल्डर्स को छूट दी गई, हमारे क्षेत्र में भी सुप्रीम कोर्ट ऐसी छूट दे। पर्वतीय क्षेत्र में हम लोगों का जनजीवन दूभर हो गया है।

पिछले कई वर्षों से लोक सभा और राज्य सभा में पेयजल के मुद्दे पर चर्चा उठाई गई। उत्तर प्रदेश के बजट में जो व्याख्या इस संबंध में आई है, उसमें इसका वर्णन अवश्य है, लेकिन सिर्फ कागजों में यहां दिखाया गया है कि कुछ ही गांव ऐसे रह गए हैं जिनको पेयजल की आपूर्ति से पूरा किया जाना है, लेकिन वास्तविकता क्या है? वहां अधिकांश गांवों में पेयजल की स्थिति दयनीय हो चुकी है। जो प्राकृतिक स्रोत हैं जिनसे पेयजल की आपूर्ति होती थी, वे सूखते चले गए हैं। राज्य सरकार के पास ऐसा कोई कोष नहीं है कि जो स्कीम बनाए और पेय जल की पूर्ति करे। पेय जल के लिए विशेष प्रावधान और योजना बनाने की आवश्यकता है।

एक ज्वलंत विषय है। आपने उत्तराखंड को तो राज्य का सैद्धांतिक रूप में दर्जा दे दिया। आपकी ओर से घोषणा कर दी गई। हमने इसी सदन में पहले भी प्रश्न उठाया था कि 1992-93 में हिमाचल प्रदेश को 512 करोड़ रुपया विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में दिया गया है। यह मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं। मेरे पास इसके आंकड़े हैं। केन्द्रीय सहायता के बारे में उत्तराखंड विकास ने आंकड़े दिए हैं। 512 करोड़ हिमाचल को केन्द्रीय सहायता मिली है और उत्तराखंड का क्षेत्र जो उससे क्षेत्र में बराबर है और जिसकी जनसंख्या उससे नौ लाख ज्यादा है, हमको केवल 82 करोड़ हिल एरिया डैवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत दिया जा रहा है। हमको मात्र इतना मिल रहा है। एक तरफ तो आपने हमको राज्य का दर्जा दे दिया और दूसरी तरफ सहायता नहीं मिली। हम स्वागत करते हैं कि हिमाचल प्रदेश का बढ़ा है, नोर्थ ईस्ट का बढ़ना चाहिए, जम्मू-कश्मीर का 650 करोड़ बढ़ा। हम सबने इसका स्वागत किया कि यह बहुत अच्छी बात है। उत्तराखंड के लोगों का केवल इतना ही अपराध है कि उन्होंने उत्तराखंड की मांग संविधान के दायरे के अंदर की थी और पूरे देश ने एक आम सहमति यह व्यक्त की है कि उत्तराखंड का राज्य बनना चाहिए। यह हमारा अपराध हो गया और आज हमारी स्थिति त्रिशंकु जैसी हो गई है। न राज्य बन रहा है और राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश को पिछड़ा राज्य कहकर जो दिया जा रहा है, वह हमें भी मिलना चाहिए। लेकिन हमारा भी जो एरिया है, उसको क्यों नहीं मिल रहा है? इस बारे में उत्तर नहीं आ रहा है। नतीजा यह रहा कि सारे डैवलपमेंट प्रोग्राम जहां के तहां रह गए। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जवाबदेह नहीं हैं। उनके विभिन्न विभागों का कहना यह है कि आपका उत्तराखंड राज्य बन रहा है, आप अपनी योजनाओं अपने राज्य में बना लीजिए। कहां से बना लें? इधर से सुनवाई नहीं होगी, उत्तर प्रदेश से नहीं होगी, राज्य नहीं बनेगा और न यहां आश्वासन मिलेगा। तो इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। हिमाचल प्रदेश को जो 512 करोड़ रुपया दिया है, उसके समकक्ष होना चाहिए, और इस बारे में पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कमिटमेंट हुआ था।

अब मैं अधिक समय न लेते हुए खाद्यान्न के विषय में कहना चाहूंगा। मैंने कई बार खाद्यान्न के बारे में प्रश्न उठाया था। माननीय मंत्री जी की ओर से कह दिया जाता है कि यह डिस्ट्रीब्यूशन राज्य का विषय है और आज स्थिति यह है कि यहां पर अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र हैं, जैसे मुन्सयारी, मदकोट तथा गरुड़ आदि ऐसी-ऐसी तहसीलें हैं जहां दो किलो प्रति यूनिट चावल भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। जबकि 8 किलो पर यूनिट मिलना चाहिए और इतना निर्धारित है। एफ.सी.आई. के गोदामों से जो खाद्यान्न सस्ते गल्ले की दुकानों पर पहुंचना चाहिए, वह नहीं पहुंच रहा है। लोगों में त्राहि-त्राहि मची हुई है। भोजन के लिए सस्ते गल्ले की दुकानों के लिए जो खाद्यान्न मिलना चाहिए, उसके लिए व्यवस्था नहीं है। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, जिसका प्रावधान इस बजट में किया जाना चाहिए था, पिछले बजट में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया है। उसको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। एक योजना 1988 में स्वीकार की गई थी "पशु प्रजनन और भ्रूण प्रत्यारोपण संस्थान", नारियल गांव जिला पिथौरागढ़ में 35 लाख रुपया खर्च करके उसकी बाउंडरी वॉल से जमीन का अधिग्रहण हो गया। तब से वह योजना जहां की तहां पड़ी हुई है। गांव वालों की खेती की जमीन ले ली गई। तब से न तो कोई योजना बन रही है और न ग्रामवासियों को कोई लाभ मिल रहा है। उस योजना को पूरा करने के लिए बार-बार मांग करने के बाद भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यह स्थिति अत्यंत दुखद है।

हिल कैडर के मामले में भी वित्त मंत्री जी का आश्वासन माननीय प्रधान मंत्री जी के आश्वासन की तरह से मात्र कोरा आश्वासन बनकर रह गया। माननीय वित्त मंत्री जी ने इसी सदन में कहा था कि पर्वतीय सेवा कैडर जो 1992 में लागू किया गया था, उसको लागू किया जाएगा। पर्वतीय क्षेत्र में सभी खाली पदों पर भर्तियां की जायेंगी ऐसा माननीय मंत्री जी का आश्वासन रहा है। आज पर्वतीय क्षेत्रों में कर्मचारियों की ओर से, नौजवानों की ओर से, आन्दोलन चल रहा है। हिल-कैडर में लोगों की भर्ती होनी चाहिए और साथ ही प्रमोशन के मामले में भी सारे के सारे नियम लागू होने चाहिएं।

अंत में, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। सारे उत्तर प्रदेश का ढांचा बिगड़ रहा है। प्रशासन लखनऊ में राज्यपाल के स्तर से लेकर जिला, गांव, तहसील और ब्लाक तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं एक शेर आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं। यह किसी और संदर्भ में होगा, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूरी तरह से ठीक है। किसी शायर ने कहा है-

बरबाद गुलिस्तां करने को, एक ही उल्लू काफी है
अंजामे गुलिस्तां क्या होगा, हर शाख पर उल्लू बैठा है।

[श्री बची सिंह रावत 'बचदा']

मैं इस पूरे बजट का विरोध करता हूं और क्रमांक 1 से 171 तक जो मेरे कटौती प्रस्ताव हैं, उन पर मैं बल देते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं नहीं समझता कि किसी व्यक्ति विशेष का उल्लेख किया गया है। वह जंगल के कुछ पक्षियों और जंगली जानवरों का उल्लेख कर रहे थे।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन: सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक शेर कहना चाहता हूं। वह शेर है:-

मन चाहे जितना भी भजन अपने घर में किया करो,

यह सदन है, यहाँ तहजीब से आया करो,

यहाँ की हिदायत पहुंचती है, देश के कोने-कोने में (टी.वी. लगा हुआ है),

लोकतंत्र की कोई गलत सूरत अपने ही बच्चों को दिखाया न करो।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब मैं सभा की राय जानना चाहता हूँ कि यह चर्चा कब तक जारी रखना चाहते हैं।

श्री शरद पवार (बारामती): हम उत्तर चाहते हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: काफी हो चुका। यह क्या है?

सभापति महोदय: क्या हम कह सकते हैं कि मंत्रीजी अपराह्न 3.00 बजे अपना उत्तर देंगे?

श्री पी. चिदम्बरम: यह सब क्या है? अन्य विधेयक भी पारित किया जाना है।

श्री वी. धनन्जय कुमार: हमारे कुछ सदस्य अपना पहला भाषण देना चाहते हैं।

सभापति महोदय: मैं सभा की इच्छा पर हूं। प्रस्ताव यह है कि मंत्री महोदय अपना उत्तर अपराह्न 3.00 बजे या अपराह्न 3.30 बजे, जो भी निर्धारित किया जाए, शुरु कर सकते हैं। कृपया हमें बतायें।

श्री पी. चिदम्बरम: जब तक हम यह चर्चा अपराह्न 3.15 तक समाप्त नहीं कर लेते तब तक हम अन्य विधेयक, जो उतना ही महत्वपूर्ण है, पर चर्चा कैसे कर सकते हैं? आप सभी अपनी चर्चा अपराह्न 3.15 तक समाप्त कर लें।

सभापति महोदय: मेरे विचार से माननीय मंत्री का यह एक अच्छा प्रस्ताव है कि वह अपना उत्तर अपराह्न 3.15 बजे देंगे। अत:, मेरा अनुरोध है कि आप लोग छह से सात मिनट में अपनी-अपनी बात कहिएगा।

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) (पश्चिम बंगाल): महोदय, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मेरे मित्रों को बोलने का मौका मिला परन्तु हमारे दल आर.एस.पी. को बोलने का कोई मौका नहीं मिला है।

श्री शरद पवार: आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं है।

श्री प्रमथेस मुखर्जी: मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला नहीं हूँ। मैं भारत वर्ष का रहने वाला हूँ।

सभापति महोदय: श्री नारायण दत्त तिवारी के बाद मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

[हिन्दी]

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल): सम्मानित अधिष्ठाता महोदय, किन शब्दों में मैं अपने उद्‌गार उत्तर प्रदेश के प्रस्तुत बंजट के संदर्भ में व्यक्त करूं। पिछले 55 वर्षों से मुझ सेवक को सौभाग्य मिलता रहा है और मैं इस बीच निरंतर उत्तर प्रदेश के बजट का अध्ययन करता रहा हूं। नौ बजट स्वयं आपके इस सेवक को उत्तर प्रदेश की विधान सभा में विभिन्न वर्षों में प्रस्तुत करने का शुभ अवसर मिला।

सभापति महोदय: अगर आप आगे आ जाएंगे तो आपका भाषण और इंप्रेसिव हो जाएगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी: सभापति जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने तथा इस सम्मानित सदन के सदस्यों ने कृपा करके मुझ सेवक को यह सम्मान दिया।

मैं कह रहा था कि पिछले 50 वर्षों से मुझे उत्तर प्रदेश के बजटों का अध्ययन करने का अवसर मिला है और स्वयं भी मुझे अत्यंत विनम्रतापूर्वक नौ बजट प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। आज जब 21वीं सदी की देहरी पर हम खड़े हैं और नवीं पंचवर्षीय योजना का हम इस प्रथम बजट के रूप में आकलन कर रहे हैं, तो हृदय और मस्तिष्क विदीर्ण हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है। मैं किसी राजनीतिक दल को या वर्तमान संदर्भ को इस संबंध में चिह्नित नहीं करना चाहता। यह उसका अवसर नहीं है। सवाल यह है कि उत्तर

प्रदेश का बढ़ता हुआ पिछड़ापन कैसे दूर हो? इस छोटे से बजट में कितने आंकड़े भरे हुए हैं। मैं ही क्या, सदन के अधिकांश माननीय सदस्य शायद घंटों तक उन आंकड़ों को पढ़ सकते हैं, उनका मनन कर सकते हैं और उनका उदाहरण दे सकते हैं। लेकिन चिन्ता का विषय यह है कि यह राष्ट्र की चिन्ता का विषय है कि उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसकी आर्थिक स्थिति, प्रति व्यक्ति आमदनी, औद्योगीकरण, बढ़ती हुई बेकारी, बिजली का अभाव, ये सब राष्ट्र के ऊपर बोझ बन जाता है जो उत्तर प्रदेश की करोड़ों जनता नहीं बनना चाहती। इसलिए भारत के इस सम्मानित सदन के सभी माननीय सदस्यों को सोचना है कि उत्तर प्रदेश का विकास कैसे संभव हो। हमारे असाधारण ज्ञान रखने वाले वित्त मंत्री ने डेवोस में अंतर्राष्ट्रीय जगत के उद्योगकर्ताओं के सामने एक बात कही—

[अनुवाद]

"आप भारत आयें, अपने भागीदार का चयन करें, तत्पश्चात राज्य चुनें और फिर निवेश करें।"

[हिन्दी]

इस संदर्भ में क्या आज कोई उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए आने को तैयार है? क्या उत्तर प्रदेश में उद्योग के लिए, बिजली के लिए, इनफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सड़कों के लिए कोई पार्टनर ढूंढेगा? क्या आज के हालात में यह संभव है? लिबरलाइज्ड इकोनोमी में जब हम उदारीकरण की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े राज्यों पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। उदारीकरण की अर्थ-नीति से जैसे पिछड़े देशों के अनेक भाग अधिक पिछड़े हो गए हैं, वैसे पिछड़े राज्य अधिक पिछड़े न हों, और देश के सभी राज्यों में पिछड़े क्षेत्र अधिक पिछड़े न हों, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। संयुक्त मोर्चा का जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम है, उसमें भी इस बात को कहा गया है कि हम बैकवर्ड रीजन्स के लिए विशेष योजनाएं बनाएंगे। प्रधान मंत्री जी ने उसका उल्लेख भी अपने भाषणों में किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो बजट प्रस्तुत हुआ है, इसमें उन घोषणाओं का प्रभाव नहीं दिखता है। मैं जानता हूं कि इसमें वर्तमान युवा वित्त मंत्री जी का कोई दोष नहीं है। क्या यह बजट है? इसमें बजट का फोरमेट नहीं है। एक पेज का वित्त मंत्री का बजट भाषण है। उसके लिए मैं उनको दोष नहीं देता क्योंकि हालात ऐसे थे कि कभी चुनी हुई सरकार बन सकती थी। इसमें प्रशासन तंत्र का भी दोष नहीं है क्योंकि कहीं असेम्बली न बुला ली जो, सरकार न बन जाए इसलिए सही बजट नहीं बन पाया। उत्तर प्रदेश का पिछले वर्षों में दुर्भाग्य रहा है कि न स्थिर सरकार हम दे सके और न वहां स्थिर बजट बन सका और न स्थिर योजनाएं बन सकीं। इसमें ही लिखा हुआ है कि इस बजट में किसी योजना की मद में कोई धनराशि स्पष्ट नहीं है।

चूंकि प्लानिंग कमीशन ने यू.पी. के बजट की मदों को अभी स्वीकृत नहीं किया है। अब इसमें हम क्या बोलें, हमें मालूम ही नहीं कि किस पिछली योजना की मद से अगले वर्ष के बजट के साथ योजना की नई प्रचलित मदों को कैसे मिलायें कि बिजली कितनी है, कितने रोजगार बढ़ते हैं क्योंकि अभी योजना मद है ही नहीं, क्योंकि बजट अभी अधूरा है, आंकड़ों का प्रकाशन मात्र अवश्य है। लेकिन जब योजनाएं ही मालूम नहीं हैं तो बजट में पूरा प्रावधान मदवार क्या होगा तथा कब होगा। छः महीने राष्ट्रपति शासन बढ़ चुका है, छः महीने और चले जायेंगे। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री और शासन से कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के लिए, जिसकी सीधी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है और उन सभी राज्यों की, जिनके लिए केन्द्र की जिम्मेदारी होती है उनके बजट की ओर केन्द्र को विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसा पहले हुआ भी है। मैं जानता हूं कि माननीय वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम साहब को यह अवसर नहीं मिला। लेकिन मैं यह चाहूंगा कि जब वह केन्द्रीय बजट पर अपने विचार व्यक्त करें और प्लानिंग कमीशन को भी यह चाहिए कि आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर यह असंतुलन रोकना है तो प्लानिंग कमीशन को उत्तर प्रदेश के लिए एक स्पेशल सब-कमीशन बनाना चाहिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश पर जो आज एप्रोच पेपर प्लानिंग कमीशन का है उसमें इंगित किया गया है कि पिछले वर्षों में इन प्रदेशों का पिछड़ापन बढ़ा है। बढ़े हुए पिछड़ेपन के आंकड़े ही आंकड़े हैं कि चार-पांच राज्यों में और सभी राज्यों में, अब भाई शरद पवार जी यहां बैठे हैं, महाराष्ट्र में कितने पिछड़े क्षेत्र हैं, अगर उन सभी पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष प्रयास हम नहीं करेंगे तो लिब्रेलाइजड इकोनोमी में हो सकता है कि सेनसेक्स ऊंचा बढ़ जाए, यह भी हो सकता है कि हम फौरेन इन्वेस्टमेंट भी ले आयें, यह भी हो सकता है कि ऐसी-ऐसी नयी से नयी टैक्नोलोजी प्राप्त कर लें, लेकिन एक और वह भारत होगा कि जहां पर पिछड़े हुए राज्यों और पिछड़े हुए क्षेत्रों में न इंडस्ट्रीज होंगी, वहां इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी क्योंकि ओपन इकोनोमी मार्केट में वहां इंडस्ट्रीज उनके सर्वे के अनुसार नहीं लग सकती हैं, तो कोई भी वहां इंडस्ट्रीज नहीं लगायेगा, उनके लिए वाएबल नहीं होगा। हम सब्सिडी खत्म कर रहे हैं। फिस्कल इंसेंटिव देने के लिए चार बजटों से घोषणा हो रही है कि पिछड़े हुए राज्य जैसे उत्तर प्रदेश है, को इंडस्ट्रियल फिस्कल इंसेंटिव दिया जायेगा। कमेटी रिपोर्ट विचाराधीन है। यूनाइटेड फ्रंट के कॉमन मिनीमम प्रोग्राम में लिखा हुआ है कि देश के पिछड़े राज्य और पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिए हम फिस्कल इंसेंटिव देंगे, जैसा कि कुछ राज्यों नॉर्थ ईस्टर्न भारत, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में दिया गया है। उत्तर प्रदेश के लिए और दूसरे पिछड़े राज्यों के लिए क्या इंसेंटिव है, आज कोई इंडस्ट्रीज लगाने के लिए तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में सैंकड़ों एम.ओ.यू. पर दस्तखत हो चुके हैं। प्रदेश का एम.ओ.यू. में तीसरा नंबर है, अगर आंकड़े देखें, लेकिन कितने उद्योग आ रहे हैं, चीनी मिलों को छोड़कर कौन आ रहा है चूंकि प्राइवेट सैक्टर में लगने हैं, वहां गन्ना बहुतायात से है। वहां अधिक पैसा नहीं है। बेकारी का हाल क्या है। मैं समझता हूं कि अगले पांच-दस साल में सारे देश और उत्तर प्रदेस के पिछड़े

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

क्षेत्रों से मासिव माइग्रेशन होगा बड़े शहरों की ओर कोस्टल सिटीज की ओर हर जगह और राज्यों के अंदर भी होगा और उत्तर प्रदेश से ज्यादा होगा और दूसरी स्टेट्स में बड़े शहरों में ज्यादा बेरोजगार जायेंगे, खतिहर मजदूर जायेंगे। ट्रेनों की छतों पर पढ़े-लिखे बेरोजगार जायेंगे। अर्बन एरियाज में कंसन्ट्रेशन होगा, जगह मिलेगी नहीं, स्थानीय लेबर लॉज होंगे, इम्पलायमेंट की स्थानीय नीति होगी, वहां अन्य राज्यों के लोगों को सही रोजगार नहीं मिलेगा। एक तरफ अर्बन एनवायरनमेंट के प्रश्न होंगे, हाउसिंग का प्रश्न होगा, दिल्ली में क्या होगा, दिल्ली में मैं समझता हूं कि जितनी तेजी से इसमें पिछड़े राज्यों से, उत्तर प्रदेश से चारों तरफ से लोग रोजगार की तलाश में, नौकरी की तलाश में आ रहे हैं, लेकिन रोजगार नहीं है, तो इस बजट में हमें यह दिशा देनी थी, लेकिन कौन दिशा दे, न चुनी हुई सरकार है और न ही असेम्बली ही बैठ पा रही है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि इस समय केन्द्र सरकार कम से कम एक बात कर सकती है कि प्रधान मंत्री जी की घोषणाओं को लागू करा दें। मैं श्री देवेगौड़ा जी को एक बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की समस्याओं को पहचानना और समझने की कोशिश की है और जब कभी जितनी जगह भी वे गये, उन्होंने कुछ बुनियादी घोषणाएं भी कीं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : माननीय तिवारी जी उत्तर प्रदेश के विकास के संबंध में बोल रहे हैं और एक ऐसा मुद्दा खड़ा कर रहे हैं, उसी पर मुझे प्रश्न करना है।

श्री शरद पवार : आप बाद में बोलियेगा, जब आपको मौका मिलेगा तब बोलियेगा।

सभापति महोदय: अग्निहोत्री जी, बरायेमेहरबानी इंटरप्ट न करें, समय बहुत ही कम है उससे और बड़ी अड़चन आ जाती है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: तिवारी जी समर्थन नहीं कर रहे है। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं होगा।

[हिन्दी]

कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जा रहा है। आप बैठिए।

*...(व्यवधान)**

श्री नारायण दत्त तिवारी: सभापति जी, मैं कह रहा था कि वर्तमान स्थिति में बिजली के मामले में सन् 2003 तक एक मेगावाट का बिजलीघर भी उत्तर प्रदेश में नहीं चालू होने वाला है, सरकारी आंकड़े उठाकर आप देख लीजिए क्योंकि वहां कोई नया बिजलीघर नहीं बन रहा है। जितने पुराने बिजलीघर बन रहे थे, उनमें काम नहीं हो रहा है।

मैं इस बजट में रिवैन्यू एकाउन्ट में देख रहा था कि बिजली के लिए रैवन्यू एकाउन्ट में मात्र 1000 रुपये रखे गए हैं और कैपिटल एकाउन्ट में प्रावधान 1093 करोड़ रुपए से घटकर 993 करोड़ रुपए रह गया है, जिसके अंतर्गत लोन दिए जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि बिजलीघर निर्माण या विद्युत प्रसार के लिए लोन देने की शक्ति भी आज उत्तर प्रदेश शासन में नहीं है—फिर किसे दोष दें। ऐसी स्थिति में केन्द्र को क्या करना चाहिए।

मनेरी भाली प्रोजैक्ट, जो दूसरे चरण का है, उस पर 150 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद, वह आज अधूरा पड़ा हुआ है। राजघाट योजना के लिए, जिससे बुन्देलखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों लाभांवित होने थे, 280 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंगा कैनाल पैरलल योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक से आने थे, लेकिन वे भी नहीं मिल पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी हम इसे पूरा करने के लिए, 500 करोड़ रुपये तक या उससे बड़ी जितनी योजनाएं होंगी, उन सबको धन देंगे। इसके लिए केन्द्रीय बजट में सारे देश में केवल 1300 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जब मैं जनरल बजट पर बोलूंगा तो इसके विस्तार में जाऊंगा लेकिन यह राशि अपर्याप्त है। उत्तर प्रदेश के संबंध में जिन योजनाओं की घोषणा हुई है, बिल्कुल सही घोषणाएं हुई हैं लेकिन उनके संबंध में इस बजट में कहां कितना प्रावधान किया गया है। क्या उत्तर प्रदेश से तदनुसार प्रोजैक्ट्स मांगे गए या उत्तर प्रदेश शासन ने प्रोजैक्ट्स भेजे?

शारदा सहायक योजना को पूरा करने के लिए 600 करोड़ रुपये की जरूरत है, जिसकी घोषणा हो चुकी है। सरयू प्रोजैक्ट को पूरा करने के लिए, जिसकी घोषणा हो चुकी है, 800 करोड़ रुपये की जरूरत है। अपर गंगा कैनाल योजना को पूरा करने के लिए, जिसकी घोषणा हो चुकी है, 700 करोड़ रुपये की जरूरत है। गैस पर आधारित पांच बिजली घर लगाने की घोषणा हो चुकी है, गैस पाइप लाइन वहां मौजूद है, जगह मौजूद है, यह कहा जा चुका है कि गैस अथारिटी या प्राइवेट सैक्टर में बिजली की योजनाएं बनाई जाएंगी। यद्यपि घोषणा तो हो चुकी है लेकिन उन्हें लागू कौन करेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन की ऐसी हालत है कि वह किंकर्तव्यविमूढ़ है—क्या होगा? कब तक वहां गवर्नर राज चलेगा?

इसलिए सरकार के लिए यह बहुत आवश्यक है कि केन्द्र उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बिजली के मामले में विशेष ध्यान दे। रोज़ा बिजलीघर प्राइवेट सैक्टर में लग रहा था लेकिन परसों अखबार में आया कि अब उसे लगाने वाले इंटरैस्टिड नहीं है, अब वह नहीं लगेगा। चुनावों में आप बस किसी को भी चुनकर भेज दें, वह बिजली कहां से लाएगा।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि आज आप बजट तो पास करा लें लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के लिए विशेष हरक्यूलियन एफर्ट्स की जरूरत है, हरक्यूलियन शक्ति से आपको काम करना पड़ेगा तभी उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन दूर होगा और उसके साथ-साथ भारत का पिछड़ापन कम होगा। इसके लिए आपको फौरिन इन्वैस्टमेंट उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में लाना पड़ेगा, वह अपने आप नहीं आयेगा। उसके लिए पहले से काउन्टर गारंटी देनी होगी। आपने एनरॉन को काउन्टर गारंटी देकर ठीक किया। कोजैन्ट्रिक्स को काउन्टर गारंटी देकर आपने ठीक किया। काकीनाड़ा में काउन्टर गारंटी देकर आपने ठीक किया। आपने ठीक कहा कि एक लाख मेगावाट से अधिक की जितनी 8 बड़ी विद्युत योजनाएं हैं, अगर उनके लिए कोई डायरेक्ट फौरिन इन्वैस्टमेंट आएगा तो हम काउंटर गारंटी देंगे, उसका हम स्वागत करते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े राज्यों में अगर कोई डायरेक्ट फौरिन इन्वैस्टमेंट लगेगा तो क्या आप उसके लिए काउन्टर गारंटी देंगे। उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े राज्यों में अगर कोई विद्युत योजना लगती है तो आपको काउन्टर गारंटी देनी चाहिए, यह बहुत जरूरी है। इस बजट में उसका कोई उल्लेख नहीं है कि उसका क्या प्रबंध होगा। पिछले प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि 8000 करोड़ रुपये की लागत से अमेठी में जो हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारखाना लगाने की घोषणा हो चुकी है, उसका काम शुरु हो गया है लेकिन वह फिर रुक गया।

अपराह्न 3.00 बजे

तो जो केन्द्रीय सरकार से होना है कम से कम वह तो हो जाए। इसलिए मैं आपसे यह आग्रह करना चाहूंगा कि जो घोषणाएं उत्तर प्रदेश के लिए केन्द्र से हो चुकी हैं, उनके लिए कृपया यू.पी. के बजट में व्यवस्था करें और चाहे सप्लीमेंट्री में हो, लेकिन उसका प्रावधान सुनिश्चित कीजिए।

सभापति महोदय, जो बढ़ती हुई गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या है, उसको कम करने की तुरंत आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में जो नब्बे का क्रेडिट एंड डिपाजिट रेश्यो है वह 49 प्रतिशत से घटकर 33 प्रतिशत रह गया है। जो बीमार उद्योग हैं, उनको सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा है। जितने कामर्शियल बैंक हैं, उनकी लोनिंग कम हो गई है। इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, कोआपरेटिव बैंकों की लोनिंग घट गई है। इस प्रकार से आंकड़े ही आंकड़े हैं जो दिये जा सकते हैं। अलग-अलग जो लैंड डेवेलपमेंट बैंक हैं, उनकी लोनिंग कम है। इसे कौन मानीटर कर रहा है। प्रेसीडेंट्स रूल का अर्थ यह नहीं है कि इसकी मानिटरिंग न हो। इसकी मानिटरिंग होनी चाहिए। जो इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट व ग्रामीण विकास का प्लान है, इसका मानिटरिंग प्लानिंग कमीशन को और अधिक करना चाहिए। तब उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन कुछ हद तक कम होगा और वह भी दो-तीन साल के बाद ही शुरु होगा। सही मायनों में इस बात की जरूरत है।

महोदय, अभी रीजनल डेवेलपमेंट की बात कही गई। मैं इस विषय में तो जाना नहीं चाहता हूं कि छोटे प्रान्त बनाए जाएं या नहीं, लेकिन आज क्या हालत है, उसे देखिए। मैंने कहा कि बुंदेलखंड रीजन का क्या हाल है। राजघाट परियोजना बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। उसके लिए 280 करोड़ रुपये का प्रधान मंत्री जी द्वारा एलान हुआ है, लेकिन क्या उसके लिए इस बजट में कोई प्रावधान किया गया है? क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जो 20 ग्रोथ सेंटर्स गोरखपुर, जौनपुर और आजमगढ़ वगैरह में घोषित हैं, क्या उनमें प्रगति हो रही है, क्या उनको देखकर आपको पूर्वी क्षेत्र की प्रगति शून्यता का ज्ञान नहीं होता है कि किस कदर वह क्षेत्र पिछड़ता जा रहा है? उनके लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है।

महोदय, इसी तरह से जहां तक सवाल है उत्तराखंड का, मैं जानता हूं कि उत्तराखंड बनने का निर्णय हो चुका है। मैं यह भी जानता हूं कि उत्तराखंड का विधेयक बनकर तैयार हो गया है और मैं यह भी जानता हूं कि वह विधेयक यहां लोक सभा में इसलिए नहीं लाया जा रहा है क्योंकि संविधान के आर्टीकल तीन के अनुसार उसे पहले उत्तर प्रदेश की विधान सभा में प्रस्तुत करना जरूरी है। इसलिए मैं दोष नहीं देना चाहता हूं।

श्री भगवान शंकर रावत: सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फरमेशन। यह विधेयक दो बार उत्तर प्रदेश की विधान सभा में पास हो चुका है और केन्द्रीय सरकार के पास भेजा जा चुका है। इसलिए मैं माननीय तिवारी जी के ध्यान में इस बात को लाना चाहता हूं कि अब इस बात को मानने में और यहां पर विधेयक पारित करने में कोई प्रतिबंध नहीं है। यह तो लेम एक्सक्यूज है।

श्री नारायण दत्त तिवारी: सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य आगरा से यह कहूंगा और मैं उनको अलग से समझा सकता हूं कि केवल विधान सभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर के यहां भेजने से ही काम नहीं चलेगा और उसके आधार पर ही यहां विधेयक पास नहीं किया जा सकता है। किसी प्रदेश में अलग राज्य बनाने का अधिकार लोक सभा को नहीं है। उससे पहले उस राज्य के विधानमंडल की राय ली जाती है। विधान सभा संस्तुति करती है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री: जिस सरकार का आप समर्थन कर रहे हैं एक्ट भी तो वही सरकार बनाएगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी: वह एक्ट बनाएगी, लेकिन असैम्बली की राय लेने के बाद।

सभापति महोदय: रावत जी, आपने अपनी बात कह दी।

श्री भगवान शंकर रावत : सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि कानून यहीं बन सकता है। जब उत्तर प्रदेश में विधान सभा नहीं है, तो राष्ट्रपति जी यहां कानून बना सकते हैं।

सभापति महोदय: आपने अपनी इन्फार्मेशन दे दी। अब आप इंट्रप्ट न करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी : सभापति महोदय, मैं रावत जी से कहना चाहता हूं कि आप संविधान के विद्यार्थी हैं और मैं भी संविधान का विद्यार्थी हूं। संविधान का जो अनुच्छेद तीन है, उसमें यह स्पष्ट लिखा है कि किसी नए राज्य के बारे में कानून लोक सभा में या संसद में तब तक पास ही नहीं हो सकता है जब तक कि विधान मंडल की राय नहीं ली जाए।

श्री भगवान शंकर रावत: *लेकिन ये शक्तियां राष्ट्रपति महोदय* के पास हैं और उत्तर प्रदेश में विधान सभा नहीं है। वहां राष्ट्रपति का शासन है और राष्ट्रपति की ओर से राज्यपाल वहां काम देख रहे हैं। इसलिए राष्ट्रपति वहां के लिए इस प्रकार का कानून यहां पास कर सकते हैं क्योंकि दो बार वहाँ की विधान सभा ने पास कर के प्रस्ताव यहां भेजा हुआ है।

श्री नारायण दत्त तिवारी: अगर यह रूलिंग आप सुप्रीम कोर्ट से दिला सकें, तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है।

श्री भगवान शंकर रावत: सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता नहीं है। यह संसद इस बारे में सक्षम है।

श्री नारायण दत्त तिवारी: मुझे लगता है कि माननीय सदस्य आगरा मेरी बात का पूरा मर्म समझ नहीं पाए हैं। नहीं, तो आप तो ताजमहल को समझ सकते हैं तो मेरी बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं।

सभापति महोदय: तिवारी जी, मैं आपको चैक तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन समय बहुत हो गया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी: समय खत्म हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश का निर्माण करना अभी सही मायने में बाकी है। मैं कह रहा था कि जब तक उत्तराखंड राज्य बने, जो बनना ही है मैं जानता हूं, तब तक कम से कम उसको जो हिमाचल प्रदेश के बराबर ग्रांट मिलने का जो वायदा है, वह तो पूरा किया जाए और उतनी ग्रांट तो दी जाए, लेकिन इस बजट में उसका कहीं कोई प्रावधान नहीं है। 225 नहीं 300 करोड़ रुपये मिलने चाहिए थे। इसलिए तुरंत इसकी घोषणा होनी चाहिए। उत्तराखंड राज्य अगर बनना है, तो अतिरिक्त धन दिया जाना भी जरूरी है। इसी तरह पूर्वान्चल के लिए, मध्य उत्तर प्रदेश के लिए, मंडलीय विकास के जो मामले हैं, उनको भी नजरअंदाज किया गया है।

सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने और इस माननीय सदन ने मुझे यह सुअवसर दिया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अब उत्तर प्रदेश का बोझा, केवल उत्तर प्रदेश को नहीं बल्कि सारे राष्ट्र को उठाना है। सारे राष्ट्र का आशीर्वाद चाहिए। इस संसद के प्रत्येक माननीय सदस्य का आशीर्वाद चाहिए जिससे वह एक ऐसा प्रदेश बन सके कि वह भारत के ऊपर बोझ न बने बल्कि एक सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश के रूप में देश के साथ आगे बढ़ सके।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब, श्री प्रमथेस मुखर्जी बोलेंगे। कृपया अपनी बात छ: से सात मिनट में कहिएगा क्योंकि मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के सदस्यों को अपनी बात कहने का ज्यादा अधिकार है और यहाँ उनकी संख्या काफी है।

श्री प्रमथेस मुखर्जी: महोदय, मैं अपनी चर्चा दो मिनट के अंदर समाप्त करूंगा।

सभापति महोदय: धन्यवाद। यह आपके सहयोग की भावना का परिचायक है। मैं इसकी सराहना करता हूं।

श्री प्रमथेस मुखर्जी: हमारे वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत उत्तर प्रदेश राज्य बजट पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा। मैं अपनी चर्चा को महत्वपूर्ण वक्तव्य तक ही सीमित रखूंगा। ''एक अच्छी अर्थव्यवस्था एक उत्तम राजनीति का द्योतक है।'' अर्थशास्त्र का प्रत्येक विद्यार्थी इस कथन से अवगत है। बजट की सराहना करने के साथ-साथ मैंने, उत्तर प्रदेश की स्थिति जिसके बारे में कहा गया कि यह अव्यवस्था, अराजकता और बर्बादी की ओर बढ़ रही है, इस सभा में बैठे विभिन्न पक्ष के लोगों के महत्वपूर्ण वक्तव्यों को भी सुना। मैं उत्तर प्रदेश की उस घटना का जिक्र नहीं करना चाहता।

लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उत्तर प्रदेश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इसकी अपनी संस्कृति और इतिहास है। आज, समय की यह मांग है कि राज्य में शीघ्र एक स्थायी, निर्वाचित और लोकप्रिय सरकार का गठन हो।

मैं एक बात रिकार्ड पर लाना चाहता हूँ कि संविधान की संघीय व्यवस्था में राष्ट्रपति शासन से अभिप्राय नौकरशाहों का शासन नहीं है। राष्ट्रपति शासन से अभिप्राय संघ सरकार के शासन से है जो बजट का प्रारूप तैयार करने और राज्य के लोगों का भविष्य निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। यह आम धारणा है तथा आम अनुभव की बात है कि राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य के लोगों के लिए संघ सरकार द्वारा आवंटित धनराशि वास्तव में गरीब तथा जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंचती। संघ सरकार द्वारा धनराशि आबंटित की जाती है किंतु जरूरतमंद लोगों तक यह धनराशि नहीं पहुंचती। यह नौकरशाहों के हाथ में जाती है क्योंकि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने के पश्चात वे सक्रिय हो जाते

हैं। जम्मू-कश्मीर के बारे में हमारा यह अनुभव रहा है जब यह राष्ट्रपति शासन के अधीन था। पंजाब के संबंध में भी हमारा यही अनुभव रहा है जब यह राष्ट्रपति शासन के अधीन था।

भारत की संघीय व्यवस्था में राज्यपाल का कार्यालय महज एक 'सफेद हाथी' है और वह दिखावा कार्यालय राष्ट्रपति शासन के समय काफी सक्रिय हो जाता है और उनकी गतिविधियां नौकरशाहों पर निर्भर हो जाती हैं।

श्री पी. आर. दासमुंशी: जंगल के अभाव में हाथी बेकार होता है।

श्री प्रमथेस मुखर्जी: महोदय, मैं समझता हूं कि मेरे मित्र श्री पी.आर. दासमुंशी 'सफेद हाथी' के इशारे से भली-भांति अवगत हैं।

संविधान में उल्लिखित नीरस नियमों के आधार पर नौकरशाहों का मार्गदर्शन होता है। वे यन्त्रचालित नियमों के क्रियान्वयन पर आश्रित होते हैं। यही कारण है कि वे समस्त धनराशि को ठेकेदारों और अन्य वैसे ही लोगों के हाथों में सौंप देते हैं। पंजाब और जम्मू-कश्मीर के मामलों में मेरा यही अनुभव है। अत:, वित्त मंत्री तथा सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि इस मामले पर ध्यान दें जिससे कि संघ सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए आवंटित धनराशि का सफलतापूर्वक उपभोग किया जा सके।

मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के लोगों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है। आज वे शिक्षा, पेयजल और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की मांग करते हैं। उनके लिए शीघ्र परियोजनायें स्वीकृत की जानी चाहिएं और वहां इसका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। यह कौन करेगा?

महोदय, एक अच्छी अर्थव्यवस्था अच्छी राजनीति का द्योतक है, से मैंने अपना भाषण शुरु किया था। आर्थिक अस्थिरता ही राजनीतिक अस्थिरता का मुख्य कारण है। उत्तर प्रदेश के विगत बीस वर्षों के इतिहास में हमने देखा है कि आर्थिक विफलता के परिणामस्वरूप ही उत्तर प्रदेश के लोगों ने तोड़-फोड़, विध्वंसकारी गतिविधियों, अव्यवस्था और संघर्ष का रास्ता अपनाया है।

सभापति महोदय: श्री मुखर्जी, कृपया अब समाप्त करें।

श्री प्रमथेस मुखर्जी: अत:, सरकार का यह पहला कर्तव्य और प्रथम उत्तरदायित्व है कि वह एक अच्छी अर्थव्यवस्था कायम करे। यदि आप एक अच्छी अर्थव्यवस्था देते हैं तो उत्तर प्रदेश से आपको एक अच्छी राजनीति मिलेगी। मेरे भाषण का मुख्य उद्देश्य यही था। अत: अच्छी अर्थव्यवस्था दो चीजों पर निर्भर करती है—पंचायत चुनावों का सफलतापूर्वक उपयोग और भूमि सुधारों का सफलतापूर्वक उपयोग। यदि हम इसे स्वीकार करते हैं तो अच्छी राजनीति, शांति, सद्भाव और विकास एक सतत् प्रक्रिया होगी। अन्यथा, यह संभव नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ ही, उत्तर प्रदेश राज्य के बजट को समर्थन देते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मनोज कुमार सिन्हा (गाजीपुर): सभापति जी, मेरा अनुरोध है कि बहुत बड़े प्रदेश के बजट पर चर्चा हो रही है, मैं सबसे अपील करूंगा कि थोड़ा समय बढ़ाइये। 15 करोड़ लोगों का मामला है। ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: लम्बे भाषण तो कोई नहीं हो रहे।

श्री भगवान शंकर रावत: किसी को हम लम्बा भाषण देने से मना भी नहीं कर सकते।

सभापति महोदय: देखिये, तिवारी जी को मैंने 20 मिनट जरूर दिये हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, उनका हक है। यू.पी. के बहुत सीनियर लीडर हैं। बाकी किसी ने दस मिनट से ज्यादा नहीं लिये।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री: माननीय सभापति जी, तीन मिनट से ज्यादा समय मत दीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश का बजट है, हम बुन्देलखंड क्षेत्र से आते हैं, पिछड़े क्षेत्र से आते हैं और इसलिए कम से कम हमें तीन मिनट का समय अवश्य मिलना चाहिए। मैं सुबह 11 बजे से बैठा हूं। ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह तो बहुत अच्छी बात होगी, अगर आप तीन मिनट कहते हैं। मैं कहता हूं कि पांच मिनट में आप रैस्ट्रिक्ट कर लें। ठीक है...

...(व्यवधान)

डा. रमेश चन्द तोमर (हापुड़): माननीय सभापति जी, जो आंकड़े मेरे साथियों ने दिये हैं, तिवारी जी ने दिये हैं, मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं वस्तु-स्थिति उत्तर प्रदेश के बारे में बता देना चाहता हूं कि जिस बजट की चर्चा उत्तर प्रदेश की लखनऊ की विधान सभा में होनी चाहिए थी, उस बजट की चर्चा यहां दिल्ली की संसद में हो रही है, यह बड़े कष्ट की बात है।

एक तो उत्तर प्रदेश की 14 करोड़ जनता के साथ अन्याय नरसिंह राव जी ने भी किया था। 1996 में जब लोक सभा के चुनाव हुए थे, उस समय विधान सभा के चुनाव हो जाते तो चुनी हुई सरकार बन जाती तो यह बजट लखनऊ की विधान सभा में प्रस्तुत होता। उस अन्याय को किया, उसके बाद अन्याय देवेगौड़ा जी ने किया है। उत्तर प्रदेश

[डा. रमेश चन्द तोमर]

की विधान सभा के चुनाव हुए और उत्तर प्रदेश की विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल चुनकर आया, लेकिन उन्होंने उसे सरकार बनाने का मौका नहीं दिया। वहां लोकप्रिय सरकार बन जाती, जो उत्तर प्रदेश की समस्याओं से परिचत होती तो उत्तर प्रदेश की समस्याओं के आधार पर उसका बजट बनता, परन्तु ऐसा नहीं हुआ है।

उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, जिसने देश को कई प्रधान मंत्री दिये हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से आज वह एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है। ऐसा क्यों हुआ है? पहले उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ प्रदेश नहीं था, आजादी से पहले उत्तर प्रदेश की गिनती महाराष्ट्र और बंगाल के बाद होती थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की गिनती पिछड़े प्रदेशों में हो रही है। उसका मुख्य कारण वहां पर राजनैतिक अस्थिरता है और कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई हालत है। प्राकृतिक संसाधनों की उत्तर प्रदेश में कोई कमी नहीं है। प्रदेश का आर्थिक विकास जिस गति से होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया है। इसका मुख्य कारण प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून एवं व्यवस्था है तथा राजनैतिक अस्थिरता है।

आर्थिक सुधार और औद्योगिक विकास और उदारवादी नीतियों को लागू करने के बाद देश का औद्योगिक उत्पादन लगभग आठ प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में घटकर दो प्रतिशत रह गया है। राज्य के औद्योगिक उत्पादन में गिरावट का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में मोदीनगर एक औद्योगिक कस्बा है, जहां पर दर्जनों फैक्टरियां बन्द हो गई हैं, 15 हजार मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, आन्दोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन चुनी हुई सरकार न होने के कारण उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हालत यह है कि वे 15 हजार मजदूर भुखमरी के कगार पर हैं। चुनी हुई सरकार होती, कोई सुनता, लेकिन लालफीताशाही है। अधिकारियों की जोर-जबर्दस्ती है। जो आंदोलन करता है, उसको दबा दिया जाता है। वहां की हालत और खराब होती चली जा रही है। उद्योग कहां लगेंगे, उद्योगपतियों को जहां उद्योग लगाने का माहौल होगा, वहीं लगेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस तरह का माहौल नहीं है। कारखाने वहां लगते हैं जहां कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार होता है, जहां श्रमिक अशांति नहीं होती और बिजली तथा कच्चा माल उपलब्ध होता है। माननीय तिवारी जी ने भी कहा है कि बिजली का अभाव है।

मेरा क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। वहां यह पता नहीं चलता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होने के कारण भी सड़कों की यह हालत है कि बसें चलती हैं, वहां आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं और लोग मारे जाते हैं। जब कल्याण सिंह जी की सरकार थी तो गढ़मुक्तेश्वर को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की बात चल रही थी। अगर वह सरकार रहती तो वह क्षेत्र पिछड़ा इलाका घोषित हो जाता। लेकिन वह मामला खटाई में पड़ गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होने के कारण उस क्षेत्र में फैक्टरीज नहीं लगती। यह एक तीर्थस्थान है और हजारों की तादाद में पहले पर्यटक वहां आते थे। लेकिन अब वे भी नहीं आ पा रहे हैं। इन सबकी जिम्मेदारी अब देवेगौड़ा सरकार की है।

राज्यपाल महोदय वहां आए थे, गाजियाबाद में भी आए और घोषणा करके चले गए। वे घोषणाएं लागू नहीं होती हैं। आपके बजट में भी राज्यपाल की घोषणाओं के लिए पैसे का प्रावधान नहीं किया गया है। कम से कम राज्यपाल आते हैं, लाखों रुपये खर्च होते हैं, पूरी मशीनरी लगती है, यदि वे घोषणाएं करते हैं, उनका पालन करने के लिए कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए। जब प्रदेश में विधान सभा चुनाव हो रहे थे तो प्रधान मंत्री जी ने गढ़मुक्तेश्वर में आकर घोषणा की कि इस क्षेत्र को पिछड़ा इलाका घोषित किया जायेगा। अब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन है और आपकी सरकार है। प्रधान मंत्री जी की बात का पालन करें और गढ़मुक्तेश्वर को पिछड़ा हुआ इलाका घोषित करें।

उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद दिल्ली से सटा हुआ है। हमने नियम 184 के तहत यहां नोटिस दिया है, उसमें बोलते हुए मैं वहां की बात रखूंगा। लेकिन अभी मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन के दौरान वहां कोई उद्योग नहीं लगा है। उद्योगपति सोचते हैं कि अगर उद्योग लगाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर वह लगाना भी चाहें तो उनका अपहरण हो जाता है। बिजली नहीं होने के कारण, कच्चा माल नहीं होने के कारण, लालफीताशाही, भ्रष्टाचार में डूबी रहने के कारण, क्योंकि हर काम वहां पैसा लेकर होता है, वहां उद्योग धंधे पनप नहीं रहे हैं। जो लगे भी हैं, वे भी धीरे-धीरे बंद होते जा रहे हैं।

सभापित जी, मैं आपके द्वारा केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस तरह का वातावरण उत्तर प्रदेश में बनाएं जिससे उद्योगपति वहां आकर अपने उद्योग लगा सकें। वह उत्तर प्रदेश जिसने इस देश को कई प्रधान मंत्री दिए हैं, पिछड़ा क्षेत्र न रहकर विकास की दृष्टि से अच्छे प्रदेशों की गिनती में आए। मुझे इतना ही कहना है।

श्री प्रताप सिंह सैनी: अधिष्ठाता जी, उत्तर प्रदेश के बजट पर कई सदस्यों ने अपने बहुमूल्य विचार, दृष्टिकोण और अपने-अपने तर्क यहां व्यक्त किये हैं। उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा राज्य है। निश्चित रूप से वहां पिछड़ापन है जिसके बारे में यहां चिंता व्यक्त की गई है, वह सही भी है। लेकिन मात्र चिंता व्यक्त कर देने से समस्या का हल नहीं हो सकता। जो भी सुझाव माननीय सदस्यों ने उस प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए दिए हैं, उन पर अमल होना चाहिए। केन्द्र सरकार विभिन्न मदों पर अधिक से अधिक धनराशि उस प्रदेश के विकास के लिए दे, तभी इस बहस का कोई मतलब हो सकता है और उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन दूर हो सकता है। वहां पर प्रशासनिक

मशीनरी में निश्चितरूप से कुछ खामियां हैं। उसकी समीक्षा ठीक से नहीं होती है। इसके कारण लोग अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर पाते। कई स्तर पर भ्रष्टाचार भी वहां देखने को मिलता है। इसकी भी समीक्षा समय-समय पर हो, तभी कार्यक्रमों का प्रभावी लाभ जनता तक पहुंच सकता है। योजनाएं सभी अच्छी होती हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन अच्छा होने के लिए मशीनरी को चुस्त और दुरुस्त होने की जरूरत है। भ्रष्टाचार के मामलों की शिकायतें जहां भी मिलें वहां समुचित दंड की व्यवस्था करें। इस तरह से प्रदेश का विकास हो सकता है और प्रदेश तरक्की कर सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब लेफ्टीनेंट जनरल त्रिपाठी बोलेंगे।

श्री शरद पवार: महोदय, अध्यक्षपीठ की ओर से यह निदेश दिया गया था कि अपराह्न 3.15 बजे उत्तर दिया जायेगा। आपने समझौता सूत्र के रूप में यही घोषणा की थी। अब मंत्री महोदय को जबाब देना है... *(व्यवधान)*

श्री पी. आर. दासमुंशी: यह ठीक है कि सूची में आपका नाम है किंतु अब अपराह्न 3.20 बज चुके हैं... *(व्यवधान)*

श्री शरद पवार: महोदय, यह आपका निर्णय था कि अपराह्न 3.15 बजे उत्तर दिया जायेगा। आपको अपने शब्दों का सम्मान करना चाहिए ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ठीक है। यदि माननीय मंत्री तैयार हैं तो उनके उत्तर के पहले यह अंतिम वक्ता होंगे।

... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री भगवान शंकर रावत।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री: महोदय, मैं एक अत्यंत पिछड़े क्षेत्र से चुनकर आता हूँ। मैं भी बोलना चाहता हूँ। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, यह कैसे संभव है कि उत्तर प्रदेश के सभी सदस्य बोलें? यह संभव नहीं है। इसके लिए दो घंटे का समय आवंटित किया गया था और इस पर अब तक तीन-साढ़े तीन घंटे लग चुके हैं... *(व्यवधान)* यह क्या है?

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर): महोदय, नेतओं की बैठक में यह निर्णय हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी से चार सदस्य, हमारे दल से तीन और दो संयुक्त मोर्चा के सदस्य इस पर बोलेंगे और तत्पश्चात इसे पारित किया जायेगा। यह निर्णय किया गया था कि नियम 184 के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया

जायेगा। अत:, श्री भगवान शंकर रावत को अंतिम वक्ता के रूप में बोलने दें उसके बाद वित्त मंत्री जवाब देंगे।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत: उत्तर प्रदेश के संबंध में मैं तीन-चार बातें कहना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के सभी सांसदों की पीड़ा सुन ली जाए।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: यह संभव नहीं है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: जैसा हाउस डायरेक्शन देगा, मैं वैसे ही चलूंगा।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव: कांग्रेस के तीन सदस्य बोल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी चार सदस्य बोले हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: पहले इस बात का फैसला हो चुका है। जो डायरेक्शन हाउस देगा मैं उसको फेथफुली फालो करूंगा। जैसे कांग्रेस पार्टी के नेता श्री संतोष मोहन जी ने कहा है कि बी.ए.सी. में यह फैसला हो चुका था कि बी.जे.पी. के चार सदस्य बोलेंगे और तीन सदस्य इधर से बोलेंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप ज्यादा जोर इस बात पर न डालें। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: उनके नेता कहाँ हैं? ... *(व्यवधान)* दो-तीन विधेयक और हैं जिन पर चर्चा की जानी है... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री: मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है कि हमारी बात भी सुन लें। मैं सिर्फ दो शब्द ही कहूंगा... *(व्यवधान)*

श्री भगवान शंकर रावत: अग्निहोत्री जी को मौका देना चाहिए, उनका बुंदेलखंड का मामला है।

उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ तिवारी जी ने, कुछ सत्यदेव सिंह जी ने और कुछ संतोष जी ने बताया। मैं उनकी बातों को नहीं दोहराऊंगा, उन्होंने बहुत अच्छे तर्क दिये हैं। हालांकि तिवारी जी कुछ इधर भी हैं, कुछ उधर भी हैं, लेकिन जो बातें उन्होंने कहीं, वे बहुत अच्छी हैं।

मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपने व्यक्तित्व से कुछ दिलाने की कोशिश करें। ... *(व्यवधान)* मैं समझ नहीं पा रहा हूं, एक तरफ

[श्री भगवान शंकर रावत]

राम है और एक तरफ रहीम, किसके लांगू पैर वाली बात है। ... *(व्यवधान) मैं उनकी बातों की ताईद करता हूं, समर्थन करता हूं। उन्होंने जो समस्यायें रखी है, जो बातें रखी हैं, उनको पूरा किया जाना चाहिए।*

मैं चार-पांच बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। ताज-त्रिपेजियम-एरिया का मामला है। जब मेरी अल्प बुद्धि में यह बात नहीं आई, तो मैं मंत्री जी के पास गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभिमत प्रकट किया है कि ताज-त्रिपेजियम-एरिया के लिए अलग से फन्ड क्रिएट किया जाए, जिस प्रकार उत्तराखंड के लिए किया गया है। जब मुझे बजट में ताज त्रिपेजियम के लिए अलग से फन्ड नहीं मिल पाया, तो मैंने कहा कि आप मेरी मदद कर दीजिए। उन्होंने मदद तो की, लेकिन बताया कि जनरल डिमान्ड में जो मद संख्या 2215 है, पीने के पानी से संबंधित है, उसमें ताज-त्रिपेजियम का खर्चा शामिल है। मेरी पीड़ा यही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और योजना आयोग से कह दिया है कि हम ने अलग से प्रावधान कर दिया है, लेकिन वास्तव में नहीं किया। वहां के फाइनेंस सैक्रटरी साहब या जो भी प्रशासन के अधिकारी हैं, उन्होंने एक मिनट में ताज-त्रिपेजियम की तकदीर के साथ खिलवाड़ कर दिया। तलवार चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उन्होंने केवल कलम के एक स्ट्रोक से ताज-त्रिपेजियम की किस्मत को समाप्त कर दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि ताज-त्रिपेजियम के लिए अलग से हैड बनाने का सुप्रीम कोर्ट ने अभिमत प्रकट किया है। उसका सम्मान करते हुए, ताज-त्रिपेजियम एरिया के विकास के लिए उत्तराखन्ड की तरह से अलग हैड बनाया जाए।

मैं कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने आगरा में, कानपुर में और गाजियाबाद में बराबर घोषणायें की हैं, इसलिए वित्त मंत्री जी कैटेगोरिकली एश्योरेंस दें कि जो भी घोषणायें राज्यपाल महोदय ने की है, उनका परिपालन किया जाएगा।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय ने ताज-त्रिपेजियम क्षेत्र के विकास के लिए निर्देश दिया है। योजना आयोग ने उसमें हमारी मदद की है और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन आगरा अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार के मन में इच्छा शक्ति नहीं है और इसीलिए आगरा का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। राज्यपाल घोषणायें करते चले जाते हैं, लेकिन वहां के अधिकारी जो प्रशासन में बैठे हैं, वे उसके लिए पैसा रिलीज नहीं करते हैं। ब्यूटिफिकेशन के लिए घोषणा कर दी गई, लेकिन पैसा नहीं आया है। आगरा में यमुना नदी पर डैम बनाने की घोषणा कर दी गई, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने पैसा नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सीवर-लाइन डाली जाए, गन्दगी से मुक्ति पाने के लिए नालियां बनाई जायें, लेकिन उसके लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं दिया गया है। 36 करोड़ रुपये टोटल राशि है, जबकि हमें व्यवस्था 136 करोड़ रुपये की करनी चाहिए, क्योंकि इतनी राशि की हमें आवश्यकता होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक अलग से हैड बनाया जाए और निर्देश का पालन किया जाए।

महोदय, एक मामला अनवरत बिजली आपूर्ति का अटका पड़ा है। इसके लिए 172 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है। कह दिया गया कि ताज-त्रिपेजियम-एरिया के सारे गांवों और शहर के इलाकों में बिजली पहुंच जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से योजना आयोग ने रुपया दे दिया है, लेकिन वहां के अधिकारियों ने बताया है कि रुपया दे दिया गया है, लेकिन बिजली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं बना रहे हैं। इस तरह से ताज-त्रिपेजियम के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार ने समझ लिया है कि यह पैसा देने वाली दुधारू गाय है, इसका दूध तो दोह लो, लेकिन इसको खिलाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आगरा के गांवों को बिजली वितरण प्रणाली के जरिए वहां पर 70 करोड़ रुपये की एक पूरक योजना बनाई है, मगर आगरा के गांवों में अनइन्टरप्टेड पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डवेलप करने के लिए अभी स्वीकृति नहीं दी गई है। मेरा कहना है कि पर्यावरण को पर्यटन की रोजी-रोटी से जोड़ा जाए। जब तक इसको रोजी-रोटी नहीं बनायेंगे, तब तक काम नहीं चलेगा।

यात्री का कार्यक्रम आगरा में हो रहा है, प्रसन्नता की बात है। लेकिन इसका आगरा के लोगों को क्या लेना-देना है। गरीब लोगों के ऊपर ऐसे कार्यक्रमों में अत्याचार तो हो जाता है लेकिन उनको कोई लाभ नहीं मिल पाता।

मैं दो बातें और कहना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश सरकार में इच्छाशक्ति नहीं है। तनख्वाह सब अधिकारी ले रहे हैं। एक भी अधिकारी ऐसा नहीं है जो टोकन मनी पर पंजाब गवर्नमेंट की तरह से एक रुपया लेकर काम कर रहा हो। एक मामला वहां चल रहा है कि धाकड़ जाति के लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार भी मध्य प्रदेश सरकार की तरह पिछड़ा घोषित करे। लेकिन उत्तर प्रदेश शासन और वहां के अधिकारियों को इतनी फुर्सत नहीं है कि वह धाकड़ जाति को पिछड़ी जाति घोषित कर दे और केन्द्र में अपनी रिपोर्ट भेज दे जिससे केन्द्र सरकार उन्हें न्याय दे सके, जबकि देश के अन्य हिस्सों में उनको पिछड़ी जाति माना जाता है।

महोदय, गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में निरंतर गिर रहा है। चावल का उद्योग वहां खत्म हो रहा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि आर्थिक व्यवस्था की ओर भी आप ध्यान दीजिए। मेरे मित्र कभी व्यंग्य में कह देते हैं तो मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं कि वह उत्तर प्रदेश में चलें

और पता करके आएं कि उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के शासनकाल में कितनी अच्छी कानून-व्यवस्था थी जहां महिलाएं रात को भी जेवर पहनकर निकल सकती थी। आज मुलायम सिंह जी यहां हैं। जिस समय उत्तराखंड की घटना हुई तो उसके बाद से यह कहा जाने लगा कि महिलाएं रात को बाहर निकलेंगी तो उनका शीलभंग नहीं होगा तो क्या होगा। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कल्याण सिंह के शासनकाल में जितनी अच्छी कानून-व्यवस्था थी, विकास के नये आयाम खुले थे, उन सारे आयामों को समाप्त कर दिया गया है।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. आर. दासमुंशी: महोदय, कल्याण सिंह एक असंसदीय अभिव्यक्ति है... *(व्यवधान)*

श्री पी. वी. राजेन्द्रन: आप बाबरी मस्जिद को ढाहे जाने के लिए ही उत्तरदायी नहीं है अपितु उत्तर प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए भी उत्तरदायी हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत: केन्द्र सरकार आज उत्तर प्रदेश की उपेक्षा कर रही है। मैं मुलायम सिंह जी के शब्दों में ही कहना चाहूंगा कि 'उत्तर प्रदेश राम, कृष्ण और शिव की भूमि है' और राम, कृष्ण और शिव एक बार ताण्डव करने निकल पड़े तो समूचे हिन्दुस्तान में हलचल हो जाएगी और इस प्रकार से उपनिवेश समझकर जो उत्तर प्रदेश का शोषण किया जा रहा है, उसके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, यह अधिक दिनों तक चल नहीं पाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राम, कृष्ण और शिव की इस भूमि को शान्त रहने दो। इसके साथ मजाक मत करो। यहां जो कैकेयी और मन्थराएं जिस प्रकार से कल्याण सिंह को राम के राज्याभिषेक की तरह शासन पर बैठने से रोक रही हैं, उनको समझाइए। ... *(व्यवधान)*

श्री पी. आर. दासमुंशी: राम के नाम की इतनी बड़ी बदनामी हम बरदाश्त नहीं करेंगे। .. *(व्यवधान)*

श्री भगवान शंकर रावत: कल्याण सिंह के शासन में उत्तर प्रदेश में महिलाओं का सम्मान था, नौजवानों को काम था और किसान खुशहाल था। ऐसा प्रदेश आप बनाइए और कानून-व्यवस्था को संभालिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: चूंकि माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री ने इसके लिए काफी समय दिया है अत: सभा की अनुमति से मैं उन्हें पांच मिनट का समय देना चाहूँगा। निसंदेह वह बोलने वाले अंतिम वक्ता होंगे।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार: हमारी एक और सदस्या बोलना चाहती हैं।

श्रीमती कमल रानी (घाटमपुर): सिर्फ दो मिनट बोलने दीजिए।

सभापति महोदय: माननीय सदस्या की मेडेन स्पीच होगी। मेडेन स्पीच के बीच में मेरा इंटरप्ट करना उचित नहीं होगा। इसलिए आप इनको अगली बार मौका दें ताकि 20-25 मिनट वे बोल सकें। पांच मिनट की मेडेन स्पीच मेरे ख्याल में उचित नहीं होगी।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी): सभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे आज वह दिन याद आ रहा है जब माननीय तिवारी जी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे और मैं उत्तर प्रदेश की विधान सभा का सदस्य था। मुख्य मंत्री के साथ वह वित्त मंत्री भी थे। उत्तर प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया जा रहा था। जैसे आज उत्तर प्रदेश का बजट संसद में पेश हो रहा है, उस समय 1981 और 1985 के बीच में माननीय तिवारी जी उत्तर प्रदेश की विधान सभा का बजट पेश कर रहे थे। मैंने उस समय सवाल किया था कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा क्यों और उत्तर प्रदेश के साथ-साथ बुन्देलखंड पिछड़ा क्यों? मैंने यह मांग की थी कि उत्तराखंड के समान बुंदेलखंड को भी पिछड़ा क्षेत्र समझकर उसके लिए अलग से बजट दिया जाए।

माननीय तिवारी जी मुख्य मंत्री थे। जो परिस्थितियां आज तिवारी जी ने भारत सरकार के वित्त मंत्री के सामने रखी हैं वही परिस्थितियां मैंने जिस समय माननीय तिवारी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, इन्हीं शब्दों में मैंने रखी थी, मेरा गला भर आया था। मैंने कहा था बुंदेलखंड वह क्षेत्र है जहां चार महीने लोगों को गंदा पानी पीने को मिलता है, जहां के लोगों के पास रहने के लिए झोंपड़ी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, महुआ और बेर खाकर लोग अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं और मैं माननीय वित्त मंत्री जी आपसे कहना चाहता हूं कि ललितपुर जिले के मारा ब्लाक के सोराई क्षेत्र में अगर आप जाना चाहें तो श्रीमान जी आप अपनी जीप और कार से नहीं जा सकते हैं, पैदल जाने के लिए चार दिन लगते हैं।

अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वहां की प्रशासन व्यवस्था और सुरक्षा की व्यवस्था क्या है, आपके सस्ते गल्ले की दुकानों पर माल पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। तिवारी जी जानते हैं क्योंकि आप उसी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, वह आज पिछड़ा क्षेत्र कैसे है।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय कम दिया है, मुझे आज बहुत बड़ी प्रसन्नता है कि आज मेरे उद्गार तिवारी जी ने भारत सरकार के

[श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री]

वित्त मंत्री के सामने रखे हैं। वास्तव में बुंदेलखंड आज पिछड़ा क्षेत्र है, लेकिन पिछड़ा होने का कारण है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर औद्योगीकरण क्यों नहीं हो पाया है, यह चिंता का विषय है। माननीय रक्षा मंत्री यहां मौजूद हैं, इन्होंने बहुत यात्राएं की थीं कि उत्तर प्रदेश के अंदर उद्योग आयें, यह मुम्बई गये थे, विदेश गये थे। वहां से समाचार-पत्रों में घोषणा हो रही थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर और बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर उद्योग आ पायें, परंतु क्यों नहीं आ पाये, इधर तो माननीय रक्षा मंत्री जी उद्योग की बात कर रहे थे और प्रदेश में इनकी पार्टी हल्लाबोल का कार्यक्रम कर रही थी, अपराधी शक्ति मजबूत हो रही थी और जहां की कानून व्यवस्था मजबूत नहीं होगी, सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी, बिजली की गारंटी नहीं होगी, वहां कोई भी उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए नहीं आयेगा, उद्योग लगाने की अपनी इच्छा नहीं रखेगा। माननीय सभापति जी, आपने मुझे समय कम दिया है इसलिए मैं मोटी-मोटी बातें माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन के रूप में कहना चाहता हूं। राजघाट परियोजना का भारत की पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने शिलान्यास किया था। माननीय तिवारी जी मुख्य मंत्री थे। 200 करोड़ रुपये आज राजघाट में लगना शेष है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की साझा परियोजना है। उत्तर प्रदेश ने संभवत: अपना अधिकांश पैसा दे दिया है। लेकिन मध्य प्रदेश ने नहीं दिया है। दिल्ली सरकार इसमें भागीदार और जिम्मेदार है और राजघाट जब तक नहीं बनता है, तब तक बुंदेलखंड के भाग्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंच पायेगा।

मान्यवर, मैं एक बात आपके ध्यान में और लाना चाहता हूं कि ललितपुर के अंदर एक बाई-पास है। केन्द्र सरकार ने पैसा दिया हुआ है लेकिन हमारे रक्षा मंत्री बैठे हुए हैं ये उस समय मुख्यमंत्री थे। इन्होंने केन्द्र का दिया हुआ पैसा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर लगा दिया, जिसके कारण आज ललितपुर का बाई-पास अधूरा पड़ा हुआ है। इस सदन के अंदर भूतल परिवहन मंत्री ने 9वीं लोक सभा में आश्वासन दिया हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना हिस्सा नहीं दिया है और उसका परिणाम यह है कि ललितपुर के अंदर हत्याएं और दुर्घटनाएं होती हैं। इसी प्रकार से झांसी में... *(व्यवधान)* सुन लीजिए, यह पिछड़े क्षेत्र की बात है। झांसी में उद्योग विकास केन्द्र खोलने के लिए दिल्ली सरकार की संस्तुति पर उत्तर प्रदेश सरकार की मोहर पर आज झांसी में यह केन्द्र खुलना था। आदेश है, पैसा अलॉटिड है, सारी नाप-तोल हो गई है लेकिन वित्त मंत्री जी अभी जो कार्रवाई शेष पड़ी हुई है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यह बुंदेलखंड के विकास के लिए है।

अगर आपके द्वारा आज घोषणा की जाती है कि वह विकास केन्द्र प्रारम्भ हो जायेगा, उसके लिए पैसा स्वीकृत है, आपके द्वारा दिया जा चुका है, केवल उत्तर प्रदेश सरकार को अपना हिस्सा लगाकर काम करना है तो इससे उद्योगों की एक शृंखला वहां खड़ी हो जाएगी।

महुरानीपुर हमारे यहां ललितपुर में एक स्थान है, जो झांसी जिले में पड़ता है। वहां शायद कुछ छोटे-मोटे उद्योग आज पनप रहे हैं लेकिन 132 के.वी. विद्युत सब-स्टेशन न होने के कारण, वहां के सभी छोटे उद्योग मरने की अवस्था में आ गए हैं। वैसे 132 के.वी. विद्युत सब-स्टेशन देने की घोषणा हमारे प्रधानमंत्री जी और राज्यपाल महोदय दोनों ने की है। माननीय रक्षा मंत्री जी स्वयं महुरानीपुर जाकर, अपने एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा कर चुके हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय रक्षा मंत्री जी इस मामले में माननीय वित्त मंत्री जी की सहायता करें ताकि महुरानीपुर में शीघ्र 132 के.वी. विद्युत सब-स्टेशन प्रारम्भ किया जा सके जिससे वहां रहने वाली गरीब जनता की जिन्दगी खुशहाल बन सके। मैं समझता हूं कि जब तक वहां 132 के.वी. विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना नहीं हो जाती, उस समय तक वहां कोई विकास सम्भव नहीं है।

हमारे यहां ललितपुर में बारी एक स्थान है, जहां मधुरासा और बछावनी दो लिफ्ट इरीगेशन कैनाल हैं जिनसे अभी तक पानी हमें उपलब्ध नहीं है। इन लिफ्ट इरीगेशन योजनाओं के न चलने से हमारी लगभग 50,000 किसानों की आबादी सूखे की जिन्दगी व्यतीत कर रही है। तिवारी जी मेरा समर्थन करेंगे कि आज वहां एक दाना भी खेतों में पैदा नहीं होता। मेरा निवेदन है कि माननीय वित्त मंत्री जी आप इन योजनाओं को शीघ्र पूरा करने की कोशिश करें।

अब एक निवेदन और करके मैं समाप्त करूंगा। हमारे यहां उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र में इन दिनों एक आन्दोलन चल रहा है। रक्षा मंत्री जी और तिवारी जी जानते होंगे क्योंकि आप दोनों उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री रहे हैं। वहां 'उष्टा' जाति के लोग इस बात को लेकर आन्दोलन कर रहे हैं कि उन्हें पिछड़े वर्गों की कैटेगरी में शामिल किया जाए क्योंकि उनका सामाजिक जीवन, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में उनके जितने रिश्तेदार रहते हैं, उनके समकक्ष है और वे सभी पिछड़े वर्ग में शामिल कर लिए गए हैं जबकि उत्तर प्रदेश में उन्हें अभी तक सामान्य कैटेगरी में ही रखा गया है, जिससे उनमें भारी रोष है। मैं रक्षा मंत्री जी और वित्त मंत्री जी से, इस मामले में सहयोग की अपील करते हुए मांग करना चाहूंगा कि इस जाति को शीघ्र से शीघ्र पिछड़े वर्गों में शामिल किया जाए। माननीय वित्त मंत्री जी जब इस चर्चा का उत्तर दें तो आज ही इसकी घोषणा करें।

एक निवेदन वित्त मंत्री जी से मैं और करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के संबंध में वे इस बात की चिन्ता करें कि यहां से जो भी पैसा दिया जा रहा है, क्या वह सही तरीके से वहां खर्च होगा। आज उत्तर प्रदेश में जो हाथ इस पैसे को खर्च करने वाले हैं, वे बदनाम हो चुके हैं और भ्रष्ट हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था आज इस स्थिति में पहुंच चुकी है कि आपके द्वारा दिया गया एक पैसा भी सही कामों में नहीं लग पाएगा, जनता तक नहीं पहुंच पाएगा। मुझे आशा है कि

वित्त मंत्री जी इसकी समुचित व्यवस्था करेंगे और जिन बिन्दुओं को मैंने यहां उठाया है, उनका उत्तर देंगे, यही मेरी उनसे प्रार्थना है।

[अनुवाद]

श्री संतोष कुमार गंगवार: महोदय, अब केवल दो और महिला सदस्य बची हैं। कृपया उन्हें भी बोल लेने दीजिए।

[हिन्दी]

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव): मुझे कोई भाषण नहीं देना है... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्रीमती पूर्णिमा वर्मा इसी विषय पर दो मिनट की मेडन स्पीच देना चाहती हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस अवसर पर वह उचित नहीं होगा। आपको पहले समय दिया जाना चाहिए था। अब समय काफी हो चुका है।

श्री मुलायम सिंह यादव।

श्री मुलायम सिंह यादव: मैं आपका आभारी हूं, मुझे कोई भाषण नहीं देना है... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: यह उचित नहीं है... *(व्यवधान)*

श्री राम नाईक: क्या उचित नहीं है? ... *(व्यवधान)*

श्री शरद पवार: यह निर्णय किया गया था कि इसे बिना किसी चर्चा के पारित किया जायेगा? बाद में यह निर्णय किया गया था कि इस पर चर्चा के लिए दो घंटे का समय आवंटित किया जाए... *(व्यवधान)*

श्री राम नाईक: जब रक्षा मंत्री बोलने के लिए खड़े हो सकते हैं तो वह क्यों नहीं ... *(व्यवधान)*

श्री शरद पवार: उस वक्त यह निर्णय किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी से एक और सदस्य बोलेंगे। अब आप ऐसा कह रहे हैं। यह ठीक नहीं है... *(व्यवधान)*

श्री राम नाईक: जब मंत्री महोदय, जिन्हें बोलना नहीं था, बोल सकते हैं तो वह क्यों नहीं बोल सकतीं... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया बैठ जायें। मैं बोल रहा हूँ। कृपया बैठ जायें। मुझे कोई ऐसा अप्रिय कार्य करने के लिए बाध्य न करें। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि एक अनुशासनात्मक निकाय होने के नाते जो कुछ भी निदेश दिया जाए उसका पालन करें।

जब मैंने अपराह्न 2.00 बजे अध्यक्षपीठ संभाली थी तब मैंने सभा से राय जानने की कोशिश की थी, और तब यह निर्णय किया गया था कि अपराह्न 3.15 बजे माननीय मंत्री जबाब देंगे।

... (व्यवधान)

कृपया मेरे बोलने के बीच बाधा उत्पन्न न करें।

... (व्यवधान)

सभापति महोदय: मैं इस बात से सहमत था कि माननीय मंत्री अपराह्न 3.15 बजे अपना उत्तर देंगे। तत्पश्चात्, चूंकि श्री नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता हैं, मैंने उन्हें कुछ ज्यादा वक्त दिया। इसके बाद मैंने स्वत: इस अवधि को अपराह्न 3.30 बजे तक बढ़ा दिया। फिर श्री संतोष मोहन देव ने यह मुद्दा उठाया कि कार्य मंत्रणा समिति में यह निर्णय हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के चार सदस्य इस चर्चा में बोलेंगे और दो या तीन सदस्यों को स्वीकृति दी जाएगी।

... (व्यवधान)

श्री राम नाईक: श्री संतोष मोहन देव, वक्ताओं के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया था... *(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव: मैं पूरे अधिकार के साथ ऐसा कह सकता हूं ... *(व्यवधान)*

श्री राम नाईक: मैं कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में उपस्थित था।

श्री संतोष मोहन देव: नहीं, आप वहाँ उपस्थित नहीं थे।

श्री राम नाईक: मुझे उस कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बारे में सूचित क्यों नहीं किया गया था? मुझे सूचित किया जाना था। ऐसा न करें। मुझे सूचित किया जाना था।... *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): आपके नेताओं ने आपको सूचित करना था। यह आपके नेताओं की जिम्मेवारी थी... *(व्यवधान)*

श्री राम नाईक: आप कार्य मंत्रणा समिति के सदस्यों को बताये बिना ही बैठक बुलाते हैं। मैं अपने दल का मुख्य सचेतक हूँ। श्री आचार्य आपको यह जानना चाहिए। मुझे इस बैठक के लिए सूचित नहीं किया गया था। श्री देव आप भी अपने दल के मुख्य सचेतक हैं... *(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव: उस बैठक में श्री अटल बिहारी वाजपेयी उपस्थित थे; श्री जसवन्त सिंह थे और कांग्रेस दल से मैं उपस्थित था। माननीय अध्यक्ष महोदय उपस्थित थे। अपने नेताओं को आप कम करके न आंकें। यह उचित नहीं है।

श्री राम नाईक: साथ ही, मैं अपना स्थान कम नहीं करना चाहता क्योंकि मैं अपने दल का मुख्य सचेतक हूँ। मुझे उस बैठक के बारे में बताया जाना चाहिए था... *(व्यवधान)* इसका निर्णय करना संसदीय कार्य मंत्री का काम नहीं है। यह फैसला करना लोक सभा अध्यक्ष का काम है। हमें इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए... *(व्यवधान)* यह बात नहीं है। आप उस तरह क्यों कहना चाहते हैं? श्री शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि यह गलत है। उसमें गलत क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का समय मांगने का अधिकार है। अगर वह बोल सकते हैं, तो वह क्यों नहीं बोल सकतीं? ... *(व्यवधान)* मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं इस बात से अवगत हूँ।

सभापति महोदय: ठीक है। मैंने माननीय रक्षा मंत्री को दो मिनट के लिए बोलने की अनुगति दे दी है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: सभापति जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मुझे उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में ज्यादा कुछ इसलिए नहीं कहना है कि माननीय तिवारी जी और कई माननीय सदस्यों ने काफी बोला है। हम सब यही कहना चाहते हैं कि हमें इस महा सदन में राजनीतिक दृष्टि से तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। बार-बार हमारी तरफ इशारा किया। पहली बार जब हमारी सरकार बनी, तो उत्तराखंड, बुंदेलखंड और पूर्वांचल के लिए एक विशेष निधि का प्रावधान हमने पहली बार बजट के अतिरिक्त किया था। ... *(व्यवधान)*

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री: लेकिन जो बुंदेलखंड की बात है उसका खाता इन्होंने खोला।

सभापति महोदय: अग्निहोत्री जी, आप इंट्रप्ट मत कीजिए। अगर आपको कोई आपत्ति होगी, तो मैं आपको भी दो मिनट का समय पर्सनल एक्सप्लेनेशन के लिए दे सकता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव: अग्निहोत्री जी, मैं आप ही की बात का समर्थन कर रहा हूं। आपने अच्छी बात कही है। बुंदेलखंड की समस्या है, पानी की समस्या है, भुखमरी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। इसीलिए 50 सालों से सरकारें चली आ रही हैं, लेकिन उनके लिए पहली बार अलग-अलग प्रावधान हमने बजट के अतिरिक्त किया। पूर्वांचल का अलग, बुंदेलखंड का अलग और उत्तराखंड के लिए अलग प्रावधान किया। बराबर ये कहते हैं कि फलां राज्य में ऐसा हुआ और फलां राज्य में ऐसा हुआ।

जहां तक ला एंड आर्डर का सवाल है, तो उस पर चर्चा करने के लिए 20 तारीख तय हो चुकी है, तो 20 तारीख को सब पोल खुल जाएगी कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है और वह क्यों जिम्मेदार है, इस बारे में पूरी पोल खुल जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जितने हम सब इधर बैठे हुए लोग हैं, सबने, यहां से लेकर तिवारी जी ने, सबने अधिक प्रयास किए हैं और ऐसा नहीं है, बल्कि केन्द्रीय सरकार की रिपोर्ट देखिए। हमारे समय में योजनाओं का जितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसका नतीजा यह निकला कि जब हम 1995 में योजना आयोग के सामने गए तो पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने जितना धन मांगा उतना धन हमें यह कह कर दिया गया कि योजनाओं का बैस्ट इम्प्लीमेंटेशन मुलायम सिंह के जमाने में हुआ। अभी मुझे इतना ही कहना है। जहां तक आपका कहना है, मैं पूरी तरह से बुंदेलखंड के लिए चिन्तित हूं और मैंने काम किया है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री: सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के संबंध में, ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अग्निहोत्री जी, आपके ऊपर इन्होंने कोई आरोप नहीं लगाए हैं। इसलिए पर्सनल एक्सप्लेनेशन का यहां सवाल नहीं है। पर्सनल एक्सप्लेनेशन तब होता है जब वे कोई आरोप लगाएं। इसलिए पर्सनल एक्स्पलेनेशन की आवश्यकता नहीं है। कृपया आप बैठ जाइए।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री: सभापति महोदय, जिसने काम किया है, उसको श्रेय भी तो जाना चाहिए।

सभापति महोदय: नहीं, कृपया अब आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

माननीय वित्त मंत्री अब इस वाद-विवाद के संबंध में अपना उत्तर दे सकते हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: सभापति महोदय, न तो यह खुशी की बात है न ही संतोष की कि मैं इस वाद-विवाद के उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था, इस बजट को उत्तर प्रदेश विधान सभा में बनाया और प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। मैंने पिछली बार यह आशा व्यक्त की थी कि इसे मार्च, 1997 से पहले कर लिया जाएगा। दुर्भाग्यवश, ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई सुधार नहीं हुआ है। एक बार फिर मुझे अपरिहार्य रूप से बजट प्रस्तुत करना पड़ रहा है।

मुझे यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि भारत सरकार में कोई भी वित्त मंत्री किसी राज्य का बजट नहीं बनाता। हम केवल इसे प्रस्तुत करते हैं। केन्द्रीय बजट बनाने में मेरा योगदान होता है, परन्तु राज्य बजट बनाने में मेरा कोई योगदान नहीं होता। मैं केवल बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मैं केवल उत्तर प्रदेश में जो कुछ किया गया है उसके बारे में और जो कुछ अगले वर्ष किया जाएगा उसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वर्ष 1996-97 के लिए राज्य कर और गैर-कर राजस्वों का संशोधित अनुमान 7,377.10 करोड़ रुपये आंका गया है

जो बजट अनुमानों से थोड़ा अधिक है। भारत सरकार से मिलने वाली अनुदान सहायता में से राज्यों का केन्द्रीय करों का भाग 8,680.25 करोड़ रुपये है। राजस्व लेखों पर व्यय 20,462 करोड़ रुपये है। निवल पूंजी प्राप्तियों पर संशोधित अनुमान 6,096.15 करोड़ रुपये है। लोक लेखा के अंतर्गत आकस्मिकता निधि अंतरण की निवल प्राप्ति वास्तविक आरंभिक अधिशेष को देखते हुए चालू वर्ष के अंत में 396 करोड़ रुपये का अधिशेष होने का अनुमान है।

मैं आपको ये आंकड़े केवल यह दिखाने के लिए दे रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश पिछड़ा ही रहता है, जैसा कि एक के बाद एक सदस्य बड़े दुख से कहते रहे हैं, तो यह इसलिए नहीं कि वहाँ धन की कमी है। उत्तर प्रदेश के लिए पर्याप्त धन है। उत्तर प्रदेश भारत के अधिकांश राज्यों से अधिक धन खर्च करता है। फिर भी उस धन का कोई मूल्य नहीं है।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार: महोदय, हिमाचल और केरल के मुकाबले में देखिए।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: वह मूल्य केवल तभी आएगा जब उत्तर प्रदेश के लोग और प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक जिम्मेवार राजनीति लाएं। एक जिम्मेवार राजनीति लाएं। एक जिम्मेवार राजनीति के न होने से उत्तर प्रदेश की स्थिति दयनीय बनी हुई है। मैं और अधिक कहना नहीं चाहता।

1997-78 के बजट अनुमानों में, राजस्व प्राप्तियां 17,425.57 करोड़ रुपये आंकी गई है जो 1996-97 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 1368.22 करोड़ रुपये अधिक है। राजस्व लेखे में 22126 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान किया गया है। पूंजी लेखे में प्राप्तियां 6855.47 करोड़ रुपये हैं और ऋण और अग्रिम राशियों सहित व्यय 5149.40 करोड़ रुपए है। राजस्व लेखा, पूंजी लेखा, लोक लेखा और आरंभिक अधिशेष को देखते हुए, 1997-98 के बजट के अंत में 67.23 करोड़ रुपए के अधिशेष होने की आशा की जाती है।

वार्षिक योजना के संबंध में एक उल्लेख किया गया है। 1996-97 की वार्षिक योजना में 6,549.03 करोड़ रुपये निर्धारित किए गये थे। 1997-98 के लिए वार्षिक योजना में 7,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। माननीय सदस्य श्री नारायण दत्त तिवारी ने कहा है कि विस्तृत वित्तीय तालिका अभी योजना आयोग से प्राप्त की जानी है।

महोदय, मैं इस वाद-विवाद में उठाए गए कुछ मुख्य मुद्दों के जवाब देने के लिए 2-3 मिनट का समय लेना चाहता हूँ।

गोरखपुर उर्वरक संयंत्र के संबंध में उल्लेख किया गया है। मुझे बताया गया है कि भारत सरकार के सचिव (उर्वरक) ने संयंत्र का दौरा किया था। यह पाया गया कि इस इकाई को पुन: चालू किया जाना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं होगा और इसे नाफ्था आधारित संयंत्र में बदल दिया जाएगा। तदनुसार, अब एक नए नाफ्था आधारित संयंत्र के लिए पी.आई.वी. को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रथम चरण की स्वीकृति एक महीने के अंदर मिलने की आशा है। दूसरे चरण की स्वीकृति अर्थात् डी.पी.आर., उसके बाद के पांच महीनों के अंदर मिलने की आशा है। चालू वर्ष के दौरान लगभग 1,300 करोड़ रुपए के अंतिम निवेश निर्णय होने की संभावना है। केवल नए नाफ्था आधारित संयंत्र के द्वारा ही उर्वरक कारखाने को पुन: चालू करना संभव है।

विद्युत क्षेत्र के संबंध में भी उल्लेख किया गया है। उत्तर प्रदेश की स्थापित क्षमता 6,049 मेगावाट है। उत्पादन—ताप विद्युत 4,271 मेगावाट और जलविद्युत 1,505 मेगावाट। उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय विद्युत केंद्रों से भी 2,601 मेगावाट बिजली प्राप्त होती है। इसकी ऊर्जा की मांग 6,000 मेगावाट और 110 मिलियन यूनिट है। तथापि, ऊर्जा की उपलब्धता केवल 5300 मेगावाट और 101 मिलियन यूनिट है। इसलिए, कमी है।

अब मैं विचाराधीन प्रस्तावों के संबंध में उल्लेख करना चाहूंगा। जल विद्युत क्षेत्र में, क्षमता के उपयोग के लिए निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया गया है। 330 मेगावाट वाले श्रीनगर विद्युत परियोजना के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। विष्णु प्रयाग परियोजना के संबंध में पी.पी.ए. पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये दो ऐसी परियोजनाएं हैं जिनके संबंध में हस्ताक्षर किए गए हैं।

मानेरीबाली (476 मेगावाट), पालामानेरी-4 (104 मेगावाट); तपोवन-3 (120 मेगावाट), और लोहारी नागपाल (520 मेगावाट) परियोजनाओं के लिए बातचीत चल रही है। इसके अतिरिक्त, विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए, सात द्रव आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए निजी पार्टियों का चुनाव किया गया है। छोटी जलविद्युत परियोजनाओं और कोयला उत्पादन करने वाली इकाइयों के लिए भी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

महोदय, श्री नारायण दत्त तिवारी ने आवंटन के बारे में कहा है। उनका कहना ठीक है। ऊर्जा क्षेत्र के लिए, राजस्व लेखे में बजटीय सहायता 5.39 करोड़ रुपये है। यह शीर्ष 2045 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण, पृष्ठ 5 पर दिया गया है। पूंजीगत लेखे के अंतर्गत यह पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 993.92 + 37 करोड़ रुपये है जो कुल 1,030.92 करोड़ रुपये होता है। ये वार्षिक वित्तीय विवरण, पृष्ठ 20 पर शीर्ष सं. 6801 और 6551 के अंतर्गत दिए गए हैं। यह बजटीय सहायता है। नि:सन्देह, बजटीय सहायता के अलावा आंतरिक और बजटेतर संसाधन

[श्री पी. चिदम्बरम]

हैं। जैसे ही योजना परिव्यय अनुमोदित हो जाता है, वैसे ही यह स्पष्ट हो जाएगा।

पेड़ों की कटाई रोकने के संबंध में भी उल्लेख किया गया है। वर्ष 1995 की रिट याचिका सं. 202 में, सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 12.12.96 के एक आदेश द्वारा पेड़ों के काटने पर रोक लगा दी है। विभिन्न सरकारी आदेशों के अंतर्गत गांवों में पहाड़ी क्षेत्रों में इमारती लकड़ी और ईंधन की लकड़ी के लिए कुछ अधिकार और रियायतें दी गई हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

उच्चतम न्यायालय से इस मामले पर पुन: विचार करने के लिए कहा गया है। यह मामला आज उच्चतम न्यायालय में लंबित पड़ा है।

पर्वतीय क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ठीक से काम न करने के संबंध में कुछ टिप्पणियां की गई हैं। मुझे बताया गया है कि नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कुल अनाज का 60% पहाड़ी क्षेत्रों को आवंटित किया जा रहा है।

अपराह्न 4.01 बजे

[श्री बसुदेव आचार्य पीठासीन हुए]

मेरे लिए माननीय सदस्य की बात न मानने का कोई कारण नहीं हो सकता कि पी.डी.एस. की दुकानों पर बहुत अधिक अनाज नहीं पहुंचता, परंतु जहां तक पी.डी.एस. का संबंध है, उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में यह बहुत ही दुखद स्थिति है। केवल चार-पांच राज्य ऐसे हैं जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक ढंग से काम कर रही है और उन राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने अपना उद्देश्य पूरा किया है। अन्य राज्यों में पी.डी.एस. की स्थिति खराब है और मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि पी.डी.एस. की स्थिति वास्तव में खराब है।

उत्तराखंड के संबंध में काफी भावुकता पैदा की गई थी। मैं माननीय सदस्यों से, संविधान के अनुच्छेद 3 को पढ़ने का अनुरोध करूंगा। न तो सत्ता पक्ष और न ही विपक्ष अनुच्छेद 3 के अर्थ को बदल सकता है। इसमें कहा गया है:

> ''संसद विधि द्वारा एक मरु राज्य का निर्माण कर सकेगी परन्तु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है, वहां जब तक उस राज्य के विधान मंडल द्वारा उस पर अपने विचार, ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद् के किसी सदन में पुर:स्थापित नहीं किया जाएगा।''

राष्ट्रपति को चाहिए कि वे विधेयक को उस राज्य विधान-मण्डल को निर्दिष्ट करें। हो सकता है कि राष्ट्रपति अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हों, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि अनुच्छेद 3 में राष्ट्रपति स्वयं को विधान मण्डल के रूप में निर्दिष्ट करें और अपना मत दें। राष्ट्रपति केवल उस राज्य विधानमण्डल को निर्दिष्ट कर सकते हैं। वह विधान-मण्डल जैसा कि आप जानते हैं, इस समय निलम्बित स्थिति में है। जब उस विधान-मण्डल की फिर से बैठक होगी, तब हम उत्तराखंड पर चर्चा कर सकेंगे।

इसके लिए व्यापक आवंटन किया गया है।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार: जब सरकारें चुनी हुई थीं तब भी यह कार्य हो सकता था। मुलायम सिंह के कार्यकाल में प्रस्ताव भेजा गया था, कल्याण सिंह जी के कार्यकाल में प्रस्ताव भेजा गया था, इनको प्रेसीडेंट आर्टिकल तीन के अंतर्गत वापस कर देते।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: हमें उस बात का पता है। हमने विधि मंत्रालय की सलाह ली है। पूर्व में पारित किए गए संकल्प पर निर्भर करना ही काफी नहीं है। प्रस्तुत किये जाने वाले विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा विधान सभा को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। इसलिए, पहले का संकल्प काफी नहीं है। यह विचार विधि मंत्री और महान्यायवादी के द्वारा व्यक्त किये गये हैं। हमें इस बात का संतोष है कि ये ठीक मत हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने विधिक सलाहकारों से सलाह लें और वे आपको बताएंगे कि जो कुछ मैं कह रहा हूं, वह सही है या नहीं।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार: यह मैं समझ रहा हूं, उस समय क्यों वापस नहीं भेजा था? इसमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारा कहना है कि जब प्रस्ताव आया... *(व्यवधान)*

श्री पी. आर. दासमुंशी: वह बिल से होता है, प्रस्ताव से नहीं होता है।

श्री संतोष कुमार गंगवार: समझ में आ गया।

[अनुवाद]

श्री.पी. चिदम्बरम: परंतु यह काफी नहीं है।

महोदय, मैं बनाए गए विभिन्न प्रावधानों की चर्चा नहीं करना चाहता। जैसा कि मैंने कहा है, इस बार के बजट अनुमान पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक हैं। बड़ी संख्या में योजनाओं के लिए प्रावधान किये गये हैं। मैंने देखा है कि प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत पर्याप्त राशि प्रदान की गई है। अब यह उत्तर प्रदेश सरकार का काम है कि वह यह सुनिश्चित करे कि यह धनराशि बुद्धिमत्तापूर्वक, समझदारी से और सही ढंग से खर्च की जाए।

मुझे बताया गया है कि संसद सदस्यों की एक समिति का गठन करने के लिए सदन के समक्ष एक विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है और मुझे विश्वास है कि यदि संविधान के अनुसार संसद सदस्यों की वह समिति गठित हो जाती है, तो हम एक और मंच का गठन करेंगे जिसमें विधि संबंधी, बहुत से मामलों पर चर्चा की जा सकेगी। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे सहयोग करें तथा इस लेखानुदान को पारित करें।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री: वित्त मंत्री जी, पिछड़े क्षेत्र के लिए, बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए तिवारी जी ने भी कहा, मुलायम सिंह जी ने भी कहा, मैंने भी विनती की। लेकिन पीने के पानी की जो योजनाएं हैं और जो बाइपास हैं, हमारा विकास केन्द्र हैं, झांसी में इसके लिए तो कुछ कहें।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: मैं आपको लिखूंगा।

सभापति महोदय: अब मैं सभी कटौती प्रस्तावों को सदन में मतदान के लिए रखूंगा।

... (व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम: कटौती प्रस्तावों को कौन प्रस्तुत कर रहा है।

सभापति महोदय: उन्हें पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

श्री पी. चिदंबरम: मैं उनसे अनुरोध करुंगा कि वे कटौती प्रस्तावों पर जोर न दें।

सभापति महोदय: जब तक कोई माननीय सदस्य यह इच्छा व्यक्त नहीं करता कि उसके कटौती प्रस्ताव अलग-अलग प्रस्तुत किये जाएं, मैं वर्ष 1997-98 के लिए बजट (उत्तर प्रदेश) के संबंध में लेखानुदानों की मांगों से संबंधित सभी कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करूंगा।

ठीक है। मैं सभी कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिए रखूंगा।

सभी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय: अब मैं वर्ष 1997-98 के लिए लेखानुदानों की मांगें (उत्तर प्रदेश) मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में मांग सं. 1 से 28, 30 से 82 और 84 से 95 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा और पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब मैं वर्ष 1996-97 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (उत्तर प्रदेश) मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्यसूची के स्तंभ 2 में दिखाई गई मांग संख्या 1, 2, 4 से 7, 9 से 18, 20 से 28, 30 से 35, 37 से 45, 47, 49, 50, 52. 53, 55 से 60, 63, 65, 68, 70 से 78, 80, 84 से 87, 89, 92, 94 और 95 मांग के संबंध में 31 मार्च 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तंभ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.07 बजे

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 1997*

श्री पी. चिदम्बरम: मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1997-98 के एक भाग की सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 2, दिनांक 15.3.97 में प्रकाशित।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 1997-98 के एक भाग की सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं विधेयक को पुर:स्थापित* करता हूँ।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि वित्तीय वर्ष 1997-98 के एक भाग की सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 1997-98 के एक भाग की सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब यह सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.09 बजे

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1997*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि वित्तीय वर्ष 1996-97 की सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 1996-97 की सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूँ।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि वित्तीय वर्ष 1996-97 की सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 2 दिनांक 15-3-97 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 1996-97 की सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: यह सभा अब विधेयक पर खंडशः विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गये।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.12 बजे

आयकर (दूसरा संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

आयकर (संशोधन) विधेयक, 1997*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम मद सं. 14 और 15 के संबंध में चर्चा करेंगे।

... (व्यवधान)

सभापति महोदय: सत्ता पक्ष में शांति होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 31 दिसम्बर, 1996 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित आयकर (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 32) का निरनुमोदन करती है।"

सभापति जी, भारत के संविधान में महामहिम राष्ट्रपति जी को अध्यादेश द्वारा विधायी अधिकार प्राप्त हैं। अगर कोई अत्यंत आकस्मिक परिस्थिति पैदा हो जाए और देश के मौजूदा कानूनों के अंतर्गत उस आकस्मिक परिस्थिति से नहीं निपटा जा सकता हो तो ऐसी स्थिति में केन्द्रीय मंत्री परिषद राष्ट्रपति जी से अध्यादेश जारी कराकर आकस्मिक परिस्थितियों से निपट सकती है। लेकिन जब 20 फरवरी को लोक सभा का सत्र आरम्भ होने जा रहा था, जिसकी सूचना 27 जनवरी को जारी हुई थी, ऐसी स्थिति में 31 दिसम्बर को यह अध्यादेश लाकर राष्ट्रपति जी को संविधान में दिए गए अधिकारों का दुरुपयोग है। 1961 में इंकम टैक्स में जो परिवर्तन सरकार लाना चाहती थी, वह बजट सत्र के दौरान ला सकती थी। आयकर अधिनियम 198 में जो संशोधन किया गया है, उसके अंतर्गत अगर किसी के घर में छापा पड़ता है तो उस संबंध में आकलन करने वाले अधिकारी द्वारा 15 दिन के अंदर नोटिस दिया जाता है। यह धारा वास्तव में अपने आप में मुकम्मल नहीं है। इसमें यह जोड़ दिया गया है कि आकलन करने वाले अधिकारी को छापा डाले जाने वाले व्यक्तियों को नोटिस देने का समय कम से कम 15 दिन और अधिक से अधिक 25 दिन रखा जाएगा।

सभापति जी, 158 (बी) में जो प्रावधान जोड़ा गया है, उसके अंतर्गत जिसके यहां छापा पड़ा है, उसे रिवाइज रिटर्न फाइल करने से वंचित किया गया है तथा दो वर्ष के अंदर उसका केस फाइनल करना

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 15.3.97 में प्रकाशित।

[श्री अमर पाल सिंह]

पड़ेगा। लेकिन जो टैक्स अब तक लगता था, उस पर दो प्रतिशत ब्याज दिया जाता है। अब उसके स्थान पर तीन सौ रुपया जुर्माना व सजा का प्रावधान किया गया है। यह एक बहुत बड़ा उत्पीड़न है क्योंकि उत्पीड़न ही भ्रष्टाचार की जननी है। आज हमारे देश में काला धन उद्योगपतियों व व्यापारियों के पास नहीं है। काला धन बड़े अधिकारियों तथा राजनैतिज्ञों के पास है। इससे आपके आयकर में संशोधन की जो योजना इस बजट में रखी गई है, यह प्रावधान उसमें भी बाधा है। कई बार निर्दोष व्यक्ति अज्ञानता के कारण फंस जाते हैं तथा इनकमटैक्स अधिकारी उन निर्दोष व्यक्तियों का उत्पीड़न करते हैं। इस तरह के उदाहरण मैं आज भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में देखता हूं कि 25 वर्ष की आयु के लड़के ने कोई उद्योग लगाया तो 30 वर्ष की आयु तक उसे ब्लड प्रेशर की बिमारी हो जाती है। उसे आर्थिक कठिनाइयों के कारण ब्लड प्रेशर नहीं होता, बल्कि सरकारी उत्पीड़न के कारण ब्लड प्रेशर होता है। 158(बी) का मैं विरोध करता हूं तथा सुझाव देता हूं, जो अनडिस्क्लोज्ड धन पर दो प्रतिशत ब्याज लगता था, उसके स्थान पर 300 प्रतिशत जुर्माना तथा सजा समाप्त करके केवल 10 प्रतिशत ब्याज का प्रावधान ही काफी है। अगर यह सजा और 300 प्रतिशत जुर्माने का प्रावधान नहीं रोका, तो ऐसा उत्पीड़न होगा कि दोबारा फिर 1975 के आपातकाल की पुनरावृत्ति हो जाएगी।

हमारे देश में जो विदेशी कंपनियां आ रही हैं, उनके धन के स्रोत के बारे में यह नहीं जानने का आश्वासन दिया गया है। जब काला धन ही व्यापारियों के स्थान पर भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट राजनीतिज्ञ के पास है, तो मंत्री जी ने तो उन्हें बचाने के लिए प्रावधान कर दिया है कि वे अपने काले धन का निवेश विदेशी कंपनियों में कर सकते हैं। इस प्रकार व्यापारी जो टैक्स देना चाहता है, उसका उत्पीड़न होगा। इसलिए मैं 158(बी) और 300 प्रतिशत जुर्माना तथा सजा के प्रावधान को कम करने का अनुरोध करता हूं।

धारा 80-जी में इनकमटैक्स एक्ट 1961 में संशोधन किया है। इस धारा के तहत कुछ चुनिन्दा प्रतिष्ठानों को ही दिए गए धन को कर से छूट कर दी गई है, इसका दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है। उसमें कुछ ऐसे संस्थानों को भी छूट मिलनी चाहिए, जो आपातकालीन स्थिति में बढ़-चढ़ कर जनता की सेवा करें और जिनकी साख हो। मैं आपके सामने एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब उत्तराखण्ड में भूकम्प आया था, तब सरकारी एजेंसियों ने उतनी सेवा नहीं की, जितनी कि प्राइवेट और सामाजिक संस्थाओं ने। उनके माध्यम से जो धन बांटा गया, जो राहत दी गई, ऐसी संस्थाओं को भी 80-जी में लाभ देने के लिए प्रावधान करना चाहिए, जिन्होंने आपसे पहले अच्छा कार्य किया हो।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): मैं प्रस्ताव करता हूं*:

> "कि आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय, मैं आयकर (संशोधन) विधेयक, 1997 प्रस्तुत कर रहा हूं। वित्त अधिनियम 1995 में अध्याय 14ख लाया गया था। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य, जिसने सांविधिक संकल्प का प्रस्ताव किया था, ने अध्याय 14ख के प्रावधानों के लिए अपने ज्ञान का प्रयोग किया था। उस अध्याय में, एक जुलाई 1995 या उसके बाद की गई तलाशियों के परिणामस्वरूप अप्रकटित आय के निर्धारण की नई योजना का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 1 जुलाई 1995 के बाद की गई तलाशी के परिणामस्वरूप पता लगाई गई आय को ब्लॉक अवधि की आय का नाम दिया गया है। इस अप्रकटित आय पर 60 प्रतिशत की समान दर से आय कर लगाया गया। इसके लिए कोई दंड या ब्याज नहीं लगाया गया। यह प्रावधान भी किया गया है कि ब्लॉक अवधि के लिए निर्धारण के आदेश को तलाशी लिए जाने के महीने के अंत से एक वर्ष के भीतर पारित किया जाएगा। इस प्रावधान का उद्देश्य अप्रकटित आय पर शीघ्रता से कर लगाया जाना और सरकार के लिए अधिक मात्रा में राजस्व प्राप्त करना था। व्यवहारतः, इन प्रावधानों का दुरुपयोग किया जाने से काफी निराशा हुई।

आज अगर यह विधेयक पारित नहीं होता या यह अध्यादेश न होता तो जिनसे भी अप्रकटित आय का पता लगता, वे केवल यही कहते "60 प्रतिशत ले जाओ और 40 प्रतिशत हमारे लिए छोड़ दो।" क्या यही आप चाहते हैं?

पिछले बजट में हमने सदन में इस संबंध में चर्चा की थी और मैंने कहा था, "मैं एक विधेयक प्रस्तुत करने वाला हूं।" आप सभी ने मेरा समर्थन किया था और यह कहा था, "विधेयक लाओ।" शीतकालीन सत्र में मुझे विधायी कार्य के लिए समय नहीं मिला। इसलिए मैंने कहा था अगर मुझे शीतकालीन सत्र में विधायी कार्य के लिए समय नहीं मिला, तो मैं राष्ट्रपति से अध्यादेश लाने का प्रस्ताव करूंगा। यह अध्यादेश 31 दिसंबर को जारी किया गया था जिससे 1 जनवरी से नए प्रावधान लागू किये जा सकें।

उस व्यक्ति ने दो काम किये। पहला, उसने कहा "ठीक है, आपने मुझसे तीन करोड़ रुपये लिए हैं 1.8 करोड़ आप अपने पास रखिए और 1.2 करोड़ मेरे लिए छोड़ दीजिए।" कोई ब्याज नहीं, कोई जुर्माना नहीं, कोई अभियोजन नहीं और जब आयकर अधिकारी ने कहा "आप दस वर्ष का अपना आय कर विवरण दीजिए" एक निर्धारण आदेश को

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

पारित करने की सीमावधि 12 महीने थी, 11 महीने 29 दिन तक उसने कोई विवरणी नहीं भरी। 11 महीने और 29 दिन के बाद उसने अपनी देय आयकर सूची भरी और कहा कल आप इसका निर्धारण आदेश दे दीजिए। आयकर अधिकारी एक दिन में कैसे निर्धारण कर सकता है।

अत:, मैंने सम्पूर्ण स्थिति को बदलने का प्रस्ताव किया है। मेरा कहना यह है कि दो तरह के मामले हैं। यदि किसी व्यक्ति की अप्रकटित आय का पता चलता है और यदि वह उसे मान लेता है और एक आय विवरणी भर देता है और कर अदा कर देता है, कोई अपील नहीं करता है, तो मैं उससे कहूँगा "कोई ब्याज नहीं, कोई जुर्माना नहीं"। परन्तु यदि वह अपनी अप्रकटित आय को न माने, या विवरणी न भरे, या कर अदा न करे और अपील करे तो मैं उससे ब्याज भी लूँगा और दण्ड भी दूँगा। मैं नहीं समझता कि कोई इसका विरोध करेगा। केवल इसी ढंग से इस प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सकती है। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं कि मेरे पूर्ववर्ती मंत्री ने अच्छी मंशा से यह कार्य शुरु किया था। परन्तु व्यवहार में, विगत डेढ़ वर्ष में इसका बुरी तरह से दुरुपयोग हुआ है। अत:, हम इस प्रावधान को कड़ा कर रहे हैं और हमें आशा है कि आप सब इसे स्वीकार करेंगे। इस पर बहुत अधिक बहस की आवश्यकता नहीं है, यह धारा बहुत स्पष्ट है। जो व्यक्ति आय कर कानून से परिचित हो, इस धारा को पढ़ सकता है। यह धारा इसे बिल्कुल स्पष्ट करती है।

दूसरा प्रावधान यह है कि मैंने राष्ट्रीय रुग्णावस्था सहायता निधि को शत प्रतिशत की छूट दी है। असावधानीवश, हम राष्ट्रीय रुग्णावस्था सहायता निधि को प्रधानमंत्री के अधीन शामिल करना भूल गए। हमने सभी मुख्यमंत्रियों को एक-एक ऐसी निधि दी है जिसको शत प्रतिशत छूट है। हम वही छूट राष्ट्रीय रुग्णावस्था सहायता निधि को भी दे रहे हैं। इस बारे में कोई विवाद नहीं।

तीसरा परिवर्तन हम आय कर अधिनियम की धारा 54 ई (ए) में कर रहे हैं। दीर्घावधि पूंजी लाभ इससे मुक्त थे, यदि कुल बिक्री या उसका कोई भाग बांडों, डिबैन्चरों या म्युचुअल फंड में लगाया जाता है। शेयरों को धारा 54 ई (ए) के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता। लोगों ने बहुत देर से यह मांग कर रखी है कि यदि दीर्घावधि पूंजी लाभ को बांडों, म्युचुअल फंड और डिबैन्चरों में लगाया जाये, तो उन्हें इससे मुक्त रखा जाए। यदि उस राशि को पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के शेयरों में निवेशित किया जाता है, तो वे भी समान रूप से छूट के पात्र होंगे। इस मांग को देखते हुए, हम शेयरों को भी शामिल कर रहे हैं।

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इसे, यदि संभव हो, बिना चर्चा के और यदि आवश्यक हो तो कम से कम चर्चा करके इसे पारित करें।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि यह सभा 31 दिसम्बर 1996 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित आयकर (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 32) का निरनुमोदन करती है।"

"कि आयकर अधिनियम 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी कई संशोधनों के साथ यह बिल सदन में लाए हैं। इसमें दो राय नहीं है कि यदि आमदनी नहीं होगी, तो भारत सरकार का काम नहीं चलेगा। इनकम टैक्स से भी आमदनी होती है और अगर वह नहीं आएगी, तो काम कैसे होगा। मैं इस बात की तो ताईद करता हूं, लेकिन इस में प्रोवीजन हैं और इस संबंध में जो माननीय सदस्यों ने कहा है, अगर वे थोड़ा सा इस बारे में देख लें, तो अच्छा होगा। पिछली बार जो इनकम टैक्स का कानून था और वर्तमान में जो कानून आया है, पिछली बार तो 60 : 40 का हिसाब था जिससे आदमी अपनी ब्लैक मनी को बाहर दे देता था और उससे उसका बाकी पैसा सफेद हो जाता था। वह ब्लैक मनी सफेद नहीं हो और आदमी ने जो संपत्ति छिपाई है, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं भरी है, उससे किस प्रकार की रकम वसूल की जाए यह प्रावधान आपने इसमें किया है।

मुझे लगता है कि इन दिनों अधिकांश अधिनियम जो आप बना रहे हैं, वह इनकम टैक्स अधिकारियों की अकुशलता के कारण बना रहे हैं और यहां कह रहे हैं कि पिछले कानून में यह कमी थी इसलिए हम नया कानून लेकर आ रहे हैं। आपको उसमें सफलता नहीं मिली। आप सफलता पाने के लिए इस सारे कानून को लाए हैं। काला धन काला धन ही रहे और सफेद धन न हो जाए इस संबंध में आपका प्रयास है। काला धन रखने वालों पर अधिक जुर्माना लगाने का आपने जो प्रावधान किया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। यदि कोई व्यक्ति अपने धन को नहीं देता है तो इसमें समय बढ़ा दिया है।

[अनुवाद]

विवरणी भरने के लिए समयावधि 45 दिनों से अधिक नहीं है।

[हिन्दी]

यानी 45 दिन से ज्यादा नहीं होगा और 15 दिन से कम नहीं होगा। इसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं।

[अनुवाद]

परन्तु इन विवरणियों में संशोधन करने का कोई प्रावधान नहीं होगा।

श्री पी. चिदम्बरम: कैसा संशोधन? मैं उसके घर की तलाशी ले रहा हूँ। हम धन को जब्त कर रहे हैं और कह रहे हैं 'विवरणी भरो'। इसके लिए कम से कम पन्द्रह दिन का समय दिया जाना चाहिए। उसे पैंतालीस दिन के भीतर विवरणी भरनी है। उसे पता है कि धन उनके घर से जब्त किया गया है, उसे विवरणी भरनी है, चाहे वह उस धन की प्राप्ति को स्वीकार करे या अस्वीकार। उसे संशोधित विवरणी कौन सी भरनी है? वह केवल एक ही विवरणी भरेगा। हम किसी विगत अवधि के लिए उससे कोई संशोधित विवरणी भरने के लिए नहीं कह रहे। मैंने उसके घर से धन जब्त किया है। यह एक तलाशी का कार्य है और यह कोई स्वैच्छिक घोषणा नहीं है। फिर उसे या तो कहना पड़ेगा कि यह उसका धन है या यह कि यह उसका धन नहीं है। इसमें कितना समय लगता है? इसमें केवल 15 मिनट लगना चाहिए। मैं उसे पन्द्रह दिन का समय दे रहा हूँ। या तो वह कहे कि "यह मेरा धन है" या कहे "यह मेरा धन नहीं है।"

श्री वी. धनन्जय कुमार (मंगलौर): यह सब श्री सुखराम के कारण हुआ है।

श्री पी. चिदम्बरम: आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यदि यह कानून लागू नहीं किया गया होता, तो यही हुआ होता।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आपने इसमें समय बढ़ाया है, इसकी मैंने तारीफ की है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं लेकिन आखिरकार किसी के मकान में रकम मिल गई तो उसका पैसा तो ऐडजस्ट हो जाएगा लेकिन यदि किसी के घर में जेवरात मिल गए या उसने तीन-चार मकान बना रखे हैं तो उसको आपको समय देना चाहिए कि जो टैक्स बनता है, वह अपने जेवरों को बेचकर या अपने मकान को निर्धारित समय पर बेचकर आपको टैक्स दे दे। दो वर्ष तक समय बढ़ाने वाले प्रावधान के मैं खिलाफ हूं। इस तरह आदमी पर नंगी तलवार लटकी रहेगी और इनकम टैक्स से तो भगवान भी डरता है। भगवान राम और कृष्ण के पास भी इनकम टैक्स का बाबू आ जाए तो वह भी घबरा जाएंगे।

इसी प्रकार से आपने महानगरों के लिए प्रावधान किया है कि जिसके घर में टेलीफोन होगा, जिसके घर में कार होगी, जो विदेश यात्रा करके आएगा, उसके लिए अपनी आमदनी का ब्यौरा हर आदमी को रिटर्न में भरना पड़ेगा। शायद संसद सदस्य उसकी ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं आए हैं क्योंकि उनको आप डेढ़ हजार रुपये तनख्वाह देते है और बाकी सब भत्ते हैं।

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा): संसद सदस्यों से भी रिटर्न मांगे गए हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: रिटर्न भरना तो आवश्यक है। इसलिए मैं समझता हूं कि आप सोचें कि दो वर्ष तक उस पर नंगी तलवार लटकी रहेगी। इसलिए समय बढ़ाने वाले प्रावधान के मैं खिलाफ हूं। मैं समझता हूं कि छः महीने या अधिक से अधिक एक साल का समय उनको दें। दो वर्ष का समय देंगे तो माननीय सदस्य ठीक ही कह रहे थे कि उसका हार्ट फेल हो जाएगा। दो वर्ष के समय में तो वह एक वर्ष में ही खत्म हो जाएगा कि पता नहीं किस प्रकार की नौबत आएगी। इसलिए आप इस पर विचार करें।

इसी प्रकार से यह सैल्फ असेसमेंट के लिए समयावधि बढ़ाने का मैं विरोध करता हूं। यदि जांच के दौरान जब्त की गई सम्पत्ति के आकलन के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता हो तो आयकर विभाग को प्रदान किये जाने चाहिए। लेकिन आजकल यह जो देरी हो रही है, इस देरी को मैं समझता हूं आप समाप्त करेंगे। निरपराध लोगों को तंग करेंगे। इसी प्रकार से शेयर बाजार को आप समर्थन देना चाहते हैं। आपने शेयर पर छूट दे दी यानी आपने एक प्रकार से उधर तो छूट दे दी और इधर शेयर बाजार में जो आदमी रकम लगायेगा उस पर उसको जो कुछ भी मिलेगा वह टैक्सेबल नहीं होगा। मेरा मतलब है कि आप शेयर बाजार को प्रोत्साहन देना चाहते हैं और इसी संशोधन को सरकार और शेयर बाजार समर्थन देना चाहते हैं, लगता है सरकार इस समय शेयर बाजार से जुड़े लोगों के दबाव में है, चूंकि चंदे की जरूरत होती है, ऐसा लगता है कि चुनाव सन्निकट हैं और मुझे लगता है कि आगे साल भर मुश्किल से यह सरकार चले इसलिए चुनाव हो सकते हैं, यह बात सही है। हम तो रोजाना रेडियो सुनते हैं। आज आप फाइनेंस बिल लाये हैं। कल को श्री हनुमनतप्पा जी ने कह दिया कि हम कट-मोशन देंगे फिर उस पर विचार होगा। रोजाना यह सरकार हिल रही है, आज गई, कल गई। अब भगवान की कृपा से दिसम्बर में नहीं गई। जे. डी. का मतलब है जुलाई या दिसम्बर। जनता दल की सरकार है, जे.डी.। अब यह नहीं गई फरवरी का महीना आ गया तो आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि यह सरकार चलेगी। यह सरकार तो निश्चित रूप से जायेगी। आपकी कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने कहा है कि आज नहीं तो कल जायेगी... *(व्यवधान)* आप इन सारी बातों को छोड़ दें, आप जाने वाले हैं, इसलिए आप कृपा करके चुपचाप बैठें, जितने दिन आप चुपचाप बैठकर निकाल लेंगे, उतने दिन आपके हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि शेयर बाजार को आप प्रोत्साहन देने जा रहे हैं कि उसकी जो इंकम होगी उस पर आप टैक्स नहीं लगायेंगे। यह आपने यहां पर कहा है। आप शेयर बाजार से जुड़े हुए लोगों के दबाव में आ रहे हैं और शेयर बाजार में कितने लोग हैं छोटा हिस्सा उद्योग के विकास में लगाते हैं, ज्यादातर उद्योगपति वह अपने रिश्तेदारों में ही बांट देते हैं इसलिए बाकी आप विचार करें। शेयर बाजार में केवल आपने छूट दी है। सभी जानते हैं कि हर्षद मेहता, अब हर्षद मेहता और शेयर बाजार यह एक ऐसी चीज है चाहे शेयर बाजार

कह लो या हर्षद मेहता कह लो। किसी की भी माला फेर लो फल वही मिलेगा। तो माला चाहे हर्षद मेहता की फेर लो या शेयर बाजार की फेर लो। हर्षद मेहता जैसे व्यक्ति के समय में देश का उत्पादन नहीं बढ़ा बल्कि उत्पादन घटा है। बेरोजगारी कम नहीं हुई है। इसलिए मैं समझता हूं कि इन सारी बातों पर आप विचार करें और इस जाल में आगे और लोग न फंस जाएं, इस पर भी आप विचार करेंगे। अच्छा हो कि सरकार शेयर बाजार के अलावा इस आय का अधिकतम हिस्सा उद्योगपति और उसके रिश्तेदारों का होता है। अब आयकर मुक्त करने के लिए एक संगठन प्रधान मंत्री जी ने बना रखा है जिसका नाम नेशनल असिस्टेंस फंड एंड डोनेशंस हैं। इसके अलावा भी हिंदुस्तान में दूसरी इस प्रकार की संस्थाएं हैं जो ठीक प्रकार सामाजिक कार्य कर रही हैं। अब कहीं कोई भूकंप आ जाए। यदि सरकार ने, राज्य सरकार ने कहीं भी भूकंप से पीड़ितों के लिए कहीं पर कोई संस्था बना रखी है तो आप उसको भी लोन दें। जयपुर शहर में केशव विद्यालय चलता है, उसको भी दें, बाकी और कई संस्थाएं है आप और संस्थाओं को भी जोड़ें। केवल एक संस्था में जो आदमी दे देगा तो वह करमुक्त हो जायेगा, यह नहीं होना चाहिए। इस संबंध में भी आप विचार करें, मेरा आपसे यही निवेदन है। इसके बाद मेरे साथी ने जो बात कही है कि इसमें तीन महीने से तीन साल तक की सजा का प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान है, यह मेरे ख्याल से ज्यादा है। उसको पांच महीने की सजा हो जाए और जुर्माना आप कुछ भी रख दें तो ठीक होगा। वरना तीन महीने से तीन साल तक की सजा, कहां तीन महीने और कहां तीन साल, मैं समझता हूं यह बहुत बड़ा पीरियड है और जुर्माना इसके साथ अलग है। इसलिए आप इस संबंध में विचार करें। बाकी पैनल्टी के बारे में जो कहा है कि वह दस हजार हो जाए। यदि दस हजार का माल पकड़ा गया तो तीस हजार रुपये उसको कहीं से लाकर देने पड़ेंगे। मैं समझता हूं कि यह पैनल्टी भी बहुत ज्यादा है। इस संबंध में भी आप विचार करें।

जहां तक अपील करने का संबंध है, आपने इसमें व्यवस्था की है कि यदि कोई अपील करेगा तो आप उससे इस बारे में बातचीत नहीं करेंगे। अपील के संबंध में आपने व्यवस्था तो कर दी लेकिन यह नहीं देखा कि इससे गरीब लोगों का कितना नुकसान होगा।

अंत में, मैं इतना निवेदन अवश्य करूंगा कि आपका यह बिल हमें एक प्रकार से आपातकालीन स्थिति की याद दिला रहा है। समाज कल्याण परिषद्, आदर्श विद्या मंदिर, केशव विद्यापीठ आदि जितनी सामाजिक एवं शिक्षण संस्थाएं हमारे देश में हैं, मेरा निवेदन है कि आप उनकी भी मदद करें।

इसके अलावा इस बिल में आपने जो प्रावधान किए हैं, 15 दिन के स्थान पर 45 दिन आपने कर दिए, उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन दो साल की समयावधि को आप घटाएंगे, ऐसी मेरी मांग है। इसके अलावा 100 परसेंट की बजाए जो टैक्स पैनल्टी आपने 300 परसेंट बढ़ाई है, उसे भी आप घटाएं। उसी तरह, इस बिल में आपने केवलमात्र एक संस्था को शामिल किया है, मैं चाहता हूं कि जिन संस्थाओं की तरफ मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया है, उन्हें भी इस बिल की परिधि में शामिल किया जाए।

इन संशोधनों के साथ अगर आप इस बिल को सदन में लाएंगे तो हमें इसका स्वागत करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आप वर्तमान रूप में ही इस बिल को पास कराना चाहते हैं तो इसका स्वागत करने में हम अपने आपको असमर्थ पाते हैं। फिर भी, इस बिल को लाने के पीछे आपकी जो भावना है, वह शुद्ध है। इस बिल में जो त्रुटियां थी, कमियां थी, उन खामियों की तरफ हमने आपका ध्यान आकर्षित कराया है। वैसे माननीय वित्त मंत्री जी आप बहुत होशियार मंत्री हैं। पहले मनमोहन सिंह जी का नाम पूरे देश में लोग होशियार वित्त मंत्री के रूप में जानते थे लेकिन आज लोग कहते हैं कि संयुक्त मोर्चे की सरकार में अगर कोई योग्य मंत्री है तो वे वित्त मंत्री जी हैं। वैसे आप कांग्रेस छोड़ कर आए हैं इसलिए आपकी मूल भावना वही है जो कांग्रेस की है। जैसे ही कांग्रेस इस सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा करती है, आपकी पार्टी भी अपना समर्थन वापस ले लेगी और आप फिर इधर चले जाएंगे, फिर आप इस सरकार के पीछे क्यों पड़े हैं, जब आखिरकार आपने कांग्रेस में ही जाना है तो इस सरकार को क्यों डुबाना चाहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप मेरे संशोधनों पर विचार कीजिए और उनका उत्तर दीजिए। यदि इन सभी संशोधनों के साथ आप नया बिल सदन में लाएंगे तो हम निश्चित रूप से उसका स्वागत करेंगे। यदि कुछ मजबूरियों के कारण, आप बहुमत के आधार पर इसे आज यहां से पास कराना चाहते हैं और वह भी शनिवार के दिन, आप जानते हैं कि पैसा और शनि देवता दोनों आपस में विरोधी कोने पर हैं, कहीं इस सरकार को शनि की दशा न लग जाए और वह डूब जाए। यदि आप आज ही इस बिल को पास कराएंगे तो संभव है कि इस सरकार को शनि की दशा लग जाए। इस निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम): महोदय, मुझे एक स्पष्टीकरण लेकर अपनी बात शुरु करनी है। क्या पृष्ठ 2, खण्ड 4 में कोई अशुद्धि है? धारा 158 बीसी, पंक्ति 15 में उल्लिखित है:-

"किन्तु, जनवरी 1996 से पूर्व"

उप-पैरा (ii) में उल्लिखित है:-

"1 जनवरी 1997 को या पश्चात्"

श्री पी. चिदम्बरम: 1996 कहां है?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : तो किसी ने भी इस ओर आपका ध्यान नहीं दिलाया? यह उल्लिखित है:-

"30 जून 1995 के पश्चात्, किन्तु 1 जनवरी, 1996 के पूर्व प्रारंभ की गई तलाशी या अपेक्षा की गई लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों के संबंध में, इत्यादि।"

अन्य मामलों में सब जगह 1997 है क्योंकि अगली अवधि का आरम्भ 1 जनवरी 1997 से होता है। मुझे लगता है मुद्रण में गलती हुई है या प्रारूप तैयार करने में गलती हुई है।

श्री पी. चिदम्बरम : हम पता करेंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: जो एक बात और मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि यह विधेयक सख्त भी बन सकता है और उदार भी। इसमें जुर्माना लगाने का प्रावधान है जो वर्तमान वित्त मंत्री को पूर्व वित्त मंत्री से अलग करता है। ... *(व्यवधान)*

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर): आप अध्यादेश का समर्थन करने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। .. *(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: मेरी आवाज ठीक नहीं है। जब मैंने गलती की ओर संकेत किया था, तो क्या यही प्रतिक्रिया है? ... *(व्यवधान)*

श्री कल्पनाथ राय (घोसी): वह सरकार का समर्थन कर रहे हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: परन्तु प्रक्रिया को सख्त बनाने के बारे में तो कुछ कहना बहुत मुश्किल है। यह प्रक्रिया स्वागतयोग्य है। शायद लोगों की भावना यही है कि तलाशी और अभिग्रहण की इस प्रक्रिया को सख्त बनाने से क्षमादान योजना के प्रस्ताव को सहायता मिलेगी। बजट पर बहस के दौरान इस क्षमादान योजना पर मैं अपने विचार अभिव्यक्त करूंगा।

दूसरी बात यह है कि आशा की जाती है कि तलाशी और अभिग्रहण से अधिक से अधिक धन एकत्र किया जाएगा। इसके लिए दो वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है क्योंकि एक वर्ष की अवधि में यह कार्य पूरा नहीं होता, अत: यह एक समस्या बन जाती है। काम कुछ और कठिन हो जाता है। मेरे पास सी.ए.जी. की रिपोर्ट है परन्तु यह उस अवधि तक की नहीं है। इसके अध्ययन से तो यही प्रतीत होता है कि तलाशी और अभिग्रहण के तीन साल पुराने मामले भी अभी पूरे नहीं हुए। इन मामलों को वह कैसे पूरा करेंगे, मुझे नहीं मालूम। पी.ए.सी. के पूर्व सभापति होने के नाते, मंत्री जी को सी.ए.जी. द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट देख लेना चाहिए था। मैं इसे पढ़ता हूँ। यह बहुत ही रोचक कहानी है। वर्ष 1992-93 के दौरान तलाशियों और अभिग्रहण की कुल संख्या 4,777 है, वर्ष 1993-94 में यह संख्या 5,026 और 1994-95 में यह कुछ कम होकर 4830 हो गई है। इन वर्षों के दौरान जब्त की गई आस्तियों का मूल्य क्रमश: 384 करोड़, 396 करोड़ और 381 करोड़ रुपये रहा। यह जब्त की गई आस्तियों का मूल्य है। वर्ष 1992-93 में जब जब्त की गई आस्तियों का मूल्य 384 करोड़ रुपये था, तो कुल आय 623.94 करोड़ रुपये आंकी गई। और उतनी धनराशि भी अभी तक एकत्र नहीं की गई। यह बहुत विचित्र बात है। वर्ष 1993-94 और 1994-95 में उन्हें इससे अधिक की आशा है। इन दोनों वर्षों के लिए वित्त मंत्रालय ने कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। ऐसी परिस्थितियों में मेरा मत यह है कि जुर्माना लगाने के भद्दे ढंग से वित्त मंत्रालय और देश को कोई दिशा नहीं मिलेगी। इन तीन वर्षों से पहले के कितने और मामले अभी तक लम्बित पड़े हैं, उसके विस्तार में मैं आंकड़े नहीं देना चाहता। इसे मैंने भद्दा इसलिए कहा है क्योंकि यदि आप देखें इसका उल्लेख किया गया है, यदि आप बकाया राशि को इकट्ठा करना चाहते हैं तो किसी अन्य स्रोत की ओर देखना होगा। बकाया राशि को तो इकट्ठा करनी ही है। यह 22,000 से 23,000 करोड़ रुपये हो गया है। और यहां कुल राशि 300 करोड़ रुपये है। उसका भी कुछ एक भाग भी इकट्ठा नहीं किया गया। इस समस्या से मत्थापच्ची करने की बजाए, इसका कुछ और समाधान ढूंढना होगा।

मैं एक और समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ—विभिन्न मंचों पर और सदन में भी हमने इस ओर ध्यान आकर्षित किया है। बकाया राशि के आंकड़े ऊट-पटांग से दिखाई देते हैं—मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। परन्तु आप इस समस्या की ओर ध्यान दें। वेतन आयोग ने एक निर्णय दिया है कि सभी रिक्त पड़े पदों को समाप्त कर दिया जाए। आय-कर विभाग में अफसरों की स्वीकृत संख्या 1804 है और भरे गए पदों की संख्या 1,774 है। क्या आप उन पदों को भरना नहीं चाहते? आप समयावधि बढ़ाते जा रहे है क्योंकि एक वर्ष की अवधि के भीतर उस संबंध में निर्णय नहीं हो सका। एक और उत्तर दिया जा सकता है वह यह कि पहले पद को भरो, दूसरा उत्तर भी विद्यमान है। दूसरा उत्तर यह है कि व्यय की प्रतिशतता के संदर्भ में, प्रत्यक्ष करों की वसूली दर 1.4, 1.5 और 1.6 है—जो वास्तव में नीचे आ रही है।

वसूली को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण तरीका यह है कि वसूली तंत्र के खर्चे को दुगुना कर दो; आप 1.4 से इसे 2.8% कर दो; केवल पदों को न भरा जाए अपितु राजस्व-वसूली कार्यालय में अधिक लोगों को लगाया जाए। यदि आप यह नहीं करते हैं, तो काम का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि उससे राजस्व वसूली से अधिक तो गलतियाँ छूट जाएँगी। मेरा आग्रह है कि आप इस समस्या की ओर ध्यान दें और देखें कि वास्तव में इससे कोई बहुत बड़ा अन्तर पड़ता है अथवा नहीं।

कल ही श्री वाजपेयी ने, मैं कहूँगा कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण जैसा रवैया अपनाया जब उन्होंने यह कहा कि जब तक प्रशासन में सुधार नहीं किया जाता, कुछ नहीं हो सकता। केवल मार्क्स ही इससे कुछ कदम आगे बढ़े और बोले कि वर्तमान ढाँचे को समाप्त करके ही कोई क्रान्तिकारी कदम सफल हो सकता है।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा): कार्ल मार्क्स को तो आपने पीछे छोड़ दिया है। ... *(व्यवधान)* आपने तो उनको भुला दिया है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: इसी कारण, मैं आपकी समझ और उसकी विशिष्टता को बधाई देता हूँ। ... *(व्यवधान)*

इस विशेष मामले में वह बहुत महत्वपूर्ण है। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग यहाँ हैं उनके साथ राजस्व एकत्रित करने वाले लोग बिल्कुल अलग किस्म के हैं। ये बिल्कुल अलग तरह के लोग होंगे। कभी-कभी हम सांख्यिकी में इन्हें दो तरह के नमूने कहते हैं। एक दूसरी किस्म के लोगों का अर्थ यह है कि खर्च तो आप उतना ही कर रहे हैं और इस तरह के प्रबन्धों को करने से बहुत अधिक राजस्व वसूल करेंगे। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। मैं यहाँ उपस्थित रहता हूं। मुझे इस बात में बहुत खुशी होती है कि वे अपना जुर्माना अदा करें। इस विधेयक का एक और पहलू भी है जो बहुत रोचक है— और वह है नकदी तैयार करना। नकदी तैयार करना एक मधुरभाषी शब्दावली है जिसका असली मतलब है शेयर बाजार में कुछ सट्टेबाजी पैदा करना। यदि धन को शेयरों में लगाया जाए, तो शेयर सर्टिफिकेटों को पूंजी लाभ कर से छूट दी जा सकती है। यदि पूंजी लाभ को शेयरों में लगाया जाता है और बांडों आदि में नहीं तो उस धन का प्रवाह शेयर बाजार में हो सकता है और सट्टेबाजी की गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है, मेरे विचार से शेयर बाजार देश के आर्थिक विकास के लिए एक निरर्थक वस्तु है। ... *(व्यवधान)*

श्री राम नाईक: श्री चटर्जी, मैं एक बात समझना चाहता हूँ। क्या इसका मतलब यह है कि जो धन प्रतिभूतियों और बांडों के रूप में सरकार के पास जाता, वह निजी निधियों में जा रहा है। जब वह शेयरों में प्रयुक्त होता है तो वह निजी लोगों के पास चला जाता है... *(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: बाण्ड और डिबैन्चर तो किसी प्रकार के भी हो सकते हैं... *(व्यवधान)* यह मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो यह है कि वह सट्टेबाजी में नहीं आते।

श्री राम नाईक: शेयरों में सट्टेबाजी होती है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: शेयर बाजार में शेयर सर्टिफिकेटों का व्यापार होता है। .. *(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: आपका मानना है कि शेयर बाजार एक व्यर्थ बाजार है। समस्या सुलझ गई ... *(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: इस समय तो वित्त मंत्री के लिए इसका एक काम है क्योंकि विनिवेश आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के शेयरों को बेचने का सुझाव दिया है, अत: उस बाजार में तेजी आनी चाहिए, तभी पर्याप्त धनराशि एकत्र की जा सकेगी। वह शेयर बाजार को इसके संकुचित क्षेत्रीय हितों से निकाल कर सक्रिय करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं इसका जोरदार खण्डन करता हूँ। आज विश्व का सर्वाधिक तेज शेयर बाजार मास्को में है... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह समाजवादी प्रणाली को समाप्त प्राय: करने के बाद हुआ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: महोदय, इतिहास इस बात का गवाह है कि आर्थिक विकास के क्षेत्र में सर्वाधिक गतिशील देश सोवियत संघ और चीन में शेयर बाजार का कोई नामोनिशान नहीं। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तभी किसी अमरीकी के परामर्श पर शेयर बाजार शुरु किया गया।

श्री पी. चिदम्बरम: सबसे पहली बात तो यह है कि इनका विघटन क्यों हुआ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: कारण यह नहीं था कि उनके वहाँ शेयर बाजार था। जब उनका विघटन हुआ, तभी शेयर बाजार वहां प्रारंभ हुआ।

जैसा कि आप सबको विदित ही है उनको परामर्श देने वाला व्यक्ति वही है जिसे शेयर बाजार के अन्दर व्यापार करते हुए पकड़ा गया था और दो साल की जेल भी हो गई थी। और शायद उसको रिहा करने की शर्त भी यही थी कि वह मास्को जाए और वहाँ शेयर बाजार खोलने का सुझाव दे। तथापि, मैं इस बात को अधिक लम्बा नहीं खींचना चाहता, क्योंकि सामान्य बजट पर अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए मैं अपना समय बचाना चाहता हूँ। इस समय तो मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि आप उसे सही करें... *(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: मैं एक संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं आपका आभारी हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: ठीक है, आप संशोधन प्रस्तुत कीजिए।

श्री पी. चिदम्बरम: यह मुद्रण के दौरान हुई गलती है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: इस सप्ताह में यह दूसरी बार है, जब सबकी प्रशंसा के बावजूद आप त्रुटि के लिए पकड़े गए हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: केवल एक बार आपने मुझे मुद्रण की गलती के लिए पकड़ा है, कोई बड़ी गलती के लिए नहीं।

सभापति महोदय: बाद में सामान्य बजट पर बहस के दौरान इसका जिक्र होगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: अब मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। मैं कुछ जल्दी में भी हूं। इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं, अत: आपको यह करना चाहिए। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह नहीं कि आपने कुछ स्वीकार किया है, बल्कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण वह है जो आप कई दूसरी जगहों पर कहते फिरते हैं। यदि कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने और बकाया राशि की वसूली जैसे क्षेत्रों की ओर ध्यान दिया जाए, तो इन कामों से सरकारी खजाने में वृद्धि होगी और देश को लाभ होगा।

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम): सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूँ। निश्चित रूप से, इस विधेयक द्वारा तलाशी और निर्धारण के कार्य को गति मिलेगी और राजस्व की वसूली में भी वृद्धि होगी। वित्त अधिनियम 1995 में धारा 14 के अंतर्गत एक नया अध्याय शुरु किया गया था जिसमें अप्रकटित आय के लिए एक योजना शुरु की गई थी। जैसा कि वित्त मंत्री ने ठीक ही कहा है कि यह योजना काले धन को सफेद धन में बदलने का एक आकर्षक तरीका था और समझदार लोग इसका दुरूपयोग कर रहे थे। इस पर रोक लगाने के लिए, सदन में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। दूसरी बात है, सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों में निवेश को दीर्घावधि पूंजी लाभ से छूट देना। तीसरा है, धारा 80 में संशोधन करना। धारा 80 का संबंध राष्ट्रीय रुग्णावस्था निधि में अंशदान और दान देने से है। यह एक स्वागत योग्य कदम है जिससे राजस्व इकट्ठा करने में बहुत सहायता मिलेगी। अधिक राजस्व अर्जित किया जा सकेगा।

निश्चित रूप से पूंजी बाजार में उत्साह पैदा होगा जहां पहले ही अनिश्चितता की स्थिति विद्यमान है। हमें अधिक ब्याज का भुगतान करना होगा। हमें पूंजी बाजार को अधिक सक्रिय बनाने के लिए कुछ और कदम उठाने होंगे ताकि वहां और उत्साह उत्पन्न हो। उस दिशा में, यह एक स्वागत योग्य कदम है। यह विधेयक कानून में मौजूदा खामियों को दूर करने और आधारभूत ढांचे में निवेश हेतु प्रोत्साहन पैदा करने के लिए है। तलाशी के कानून प्रावधानों को सुदृढ़ करने और कर-वंचकों को कर-छापों से प्राप्त अप्रकटित आय से 40% बचाने का अवसर न देने के संबंध में मेरा कहना यह है कि हमारा विगत अनुभव तो यही है कि लोगों ने इस प्रावधान का बहुत दुरूपयोग किया है। कानून की खामियों का कर-वंचकों ने गलत फायदा उठाया है। अप्रकटित आय पर अब 300 प्रतिशत जुर्माना होगा। कर से बचने वालों के लिए यह एक कठोर दंड होगा। कानून बनाने में कोई समस्या नहीं है, उसे लागू करने में समस्या है।

अब मैं विधि के कार्यान्वयन के विषय पर चर्चा करूँगा। श्री निर्मल कान्ति चटर्जी और अन्यों ने यह बिल्कुल ठीक कहा है कि जब वे लोक लेखा समिति के राजस्व एत्रित करने संबंधी पहलुओं का अध्ययन कर रहे थे, तो यह पता चला कि कर्मचारियों की कमी है और आवधिक समीक्षा नहीं की जाती। इन सब पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। यदि हम इस चालू वित्तीय वर्ष के पूर्वार्ध में राजस्व की वसूली पर ध्यान दें, तो पाएंगे कि यह कम होता जा रहा है। यह जरा भी उत्साहजनक नहीं है। इसके पीछे क्या कारण हैं। कर्मचारियों की कमी एक प्रमुख कारण है। अत:, वित्त मंत्रालय को राजस्व वसूली में वृद्धि करने के लिए आवधिक समीक्षाएं और अन्य सुदृढ़ करने वाले उपाय करने होंगे। प्रभावशाली लोग और कर-वंचक कानून की खामियों का लाभ उठाकर कर से बचे रहना चाहते हैं।

परन्तु सबसे बड़ा प्रश्न है कर आधार को व्यापक बनाना और प्रक्रिया को सरल बनाना। जटिल प्रक्रिया के कारण अनेक समस्याएं सामने आती हैं। अत:, दो कदम तत्काल उठाये जाने चाहिए अर्थात् कर-आधार का प्रसार तथा प्रक्रिया का सरलीकरण। तभी हम कर से प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि कर सकते हैं।

महोदय, जहां तक प्रत्यक्ष करों में वृद्धि का संबंध है, एक आशंका व्यक्त की गई है। प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए गम्भीर प्रयास किये जाने चाहिए ताकि अधिक राजस्व वसूला जा सके। वित्त मंत्री और योजना आयोग के उप सभापति, दोनों ही ने कर आधार को व्यापक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। माननीय वित्त मंत्री ने ठीक ही बताया है कि देश में कुल करदाताओं की संख्या मात्र 0.8% है। ऐसे अन्य देशों में जहाँ लोगों का आय का स्तर समान है, वहां करदाताओं की कुल संख्या 40% से अधिक है। फिर, यह भारत में क्यों नहीं सम्भव है? हमें कर-आधार को बढ़ाना है और अधिक कर अर्जित करना है। मेरे विचार से अब समय आ गया है जब एक नया आयकर कानून बनाया जाना चाहिए। मेरे विचार से आपने वायदा किया है और इस बारे में घोषणा भी की थी। इस विषय पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। लोगों को इसे समझना चाहिए। जटिल प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए। नये आयकर कानून का प्रारूप तैयार किया जाना चाहिए। शायद इसकी प्रक्रिया चल रही है। इस पर पूरे देश में बहस होनी चाहिए ताकि लोग इस संबंध में अपना मत अभिव्यक्त कर सकें। राष्ट्रीय बहस के बाद यह सम्मानित सदन आयकर कानून पारित कर सकता है। यह व्यापक होना चाहिए और सरल होना चाहिए ताकि इसे बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। केवल तभी हम अपने राजस्व की वसूली को बढ़ा सकते हैं। मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। तीन धाराओं में संशोधन से प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने में निश्चित रूप से सहायता मिलेगी और राजस्व की वसूली बढ़ेगी। दूसरा कदम है पूंजी बाजार को प्रोत्साहित करना। तीसरी बात है कि कुछ चूक हो गयी है जिसका संबंध राष्ट्रीय रुग्णावस्था निधि में दान की गई राशि में 100% छूट से है। अत:, मेरे विचार से अधिक प्रभावी तथा व्यापक कानून बनाया जाना चाहिए। यदि हम उसे पारित कर सकें और उसे सरल और प्रभावी बना सकें तो राजस्व की वसूली बढ़ जायेगी। मैं

सदन का और अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं वित्त मंत्री द्वारा पेश किये गए संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं।

सभापति महोदय: श्री राम नाईक।

श्री राम नाईक: महोदय, मैं अपने स्थान पर श्री भगवान शंकर रावत को बोलने का मौका देता हूँ।

[हिन्दी]

अपराह्न 5.00 बजे

श्री भगवान शंकर रावत: माननीय सभापति जी, यह बिल जिस भावना से लाया गया है, माननीय वित्त मंत्री जी कोशिश कर रहे हैं कि काला धन ठीक हो, बहुत अच्छी बात है। वित्त मंत्री जी एडवोकेट भी हैं और पहले भी एडवोकेट रहे हैं। संयोग से मैं भी उसी बिरादरी से आता हूं।

भारत के संविधान को, उसके प्रावधानों को देखकर मुझे लगता है कि चिदम्बरम मंत्री जी के रूप में तो बोल रहे हैं, लेकिन एक नागरिक के रूप में नहीं बोल रहे हैं। इसलिए उन्होंने जो सख्त प्रावधान रखे हैं, उसमें उन्होंने विशेष प्रावधान रखने की कोशिश की है। लेकिन मुझे उसमें पुलिसिया गंध आ रही है। उसमें पुलिस का व्यवहार नजर आता है और मुझे लगता है कि भारत के संविधान में ईक्वल अपोरचुनिटी बिफोर लॉ का जो एनश्राइंड प्रिसिंपल है और जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनका हनन करने का प्रयास किया गया है।

अपराह्न 5.02 बजे

[प्रो. रीता वर्मा *पीठासीन हुई*]

एग्जीक्यूटिव के आने के बाद पुलिस का थानेदार और हर अधिकारी भी जुडिशियरी की भाषा बोलता है। एग्जीक्यूटिव के प्रभाव में उसको लगता है वह उठाकर थाने में बंद करता है और जूडिशियरी की ताकत उसे बेल ग्रांट कर देती है। चिदम्बरम साहब का भी भाव उसमें यही है कि जो कानूनी कार्रवाई करेगा, जो अपील में जाएगा, उसको यह सुविधा नहीं मिलेगी, जबकि कानून में, संविधान में दिया गया है कि हरेक व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिया गया है कि वह कोर्ट में जा सकता है और न्याय पा सकता है। अगर कहीं एग्जीक्यूटिव से गलती हुई है और वह न्याय पाना चाहता है तो उसमें इस तरह की हथकड़ियां न लगाई जाएं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि इंकम टैक्स के अधिकारियों को जिस तरह से पुलिसिया अधिकार दे दिए गए हैं कि चाहे जिस घर में वे चले जाएं। पुलिस का सिपाही चला जाता है, यह इंकम टैक्स विभाग की तरफ से भ्रष्टाचार को बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। जिसके घर में टेलीफोन लगाते हैं, उसके घर में आई.टी.ओ. जाकर उसको बर्बाद कर देता है। एक कहावत है कि "जब गोबर गिरता है तो कुछ मिट्टी लेकर उगता है।" कितना ही ईमानदार और भला आदमी हो, लेकिन जो रेवर्स ऑफ लॉ से गुजरने के बाद आदमी जब मुकदमा जीतता है, वह बर्बाद हो लेता है और जो हारता है, उसका तो सत्यानाश हो जाता है। इंकम टैक्स अधिकारियों को अधिकार सम्पन्न करने से वही खराबियां आएंगी जो पुलिस के बारे में सब जानते हैं। इस समय हो भी यही रहा है।

मैं दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। एक तो यह है कि इस प्रावधान के अंदर मुझे विरोधाभास लगता है। मैंने उनका बजट भाषण पढ़ा भी था और यहां बैठकर सुना भी था। अपने काले धन में से तीस प्रतिशत टैक्स दो और काले धन को उजला करके ले जाओ। जिस समय चिदम्बरम जी बजट का भाषण कर रहे थे, उस समय दूसरी भाषा बोल रहे थे। उस समय एक रिफॉर्मिस्ट बोल रहे थे और वह भी एक राजनैतिक व्यक्ति के रूप में बोल रहे थे तथा उसमें कोई ब्यूरोक्रेसी बोल रही थी। ब्यूरोक्रेसी उनके दिल से, उनके कलम से बोलने की कोशिश की जा रही है। ये जो प्रावधान बनाए हैं, उन प्रावधानों में जो एसिट्स हैं, उसमें विरोधाभास है, यह मुझे कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है। उनका चिंतन क्या है। मैंने अखबारों में कमेंट्स पढ़े थे। हम किसलिए इनको अपने काले धन का खुलासा करें? पहली अप्रैल को तीस प्रतिशत देंगे और काले धन को सफेद कर लेंगे। इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। वह काले धन को प्रोत्साहित करेंगे। इसलिए मैं कहने जा रहा हूं कि जो पुलिसिया अधिकार उसको दिए जा रहे हैं, वे ठीक नहीं हैं।

नेशनल इलनैस असिस्टेंस फंड क्रिएट करने की बात की है जिसमें इंकम टैक्स में सौ प्रतिशत रिलीफ है, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि देश भर में चुनाव में सुधार करने तथा भ्रष्टाचार मिटाने की मांग उठाई जा रही है। काश उसके अंदर उन्होंने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों को भी फंड देने पर इंकम टैक्स से मुक्त कर दिया होता तो उन्होंने ऐतिहासिक काम किया होता। इससे देश की चुनावी व्यवस्था में सुधार आता। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि वह इस ओर भी ध्यान दें कि राजनैतिक जीवन से भ्रष्टाचार समाप्त हो। जब राजनैतिक जीवन से भ्रष्टाचार समाप्त होगा तो निश्चित रूप से इंकम टैक्स अधिकारी हों या पुलिस का थानेदार हो, जब राजनैतिक लोग ईमानदारी से चुनकर आएंगे, जब नियमों का पालन करके आएंगे, एसिट्स के साथ आएंगे तो निश्चित रूप से नैतिक रूप से ब्यूरोक्रेसी में उनकी ज्यादा अच्छी छवि बनेगी।

उस समय चुनकर आते हैं तो दारोगा तथा इंकम टैक्स अधिकारी भी कान में कह देता है कि साहब आप भी नम्बर दो का पैसा लेकर चुनाव जीते हैं। इंकम टैक्स की स्थिति ऐसी हो गई है कि सांसद का जो लोग चुनाव लड़े हैं, उनको भी नोटिस दे रहे हैं। जबकि चुनाव

[श्री भगवान शंकर रावत]

आयोग ने पर्यवेक्षक भेजे हुए हैं, इंकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर रैंक के पर्यवेक्षक हिसाब-किताब रखते हैं, जांच-पड़ताल करते हैं। उसके बाद भी इंकम टैक्स अधिकारियों का जिस तरह से दुरुपयोग बढ़ा है, वह चिंताजनक है। यह ठीक है कि इसी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं जैसे सी.बी.आई. का दुरुपयोग हो रहा है। पुलिस का दुरुपयोग किया जाता है। इस दिशा में जो शुरुआत मुझे दिख रही है, इस बात से आशंकित हूं। मैं कहना चाहूंगा कि इसका पुलिसियाकरण न करें और इंकम टैक्स अधिकारी को इंकम टैक्स अधिकारी की तरह काम करने दें। यह सही है कि जो लोग काला धन रखते हैं, उनके ऊपर सख्त प्रावधान लगाए जाएं और उनका दमन किया जाए, उनके साथ कोई हमदर्दी न रखी जाए। लेकिन आप एक बार में कुछ कहते हैं और दूसरी बार में कुछ कहते हैं। इसमें विरोधाभास है, मैं चिंता व्यक्त करता हूं और कहना चाहता हूं कि जहां पकड़-धकड़ हो, वहां जरूर किये जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हो कि इंक्वायरी करने के लिए चाहे जिस इंकम टैक्स अधिकारी को इंस्पेक्टर राज्य बना दीजिए और वह फिर जिस व्यक्ति को चाहे, सताए। हमारी सोसायटी में इंकम टैक्स विभाग और पुलिस विभाग में एथीकल मापदंड नहीं हैं कि वे धर्मराज की तरह काम करें। इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, शोषण बढ़ेगा।

चौराहे का जो सिपाही है, वह सबसे पहले रिक्शा वाले पर अपना रौब जमाता है और जब तक वह पैसे नहीं दे देता है, वह उस पर डंडे बरसाता रहता है। लेकिन पैसे देने के बाद वही रिक्शा वाला ट्रैफिक में बाधा नहीं बनता। मैं इस बिल को इंकम टैक्स आफीसर्स पैराडाइज नाम की संज्ञा देना चाहूंगा। इसलिए कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कीजिए और संविधान की भावना का ध्यान रखिए। इसलिए आफ पैनल क्लॉज लगाना चाहते हैं तो जरूर लगाएं। यदि आप कानून की रूह में जाएंगे और एपीलेट एथोरिटी में जाएंगे तो आपको दंडित किया जाएगा। इससे रूल ऑफ लॉ का जो सिद्धांत है, उसके प्रति लोगों में डर की भावना होगी कि अगर आप रूल ऑफ लॉ में गए तो एग्जीक्यूटिव क्रश कर देगी। इससे उसका आतंक बढ़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप इस पर पुनर्विचार करें। इस समीक्षा के साथ जिस प्रावधान को लेकर आए हैं, उनका दुरुपयोग न होकर कहीं वह सारे समाज के लिए कोढ़ व कैंसर का रूप न ले ले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री पी. नामग्याल (लद्दाख): सभापति जी, श्री चिदम्बरम जी इंकम टैक्स 1961 के बिल को अमेंड करवाने के लिए जो बिल लाए हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

इस बिल में धारा 14(बी) को अमंड करने जा रहे हैं, जिसके तहत तलाशी करनी होती है। यह कार्य ज्यादा इफैक्टिव हो और जल्दी हो सके, ऐसा प्रावधान कर रहे हैं। दूसरे, सैक्शन 80 (जी) में तरमीम किया है। डोनेशन्स नेशनल इलनैस एसिस्टैंस फन्ड केन्द्रीय सरकार ने प्रोवाइड कर रखा है, इसको भी आपने 100 परसेंट छूट का प्रावधान किया है। साथ ही इनकमटैक्स एक्ट की धारा 54(इ)(ए) को अमेंड कर रहे हैं, पहले पब्लिक कम्पनीज में शेयर को इन्वैस्ट करने का प्रावधान नहीं था, अब इस को भी दायरे में ला रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये सारे अच्छे कदम हैं। इनसे हमारी नेशनल इनकम में काफी असर पड़ेगा। ये सरकार द्वारा उठाए जा रहे अच्छे स्टैप्स हैं। इससे सरकारी खजाने में अच्छी रकम जमा होगी। मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मंत्री जी ने हाल ही में बजट पेश किया है और उन्होंने खसूसी तौर पर इनकम में काफी छूट दी है। जो ऊपर वाले तबके हैं, जिनके पास गुंजाइश है, जो नेशनल खजाने के लिए स्पेयर कर सकते हैं, उन्हें तो आपने राहत दी है। साथ ही मोटी सैलरी लेने वालों को राहत दी गई है। मैं समझता हूं कि जिन लोगों को राहत देनी चाहिए, उनको आपने नहीं दी है। मैं जिस क्षेत्र का जिक्र कर रहा हूं, उस क्षेत्र के बारे में चिदम्बरम जी को मालूम है। इस बारे में मैं उनसे कई बार मिलने जा चुका हूं। मैं लद्दाख क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। आपको मालूम है, जब यह इंकम टैक्स एक्ट 1961 में बना था, तो उसके तहत 1962 से लेकर 1988-89 तक लद्दाख के लोगों को इनकम टैक्स में छूट दे रखी थी। इनमें भी उन लोगों को जो परमानेंट लद्दाख के रैजीडेंट हैं। जो वहां पर बिजनैस करने के लिए जाते हैं, उनके लिए नहीं। वह छूट इसलिए दी गई थी कि 1962 के चाईनीज एग्रेशन से पहले हमारे क्षेत्र लद्दाख के जरिए तिब्बत और सिंगग्यांग के साथ हमारे देश का बार्टर-ट्रेड हुआ करता था। चाईना में 1949 में कम्युनिस्ट रिजीम आने के बाद तिब्बत में तिस-कियांग (Tse-Kiang) के साथ तिजारत का रूट बन्द कर दिया गया। इस वजह से हमारे जो लोग थोड़ा बहुत पैसा कमाते थे या जो पैसा उनसे हासिल होता था, वे सारे तबाह हो गए। इसी बेसेज पर हमें इंकम टैक्स की छूट दी गई थी। इसके बाद 1988-89 में कांग्रेस सरकार सैन्टर में हार गई और जनता दल की सरकार सैन्टर में आई। उन्हें शायद मालूम नहीं था और उन्होंने इसको लागू कर दिया। उसके बाद इस सदन में जम्मू-कश्मीर का कोई रिप्रेजेन्टेटिव भी नहीं था। क्योंकि 1989 के बाद जम्मू-कश्मीर में जो मिलिटेन्सी ने जोर पकड़ा, तो वहां चुनाव भी नहीं हो पाए। पार्लियामेंट में हमारा कोई आवाज उठाने वाला नहीं था इसलिए बदस्तूर आपके कानून में वह लागू है और वहां के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, इनकम टैक्स के कर्मचारी आते हैं और उनके द्वारा हेरेसमेण्ट किया जाता है। हम चाहते हैं कि अगर कोई आदमी इस काबिल हो, उनके पास ज्यादा पैसे हों तो उनसे जरूर पैसे वसूल करने चाहिए लेकिन ऐसा वहां कोई नहीं

है इनकम टैक्स के लिए मेरी एक सबमिशन यह है कि आपने सारे देश में एक ही कानून लागू किया हुआ है। रूल्स फ्रेम करते वक्त आपने एक बात का ख्याल नहीं किया है कि उसमें कोस्ट आफ लिविंग को भी कंसिडर करना चाहिए था। कास्ट आफ लिविंग हमारे एरिया में बहुत ज्यादा है। आपको मालूम है कि साल में कम से कम 7-8 महीने वह एरिया देश के बाकी हिस्सों से कटा रहता है। जो भी हमारा खाने-पीने का सामान होता है, वह हमारे यहां दिल्ली, जम्मू और श्रीनगर के रास्ते से पहुंचाया जाता है। चार महीने के लिए अगर कोई दुकानदारी भी करता है तो उसके पैसे उन सात-आठ महीनों के लिए री-यूज नहीं हो सकते हैं। वह पैसे ब्लाक हो जाते हैं। तीन महीने के लिए बड़ी मुश्किल से सामान ले जाने के लिए रास्ता खुलता है। इसलिए जरूरियात जिन्दगी की चीजें बहुत महंगी हैं। इसलिए वहां के लोगों के साथ यह बहुत बड़ा जुल्म है। मैं आपको एक स्टेटिस्टिक्स बताना चाहता हूं जो कल ही मुझे मिली। मैंने एक प्रश्न पूछा था अनस्टार्ड क्वश्चन नंबर 3269 और यह 14 मार्च का है। इसका रिप्लाइ मुझे मिला कि लद्दाख के दोनों डिस्ट्रिक्ट मिलाकर 1994-95 में जो इनकम-टैक्स वसूल हुआ है, वह कुल 50,000 रुपया मिला है। 1995-96 में 51,000 रुपये और 1996-97 में 38,000 रुपये वसूल हुए हैं। आप अंदाजा लगाइए तो इसको कलेक्ट करने पर कितना खर्च हुआ होगा। यह अजीब कानून है। आपको सिर्फ इतनी ही इनकम वहां से आती है और उसके लिए आपके 8-10 अफसर हर साल वहां हवाई जहाज से जाते हैं। 3000 रुपये हवाई जहाज का एक तरफा प्रति व्यक्ति का टिकट ही लग जाता है। एक बदकिस्मती की बात यह है कि श्रीनगर के लिए कोई भी टीम 1982 के बाद नहीं भेजी गयी क्योंकि फारूख साहब ने, उनके साथियों ने इस टीम की इस तरह पिटाई की कि अब वहां जाने का नाम तक नहीं लेते हैं। यहां से अफसरों की टीम भेजी थी छापा मारने के लिए और दो एयरबस भरकर दो बड़ी टीम भेजी थीं। फारूख साहब उस समय अपोजीशन में एम.पी. थे। उनके कुछ रिश्तेदार जैसे मट्टू ब्रदर्स हैं, उन पर छापा मारा था और वहीं उनकी पिटाई की।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: एक सरकारी अधिकारी को पीटने वाले का आप कैसे समर्थन कर सकते हैं? ऐसा लगता है कि आप कह रहे हैं कि एक सरकारी अधिकारी को पीटना ठीक है। आपने कहा है कि आय कर अधिकारियों की पिटाई करनी ठीक थी। आपको इसकी भर्त्सना करनी चाहिए।

श्री पी. नामग्याल: महोदय, हमने इसकी निन्दा की है।

श्री पी. चिदम्बरम: नहीं, आप इसकी निन्दा नहीं कर रहे।

श्री कल्पनाथ राय: अब वह इसकी भर्त्सना नहीं कर रहे।

श्री पी. नामग्याल: हम इसकी निन्दा करते रहे हैं। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आपको कश्मीर घाटी से कुछ नहीं मिल रहा। नि:संदेह, जम्मू क्षेत्र से अवश्य कुछ मिलता रहा है, और कश्मीर घाटी को पार करके सारे अधिकारी यहां के लोगों को परेशान करने लद्दाख जाते हैं।

मेरा यही विनम्र निवेदन है कृपया उस क्षेत्र में आयकर लगाने के निर्णय पर पुनर्विचार करें।

यही मेरा निवेदन है।

[हिन्दी]

सर, एक दूसरे सवाल का जवाब मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। अनस्टार्ड क्वश्चन नम्बर 3192 जो 14 मार्च का है, उसके जवाब में पार्ट सी में आपने लिखा है:

[अनुवाद]

> "जिस आयकर छूट का उद्देश्य लद्दाख के गरीब तबके के लोगों को लाभ पहुंचाना था, उससे धनाढ्य लोगों को लाभ पहुंच रहा था और लद्दाख के निवासियों के माध्यम से अपने काले धन को वैध धन में परिवर्तित करने के लिए बेईमान व्यापारियों द्वारा उसका दुरुपयोग किया जा रहा था।"

[हिन्दी]

अगर आपके पास लद्दाख के एक भी आदमी का कोई इन्सटांस हो तो आप मुझे बताइए, मैं आज ही इस हाउस की मैम्बरशिप छोड़ दूँगा...
(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव: ऐसा मत कहिएगा आप मैम्बर रहिए, फिर कहिये।

श्री पी. नामग्याल: हमारी बदकिस्मती यह है कि बहुत सारे जो अफसर हैं उनको हमारे देश की ज्योग्राफी का मालूम ही नहीं है। हमें यह मालूम है कि सिक्किम में कुछ ऐसे वाक्यात हुए थे। सिक्किम का रास्ता 12 महीने खुला रहता है। ये सब प्रैस में आया था। आपके अफसर लोग सिक्किम और लद्दाख को कन्फ्यूज करते हैं। अगर सिक्किम के कुछ लोगों ने गलत कार्य किये हैं, तो हम उसके लिए क्यों भुगतें। तो मेरा यही कहना है कि आप अपने अफसरों को बताइये कि लद्दाख देश के किस कोने में है।

[श्री पी. नामग्याल]

[अनुवाद]

मैं अधिकारियों का नाम नहीं लेना चाहता।

[हिन्दी]

मैं आपको एक घटना बताता हूं कि हमारा एक डेपुटेशन यहां के सैंट्रल गवर्नमेंट के किसी आफिस में गया। कई ब्यूरोक्रेट्स वहां पर बैठे हुए थे, वह डेपुटेशन वहां पहुंचा तो उन्होंने पूछा कि यह बताइये, आप कहां से आये हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लद्दाख से आये हैं। तो एक अफसर ने पूछा

[अनुवाद]

लद्दाख कहां है? अन्य अधिकारी ने कहा, "हां मैं लद्दाख जानता हूं यह पूर्वोत्तर में है।

[हिन्दी]

मैं यह आपको फैक्ट बता रहा हूं। मैं कहता हूं कि अफसरों को हमारे देश की ज्योग्राफी का मालूम नहीं है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, मेरा यही सबमिशन है कि लद्दाख में ऐसी घटना नहीं हुई है। अगर वहां पर एक भी केस हुआ है तो आप बताइये, जो ऐसे लोग हैं उनके लिए हम आपकी मदद करेंगे। हम हमेशा आज तक अपने देश की यूनिटी के लिए, अपने देश के बॉर्डर्स को डिफेंड करते रहे हैं और अभी भी हमारे लोग बॉर्डर पर तैनात हैं। लद्दाख एक ऐसा रीजन है जहां से एंटी नेशनल या कोई ससेशनिस्ट बात आपको सुनने में नहीं आई होगी। जो नेशनलिस्ट हैं आप उन लोगों को बगावत करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप उन पर टैक्स इम्पोज करो, आप उनका हरेसमेंट करो तो मेरा यही कहना है कि मेहरबानी करके आप इसको रिव्यू कीजिए क्योंकि जो देशभक्त हैं उनकी मदद करना आपका फर्ज बनता है और लद्दाख की ज्योग्राफी की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि लद्दाख सैंट्रल एशिया में है, वास्तव में इंडियन सब-कांटीनेन्ट में नहीं है। यह हिमालय को क्रास करके उस तरफ वाकेय है। लेकिन फिर भी जो भारत की सरजमीन है, हम उसके लिए आने वाले सैकड़ों सालों तक अपना खून न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं और उस एरिया से कभी कोई ऐसी आवाज नहीं उठेगी जो अपने देश के हित में न हो। तो सर, मेरी यही गुजारिश है कि मेहरबानी करके यह जो डिसीजन आपने लिया है उस पर मैं आपसे अपील करता हूं कि आप इसको रिव्यू कीजिए और जो फाइनेंस बिल आप लाये हैं, उसमें आप तरमीम लायें। हम यह परमानेन्टली नहीं चाहते हैं। एक टैम्परेरी मैजर से आप इसे 5 साल कर दीजिए या 10 साल कर दीजिए, तब तक वहां के हालात ठीक हो जाएंगे।

यहां एक बात और मैं कहना चाहूंगा। लद्दाख रीजन को आपने 1989 में कांस्टीट्यूशन जे. एंड के. आर्डर, 1989 के तहत शैड्यूल्ड ट्राइब एरिया डिक्लेयर किया था क्योंकि वहां की 90 परसेंट पौपूलेशन शैड्यूल्ड ट्राइब है, वहां की इकोनौमिक कंडीशन्स पूअर हैं, लोग गरीब हैं, मजबूर हैं, इसी बेस पर उन्हें शैड्यूल्ड ट्राइब्स का फायदा 1989 में आपने दिया लेकिन दूसरी तरफ से इन्कम टैक्स भी लागू कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि एक हाथ से आपने दिया और दूसरे हाथ से लिया यह कहां का इंसाफ है।

अभी मैंने जिस क्वैश्चन का रिप्लाई यहां कोट किया, उसमें मैंने पूछा था कि जम्मू-कश्मीर में कुल कितने ट्राइबल लोग बसते हैं, मैं उसकी जानकारी चाहता था, परन्तु फाइनैंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर में चूंकि 1991 में कोई सैन्सस नहीं हुआ, इसलिए हमारे पास वे फीगर्स नहीं है। लेकिन मैं आपकी नौलेज के लिए बताना चाहता हूं कि 1987 से 1989 के बीच वहां एक मिनी सैन्सस हुआ था, जिसकी बेसिस पर वहां रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने कुछ ट्राइबल्स को आइडैन्टिफाई किया था। मैं मानता हूँ कि 1991 में वहां कोई सैन्सस नहीं हुआ, हमें पता है कि मिलिटैंसी की वजह से वहां कोई सैन्सस नहीं हुआ लेकिन जो मिनी सैन्सस की फीगर्स आपके पास मौजूद हैं, वह दे सकते हैं। मुझे काफी अफसोस है कि सैंन्सस की रिपोर्ट आपके पास होते हुए भी, आपने अपने जवाब में कैसे कह दिया कि हमारे पास ऐसा कोई रिकार्ड नहीं है। एक मजबूरी यह भी हो गई कि 1989 के बाद चूंकि हमारा सप्लाई बेस जो श्रीनगर है, मिलिटैंसी की वजह से काफी मुश्किलात हमारे सामने आईं, हालांकि हमारे लद्दाख में मिलिटैंसी नहीं है लेकिन जम्मू-कश्मीर में मिलिटैंसी की वजह से हमारी तमाम सप्लाई पर बुरा असर पड़ा, हमारा सारा कम्युनिकेशन श्रीनगर के जरिए होता था, वहां जाना हमारे लिए मुमकिन नहीं हुआ, जिसके कारण हमें इकोनौमिकली बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, लद्दाख के इंकम टैक्स को मुआफ रखना जरूरी बन गया है।

इन चन्द शब्दों के साथ, वित्त मंत्री जी सदन में जो बिल लेकर आए हैं, जो अमैंडमेंट लाए हैं, मैं तहेदिल से उसे सपोर्ट करता हूं लेकिन मेरी गुजारिश है कि मैंने जिन पाइंट्स की तरफ आपका ध्यान खींचा है, उन्हें आप रीकंसीडर करेंगे और फाइनैंस बिल में तरमीम लाकर, कुछ सालों के लिए हमें रियायत देंगे। जब हम इस काबिल हो जाएंगे तो वालेंटरी तौर से उसे छोड़ देंगे। इस उम्मीद के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

شری پی - نامگیال (لدّاخ) : ماننئے چیرپرسن، شری چد مبرم نے انکم ٹیکس ۱۹۶۱ بل کو امینڈ کرانے کے لئے جو بل لائے ہین اس کا مین سمرتھن کرنے کے لئے کھڑا ہوا ہون - اس بل مین دھارا ۱۴ (بی) کو امینڈ کرنے جا رہے ہین جس کے تحت تلاشی کرانی ہوتی ہے یہ کام زیادہ ایفیکٹیو ہو اور جلدی ہو سکے ایسا پراودھان کر رہے ہین - دوسرے ۸ (جی) مین ترمیم کیا ہے - ڈونیشنس نیشنل النیس اسسٹینڈنس فنڈ کیندریہ سرکار نے پرووائڈ کر رکھا ہے اس کو بھی آپ نے سو فیصد چھوٹ کا پراودھان کیا ہے - ساتھ ہی انکم ٹیکس ایکٹ کی دھارا ۵۴ (ای) (اے) کو امینڈ کر رہے ہین پہلے کمپنیز مین شیئر کو انویسٹ کرنے کا پراودھان نہین تھا اب اس کو بھی دائرہ مین لا رہے ہین - مین سمجھتا ہون کہ یہ سارے اچھے قدم ہین - ان سے ہماری نیشنل انکم مین کافی اثر پڑیگا - یہ سرکار دوارہ اٹھائے جا رہے اچھے قدم ہین - اس سے سرکاری خزانے مین اچھی رقم جمع ہوگی - مین اس بل کا سمرتھن کرنے کے لئے کھڑا کوا ہون -

منتری جی نے حال ہی مین بجٹ پیش کیا ہے اور انہون نے خصوصی طور پر انکم مین کافی چھوٹ دی ہے - جو اوپر والے طبقے ہین جن کے پاس گنجائش ہے جو نیشنل خزانے کے لئے اسپیئر کر سکتے ہین جن کے پاس انہین آپ نے راحت دی ہے - ساتھ ہی موٹی سیلری لینے والون کے پاس بھی راحت دی گئی ہے - مین سمجھتا ہون کہ جن لوگون کو راحت دینی چاہئیے ان کو آپ نے نہین دی مین جس علاقہ کا ذکر کر رہا ہون اس علاقے کے بارے مین چد مبرم جی کو معلوم ہے - اس بارے مین مین ان سے کئی بار ملنے جا چکا ہون - مین لدّاخ علاقہ کے بارے مین کہنا چاہتا ہون آپ کو معلوم ہے جب یہ ایکٹ ۱۹۶۱ مین بنا تھا تو اس کے تحت ۱۹۶۲ سے لیکر ۸۹-۱۹۸۸ تک لدّاخ کے لوگون کو انکم ٹیکس چھوٹ دے رکھی تھی - ان مین بھی ان لوگون کو جو پرمانینٹ لدّاخ کے ریزیڈینٹ ہین - جو وہان پر بزنس کرنے کے لئے جاتے ہین ان کے لئے نہین -

وہ چھوٹ اس لئیے دی گئی تھی کہ ۱۹٦۲ سے لیکر چائنیز ایگریشن کے بعد ــ ــ ــ ــ

سارے دیش کا بارڈر ٹریڈ ہوا کرتا تھا - جیسا کہ میں ۱۹۲۹ کے بعد کمیونسٹ ریجیم آنے کے بعد تبت میں

نس کیانگ کے ساتھ وہ روٹ بند کردیا گیا تھا - اس وجہ سے ہمارے جو لوگ پیسہ کماتے تھے یا جو

پیسہ ان سے حاصل ہوتا تھا وہ سارے تباہ ہوگئے - اسی بنیاد پر ہمیں یہ چھوٹ دی گئی تھی -

اس کے بعد ۸۹ -۱۹۸۸ میں کانگریس سرکار سینٹر میں ہار گئی اور جنتا دل کی سرکار سینٹر میں آئی

انہیں شاید معلوم نہیں تھا اور انہوں نے اس کو لاگو کردیا - اس کے بعد اس سدن میں جموں کشمیر

کا کوئی ریپریزینٹیٹو بھی نہیں تھا کیونکہ ۱۹۸۹ کے بعد جموں کشمیر میں جو ملیٹینسی نے زور پکڑا

تو وہاں چناؤ بھی نہیں ہو پائے - ہمارے یہاں کوئی آواز اٹھانے والا بھی نہیں تھا اس لئیے یہ سنٹر

آپ کے قانون میں وہ لاگو ہے اور وہاں کے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے انکم ٹیکس کے کرمچاری آتے ہیں

اور ان کے دوارہ ہراسمینٹ کیا جاتا ہے - ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس قابل ہو اس کے پاس

زیادہ پیسے ہوں تو ان سے ضرور پیسے وصول کرنے چاہئیے لیکن انکم ٹیکس کے لئیے میری ایک

سجیشن یہ ہے کہ آپ نے سارے دیش میں ایک ہی قانون لاگو کیا ہوا ہے - رولز فریم کرتے وقت آپ نے

ایک بات کا خیال نہیں کیا کہ اس میں کوسٹ آف لیونگ کو بھی کنسیڈر کرنا چاہئیے - کوسٹ آف لیونگ

ہمارے ایریا میں بہت زیادہ ہے - آپ کو معلوم ہے کہ سال میں کم سے کم ۸ - ۷ مہینے وہ ایریا

دیش سے کٹا رہتا ہے - جو بھی ہمارا کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے وہ ہمارے یہاں دلّی جموں

اور سری نگر کے راستے سے پہنچایا جاتا ہے - چار مہینے کے لئیے اگر کوئی دوکاندار بھی کرتا

ہے تو اس کے پیسے ان سات آٹھ مہینوں کے لئیے ریزرو نہیں ہو سکتے ہیں وہ پیسے بلاک ہو جاتے

ہیں - تین مہینے کے لئیے بڑی مشکل سے سامان لے جانے کے لئیے راستہ کھلتا ہے اس لئیے وہاں

کے لوگوں کے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم ہے - میں آپ کو ایک اسٹیٹسٹکس بتانا چاہتا ہوں جو کل پرسوں

منسٹر صاحب نے ایک سوال پوچھا تھا انسٹارڈ کوشچن نمبر ۲۲٦۹ اور یہ ۱۲ مارچ کا ہے -

اس کا رپلائی مجھے ملا کہ لداخ کے دو دون ڈسٹرکٹ ملا کر ۹۵ - ۱۹۹۴ میں جو انکم ٹیکس ملا ہے وہ کل ۵۰۰۰۰ روپئے ملا ہے - ۹۶ - ۱۹۹۵ میں ۵۱۰۰۰ روپئے اور ۹۷ - ۱۹۹۶ میں ۳۸۰۰۰ روپئے ملے - آپ اندازہ لگائیے دو اس کو کلیکٹ کرنے پر کتنا خرچ ہوا ہوگا؟ یہ عجیب قانون ہے - آپ کو صرف اتنی ہی رقم انکم وہاں سے آتی ہے اور اس کے لئے آپ کے ۱۰ - ۸ افسر وہاں ہوئی جہاز سے جاتے ہیں - ۲۰۰۰ روپئے ہوائی جہاز کا ٹکٹ ہی لگ جاتا ہے - ایک بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ شری نگر کے لئے کوئی بھی آدمی ۱۹۸۲ کے بعد نہیں گیا کیونکہ فاروق صاحب نے ان کی بہت پٹائی کی - یہاں سے افسر بھیجے تھے چھاپہ مارنے کے لئے اور دو اتوبس بھر کر بھیجی تھی فاروق صاحب اس وقت اپوزیشن میں ایم - پی - تھے - اس کے لئے انہوں نے مگو براڈرس وغیرہ کو سپورٹ کیا -

سر ایک دوسرے سوال کا جواب میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں - ان سٹارڈ کوشچن نمبر ۲۱۹۲ جو ۱۲ مارچ کا ہے اس کے جواب میں پارٹ 'سی' میں آپ نے لکھا ہے :

"Income-Tax exemption which was intended to benefit the poor section of the people of Ladakh was benefiting the affluent and was being misused by unscrupulous businessment for laundering their black money through the residents of Ladakh."

[illegible]

[illegible]

[illegible] ([illegible]) : [illegible]

[illegible] ([illegible]) : [illegible]

[illegible] ... ([illegible])

[illegible]

لڈاخ کو کلڈ نیوز کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو سگم دے جو غلط کام کئے تو ہم اس کے لئے کیوں بھگتے - تو میرا یہی کہنا ہے کہ آپ اپنے افسروں کو بتائیے کہ لڈاخ کس جگہ ہے کس کونے میں ہے -

I do not want to quote the name of the officers.

میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا ایک ڈیپوٹیشن یہاں کے سینٹرل گورنمنٹ کے آفس میں گیا - کئی ہیومکریٹس وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ ڈیپوٹیشن وہاں پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے آپ کہاں سے آئے ہیں - تو انہوں نے کہا کہ ہم لڈاخ سے آئے ہیں تو ایک افسر نے پوچھا

'Where is Ladakh?' Another officer says, 'Yes, I know Ladakh. It is in North-East.

میں آپ کو یہ ٹیکلیٹ بتا رہا ہوں - میں کہتا ہوں کہ افسروں کو ہمارے دیش کی جغرافی کا معلوم نہیں ہے - اس لئے میں گزارش کروں گا میرا یہی سجیشن ہے کہ اس میں لڈاخ آیا ہے -

اگر وہاں پر ایک بھی کیس ہوا تو آپ مجھے بتائیے جو ایسے لوگ ہیں ان کے لئے ہم آپ کی مدد کریں گے ہم ہمیشہ آج تک اپنے دیش کی ڈیفنس کے لئے اپنے دیش کے بارڈرس کو ڈیفنس کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی ہمارے لوگ بارڈر پر تعینات ہیں - لڈاخ ایک رجن ہے جہاں سے ایٹرنل نیشنل بات آپ کو سننے میں نہیں آئی ہوگی - جو ٹیشنلسٹ ہیں آپ کو ان لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں - آپ ان پر ٹیکس امپوز کرو آپ ان کو ہراسمینٹ کرو - تو میرا یہی کہنا ہے کہ مہربانی کرکے آپ اس کو ریویو کیجئے کیونکہ جو دیش بھگت ہیں ان کی مدد کرنا آپ کا فرض بنتا ہے اور لڈاخ کی جغرافی کی بات میں اس لئے کر رہا ہوں کہ لڈاخ سینسٹو ایشیا میں ہے حقیقت میں ہاف کونٹینینٹ میں نہیں ہے - یہ ہمالیہ کو کراس کرکے اس طرف جاتا ہے - لیکن پھر بھی جو بھارت کی سرزمین ہے ہم اس کے لئے آنے والے سیکڑوں سالوں تک اپنا خون بہانے کے لئے تیار ہیں اور اس ایریا سے کبھی کوئی ایسی آواز نہیں اٹھیگی جو اپنے دیش کے ہت میں نہ ہو - تو سر میری یہی گزارش ہے نہ مہربانی کرکے یہ جو ڈیمینڈ آپ نے

لیا ہے اس پر میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس کو ریویو کمیٹی اور جو ڈائریکٹ ٹیکس بل آپ لائے ہیں اس میں آپ ترمیم لائیں ہم یہ پرمانینٹلی نہیں چاہتے ہیں ایک مجبوری میں سے آپ اسے ۵ سال کر دیجئے یا ۱۰ سال کر دیجئے تب تک وہاں کے حالات نارمل ہو جائیں گے۔

یہاں ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا۔ لداخ ریجن کو آپ نے ۱۹۸۹ میں کانسیشنس جموں کشمیر آرڈر ۱۹۸۹ کے تحت شیڈیولڈ ٹرائب ایریا ڈیکلئر کیا تھا کیونکہ وہاں کی ۹۰ فیصد آبادی شیڈیولڈ ٹرائب ہے وہاں کی ایکونومک کنڈیشنس بہت ہی لوگ غریب ہیں مجبور ہیں اس بنیاد پر انہیں شیڈیولڈ ٹرائب کا ڈائریکٹ ۱۹۸۹ میں آپ نے دیا لیکن دوسری طرف سے انکم ٹیکس لاگو کر دیا اس کا مطلب ہوا کہ ایک ہاتھ سے آپ نے دیا اور دوسرے ہاتھ سے آپ نے لے لیا یہ کہاں کا انصاف ہے۔

ابھی میں نے جس کنشچن کا ریپلائی یہاں پر کوٹ کیا اس میں میں نے پوچھا تھا کہ جموں کشمیر میں کل کتنے ٹرائبل لوگ ہیں میں ان کی جانکاری چاہتا تھا لیکن ڈائریکٹ منسٹری کی طرف سے کہا گیا کہ جموں کشمیر میں چونکہ ۱۹۹۱ میں کوئی سینسس نہیں ہوا اس لئے ہمارے پاس وہ ڈگر نہیں ہیں۔ لیکن میں آپ کی نالج کے لئے بتانا چاہتا ہوں کہ ۱۹۸۷ سے ۱۹۸۹ کے بیچ وہاں ایک ہاؤس سینسس ہوا تھا جس کی بنیاد پر وہاں رجسٹرار جنرل آف انڈیا نے کچھ ٹرائبلس کو آئڈینٹی فائی کیا گیا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ ۱۹۹۱ میں وہاں کوئی سینسس نہیں ہوا ہمیں پتہ ہے کہ ملیٹینسی کی وجہ سے وہاں کوئی سینسس نہیں ہوا لیکن جو سینسس کی ڈگرس آپ کے پاس موجود ہیں مجھے کافی افسوس ہے کہ سینسس کی رپورٹ آپ کے پاس ہوتے ہوئے بھی آپ نے اپنے جواب میں کیسے کہہ دیا کہ ہمارے پاس ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ ایک مجبوری یہ بھی ہو گئی کہ ۱۹۸۹ کے بعد ہمارا سپلائی لائن شری نگر ہے ملیٹینسی کی وجہ سے جو مشکلات ہمارے سامنے آئی حالانکہ ہمارے

یہاں ملیٹنسی نہیں ہے لیکن جموں کشمیر میں ملیٹنسی کی وجہ سے ہماری تمام سہولتیں بند ہوگئی ہیں ہمارا سارا کمیونیکیشن شری نگر کے ذریعہ ہوتا تھا وہاں جانا ہمارے لئے ممکن نہیں ہوا جس کے کارن ہمیں ایکونومیکلی بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔

ان چند شبدوں کے ساتھ وت مذری جی سدن میں جو بل لیکر آئے ہیں جو امینڈمینٹ لائے ہیں میں تہہ دل سے اسے سپورٹ کرتا ہوں لیکن میری گزارش ہے کہ میں نے جن پوائنٹس کی طرف آپ کا دھیان کھینچا ہے امید ہیں آپ ریکمینڈ کریں گے اور ڈائنینس بل میں ترمیم لاکر کچھ سالوں کے لئے ہمیں رعایت دیں گے۔ جب ہم اس قابل ہو جائیں گے تو والیدتی اسے چھوڑ دیں گے۔

اس امید کے ساتھ آپ کا بہت بہت دھنیواد۔

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: सभापति महोदया, इस विधेयक को माननीय सदस्यों ने जो व्यापक समर्थन दिया है, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं।

सर्वप्रथम, मैं श्री निर्मल कान्ति चटर्जी को मुद्रण में हुई एक स्पष्ट त्रुटि की ओर ध्यान दिलाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं त्रुटि को स्वीकार करता हूँ और उसके लिए मुझे खेद है। मैं सभापति महोदया से पृष्ठ 2 पर खंड सं. 4, पंक्ति सं. 16 में '1996' के स्थान पर '1997' करने के लिए सरकारी संशोधन को पुर:स्थापित करने की अनुमति चाहूंगा। मैंने इस सरकारी संशोधन की सूचना दी है।

मैं भा.ज.पा. के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछ विचार-बिंदुओं पर संक्षेप में बोलूँगा। वास्तव में श्री भार्गव जी का विचार था कि मैं एक पुलिस राज्य की स्थापना कर रहा था। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। जो भी उपबंध इसमें हैं वह आयकर अधिनियम के कुछ भागों में पहले से मौजूद हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने 300 प्रतिशत अर्थदंड का उल्लेख किया है। 300 प्रतिशत के अर्थदंड का उपबंध नया नहीं है। यह आय-कर अधिनियम की धारा 271(1) (ग) में पहले से ही विद्यमान है। जब हमें किसी अप्रकटीकृत आय की जानकारी मिलती है तो उस पर जो अर्थदंड लगाया जा सकता है वह अप्रकटीकृत आय का तीन गुना से अधिक नहीं हो सकता। यह कोई नया उपबंध नहीं है। आय-कर अधिनियम में धारा 271 (1) (ग) लगभग 30 वर्षों से विद्यमान है।

तत्पश्चात् इन्होंने धारा 276 गगग का उल्लेख किया है और कहा है कि इसके लिए हमने किसी को तीन वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया है। यह भी कोई नया उपबंध नहीं है। यदि आप इससे पहले की धारा 276 गग को देखें तो पाएंगे कि उसमें कम से कम सजा तीन माह और अधिक से अधिक सजा तीन वर्ष है। यह उपबंध संविधि पुस्तक पहले से ही है। नए अध्याय चौदह ख के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसा अपराध किये जाने पर इसे लागू किया जाएगा।

किसी ने यह प्रश्न उठाया है कि हमें दो वर्ष का समय क्यों चाहिए। हमें दो वर्ष का समय इन कारणों से चाहिए। 45 दिन के भीतर 'रिटर्न' भरना होता है। रिटर्न भरने के बाद अधिकारी को नोटिस, आह्वान दस्तावेज और जांच साक्ष्य जारी करने होते हैं। यदि मामला विवादास्पद होता है तो करदाता भी अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेगा और कानूनी परामर्शदाता अथवा आयकर वकील को उसके अपने वाद में तर्क देने हेतु विनियोजित करेगा। हमें लगा कि एक वर्ष इस प्रकार के कर निर्धारण के लिए पर्याप्त नहीं है, विशेष रूप से तब जब यह निर्धारण दस वर्ष की अवधि (ब्लॉक) का होगा। करदाता अथवा अधिकारी पिछले दस वर्षों के 'रिटर्नस' पढ़ सकता है। वह दस वर्षों के ब्लॉक का विवरण देगा। वास्तव में, हमने पाया कि एक वर्ष पर्याप्त

नहीं है। एक वर्ष का प्रावधान जोकि 1 जुलाई, 1995 से शुरु किया गया, सामान्य नियम से अलग है। सामान्य नियम 153 (1) (क) है जिसमें कर निर्धारण अधिकारी को मूल्यांकन करने के लिए दो वर्ष का समय दिया जाता है। 1995 में इसे एक वर्ष किया गया। यह सामान्य नियम जिसमें यह दो वर्ष है, का अपवाद है। अब मैं पहले नियम को ज्यों का त्यों रख रहा हूं कि मूल्यांकन अधिकारी को दो वर्षों का समय दिया जाएगा। इसलिए मैं कुछ भी नया नहीं जोड़ रहा हूँ। सजा, अर्थदंड, मूल्यांकन का समय आदि सभी आयकर अधिनियम के विद्यमान उपबन्धों से लिए गए हैं और मैं कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ। अत: मैं इस तर्क को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार करता हूँ कि इन धाराओं द्वारा पुलिस राज्य की शुरुआत की जा रही है।

महोदया, राजनैतिक दलों का कुछ उल्लेख किया गया था। मैं चाहूंगा कि कृपया आप आयकर अधिनियम की धारा 13क को पढ़ें। धारा 13क में राजनैतिक दलों को आयकर अधिनियम से तीन शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है। पहली शर्त यह है कि वह अपने खाते रखेंगे। इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। दूसरी शर्त यह है कि यदि आपको 10,000 रु. से अधिक की दानराशि प्राप्त होती है तो आप दानकर्त्ता के नाम और पत्ते का रिकार्ड रखेंगे। तीसरी शर्त यह है कि वे अपने लेखों की लेखा-परीक्षा कराएंगे। इन शर्तों से क्या गलत है? मुझे विश्वास है कि भा.ज.पा. को इन तीनों शर्तों में से किसी पर कोई आपत्ति नहीं है।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत: सभापति महोदया, शायद मेरी बात का चिदम्बरम जी ने गलत अर्थ ले लिया है। मैंने यह कहा था कि जो डोनेशंस पोलिटिकल पार्टीज को दिए जाएं, वे एग्जम्प्ट होने चाहिए, जिससे दोनों के लिए ठीक रहेगा।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: दानकर्त्ता को छूट मिलनी चाहिए अथवा दान प्राप्तकर्त्ता को छूट मिलनी चाहिए?

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत: डोनर को एग्जम्प्ट कर दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: राजनैतिक दलों को दिए जाने वाले दान पर दानकर्त्ता को आयकर छूट क्यों मिलनी चाहिए? राजनैतिक दल को पहले ही छूट प्राप्त है। दानकर्त्ता अपनी उस आय में से दान करेगा जिस पर कर लगाया गया है। दानकर्त्ता को छूट क्यों दी जानी चाहिए? मैं नहीं समझता कि अधिक लोग इसका समर्थन करेंगे कि दानकर्त्ता को दान की राशि पर छूट दी जाए। मैं समझता हूँ कि वर्तमान स्थिति ठीक है।

श्री राम नाईक: यह नई राय है।

श्री पी. चिदम्बरम: क्या आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि कोई चुनाव नहीं होने वाले हैं। हम चार वर्ष के बाद देखेंगे।

श्री भगवान शंकर रावत: मुझे चुनावों का डर नहीं है... *(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: जहां तक नए आयकर अधिनियम का संबंध है, मैंने अपने बजट भाषण में पहले ही कहा है कि रिपोर्ट संसद भवन के पुस्तकालय में रख दी गई है। मुझे आशा है कि मेरे मित्र श्री रमेश चेन्नित्तला कभी-कभार संसद भवन पुस्तकालय अवश्य जाते होंगे। रिपोर्ट उपलब्ध हैं और समाचार-पत्रों में भी इस पर विस्तार से छप चुका है। अब हम चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों की एसोसिएशन, कम्पनी सचिवों, फिक्की, एसोचेम और सी.आई.आई. के साथ सम्मेलन और कार्यशालाएं आयोजित कर रहे हैं।

श्री रमेश चेन्नित्तला: यह सभा में कब लाई जाएगी?

श्री पी. चिदम्बरम: यह शरदकालीन सत्र में लाई जा सकती है क्योंकि देश में हम इस पर कम से कम छ: माह तक वाद-विवाद किये जाने की आवश्यकता समझते हैं। हम देश भर में घूमकर इस पर राय जानना चाहते हैं। इसलिए इसमें कम से कम छ: माह लगेंगे। मुझे आशा है कि छ: माह बाद हम इसे ला पाएंगे। इस बीच, मैं चाहूंगा कि आप सभी कृपया इसे पढ़े और इस पर अपनी टिप्पणी करें।

महोदया, लद्दाख के बारे में, मेरे मित्र श्री नामग्याल के लिए यह एक भावनात्मक मामला है। लेकिन मैं क्या करूं? मैंने आयकर नहीं लगाया है। आयकर 1989 में लगाया गया था। वर्ष 1991 से 1996 तक कांग्रेस सरकार सत्ता में थी। मुझे खेद है कि आप कांग्रेस सरकार को आयकर समाप्त करने के लिए राजी नहीं कर सके... *(व्यवधान)* अब 1997 चल रहा है।

श्री पी. नामग्याल: नहीं, नहीं। सभा में कोई नहीं है।... *(व्यवधान)* दुर्भाग्यवश पिछले सात वर्षों से हमारा कोई प्रतिनिधि सभा में नहीं है।

श्री पी. चिदम्बरम: लद्दाख में कोई आयकर कार्यालय नहीं है। अत: कौन उन्हें तंग कर रहा है? लद्दाख में कोई आयकर कार्यालय नहीं है। केवल अमृतसर में आयकर आयुक्त हैं जो कभी-कभार लद्दाख जाते हैं। वह 50,000 रु. आयकर के रूप में एकत्र कर रहे हैं। किसको तंग किया जा रहा है? किसी को तंग नहीं किया जा रहा है।

श्री राम नाईक: हमें बताया गया है कि इस अधिकारी का खर्च अर्जित होने वाले राजस्व से अधिक है।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं इससे इंकार नहीं कर रहा हूं। ऐसा हो सकता है कि होने वाला खर्च अर्जित राजस्व के अनुरूप नहीं हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें इससे अधिक आधारभूत प्रश्न पर ध्यान देना चाहिए। क्या यह विवेकपूर्ण है अथवा उचित है कि देश के किसी भाग को राष्ट्रीय कानून से उन्मुक्ति दे दी जाए? वास्तविक प्रश्न यह है। समस्याओं को हम सुलझा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं तो मैं आयकर आयुक्त, अमृतसर से प्रभार लेकर चिन्नई के आयुक्त को प्रभार दे सकता हूँ। वह लद्दाख बिल्कुल नहीं जाएगा।

मैं समझता हूँ कि मूलभूत प्रश्न यह है कि क्या भारत के किसी भाग को राष्ट्रीय कानून से छूट दी जा सकती है? मैं समझता हूँ कि यह अधिक गम्भीर प्रश्न है। कृपया इस पर ध्यान दें। मेरे मन में कोई पूर्वाग्रह नहीं है। मैं इस पर ध्यान दूंगा।

श्री पी. नामग्याल: कृपया इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

श्री पी. चिदम्बरम: किसी को तंग नहीं किया जा रहा है। यदि किसी को तंग किया जा रहा है तो कृपया आप इसकी जानकारी दें। मैं भी उस अधिकारी को तंग कर सकता हूं जो आपको तंग कर रहा है। किसी को तंग नहीं किया जा रहा है।

श्री पी. नामग्याल: आपने चार-पहिया वाहनों पर कर लगाने का प्रस्ताव रखा है।

श्री पी. चिदम्बरम: नहीं, नही। पुन: इसमें गलतफहमी है। मैं इसका उत्तर दूंगा।

श्री पी. नामग्याल: मेरे पास दो पहिया वाहन है। यदि आप इस पर कर लगाना चाहते हैं तो मुझे अपने दो पहिया वाहन पर कर देने में खुशी होगी।

श्री पी. चिदम्बरम: यहां भी पुन: गलतफहमी हुई है। दो पहिया वाहन रखने पर किसी पर कर नहीं लगाया जा रहा है। टेलीफोन होने पर किसी पर कर नहीं लगाया जा रहा है। यह गलतफहमी बहुत से लोगों की है। मेरे बजट भाषण में मैंने यह कहा था कि यदि आप वर्ष में उन चार में से कोई दो चीजें रखते हैं तो आपको 'रिटर्न' भरना पड़ेगा। आप 'शून्य' लिखकर रिटर्न कर सकते हैं। आप यह कहकर रिटर्न भर सकते हैं कि "मैं आयकर देने में असमर्थ हूँ।" आप रिटर्न भरते समय यह भी कह सकते हैं कि "आयकर के रूप में मेरी देयता केवल 100 रु. है।" हम 'रिटर्न' को स्वीकार कर लेंगे।

उपबंध की गलत रूप में व्याख्या न करें। हम आधार को व्यापक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आप मुझसे सहमत होंगे कि आधार व्यापक होना चाहिए और प्रत्येक को कुछ न कुछ आयकर के रूप में देना चाहिए बजाए इसके कि कराधान का आधार संकीर्ण हो और आयकर की दर अधिक हो। मैं समझता हूँ कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों करों का सही सिद्धान्त व्यापक आधार है और प्रत्येक कुछ न कुछ कर दे, इस पर आधारित है।

मैं समझता हूं कि न्यूनाधिक प्रत्येक सदस्य सभी ने विधेयक का समर्थन किया है। व्यापक समर्थन देने के लिए मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इसे पारित करें। मैं सरकारी संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं।

सभापति महोदय: श्री अमर पाल सिंह, क्या आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं?

श्री अमर पाल सिंह: जी हां, मैं अपना संकल्प वापस ले रहा हूं।

सभापति महोदय: क्या माननीय सदस्य द्वारा अपना संकल्प वापस लेने हेतु सभा की अनुमति है?

कुछ माननीय सदस्य: जी हां।

संकल्प, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन करने के लिए विधेयक पर आगे विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 4

संशोधन किया गया:

कि पृष्ठ 2, पंक्ति 11 पर

"1996" के स्थान पर "1997", पढ़ा जाए। (1)

(श्री पी. चिदम्बरम)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 से 11

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 5 से 11 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 से 11 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: सभा में अब मद सं. 16 और 17 को साथ-साथ लिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : ऐसा है कि कल जो लिस्ट ऑफ बिजनेस हम लोगों को दी गई थी, उसमे जो बिल्स थे, उसमें इलैक्ट्रिसिटी का बिल नहीं था और तीन बिल्स थे। एक जो अभी पास हुआ वह, दूसरा एनवायर्नमेंट के लिए एक अपीलेट एथॉरिटी बनाने का बिल और तीसरा नेशनल हाइवेज के बारे में था। अब अचानक यह आर्डर बदल दिया गया और आज जब हमने यहां देखा और इसलिए जब सुबह चर्चा शुरु हुई थी, तब मैंने यह बात उठाई थी जब हम इस प्रकार से सरकार को कोआपरेट कर रहे हैं, और हमने वक्ता तय किये हैं, उनको बताया है, जो इस विषय पर बोलने वाले नहीं हैं, उनको जाने के लिए कहा है। हम सरकार को कोआपरेट कर रहे हैं और इसलिए मैं समझता हूं कि अभी 5.45 हो गये हैं, इस प्रकार का बिल लाना उपयुक्त नहीं है, हम रोंग प्रिसीडेंट डालेंगे। मेरा निवेदन यह है कि जितनी अभी चर्चा हो गई है, काफी है, इस विधेयक पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। ... *(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नित्तला: ऐसा नहीं है... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: एक-एक करके बोलिये।

श्री राम नाईक: इस बात को लेकर मेरा यह निवेदन है कि इस विधेयक पर अभी चर्चा इस समय पर नहीं हो।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदया, मेरी भी यही राय है।

श्री रमेश चेन्नित्तला: महोदया, वह ठीक कह रहे हैं। कल हमें कार्य सूची प्राप्त हुई थी। आदिष्ट कार्यपत्र (आर्डर पेपर) में कुछ और दिया गया था। आज इसमें वे विधेयक शामिल किये गये हैं जो कि कल 'आर्डर पेपर' में नहीं दिए गए थे। मैं इसका विरोध नहीं करता। विधेयक जो लाए जाने हैं हम उनके बारे में जानते हैं। लेकिन 'आर्डर पेपर' महत्वपूर्ण है। हम अभी भी चर्चा शुरु कर सकते हैं। अभी भी 15 मिनट शेष हैं... *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदया, हमें इस महत्वपूर्ण और विवादास्पद विधेयक की जानकारी नहीं थी क्योंकि कल जब आज की कार्यसूची भेजी गई थी तो इसमें इस विधेयक को चर्चा के लिए शामिल नहीं किया गया था। अब अचानक इसे संशोधित कार्य सूची में शामिल कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, यह अत्यधिक विवादास्पद विधेयक है और इसलिए यह विधेयक दिन के अंतिम क्षणों में नहीं लाया जाना चाहिए। इस विधेयक को पारित करने के लिए लम्बी चर्चा किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसे आज नहीं लिया जाना चाहिए। इसे सोमवार, अथवा मंगलवार को अथवा अगले सप्ताह किसी दिन लिया जा सकता है...

सभापति महोदय: मैं समझता हूँ कि सांविधिक संकल्प प्रस्तुत किया जाए।

... *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जा सकती है... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रमेन्द्र कुमार (बेगूसराय): मेरा यह कहना है कि इस बिल को स्टेंडिंग कमेटी को भेज दिया जाये, क्योंकि इस बिल में जो बातें उठाई गई हैं, बहुत टैक्नीकल हैं और ट्रांसमीशन को प्राइवेट में दे रहे हैं। ट्रांसमीशन लाइंस तो हैं ही। अब इसको प्राइवेट में दे रहे हैं, उसका क्या असर होगा, क्या नहीं होगा, इन सारी बातों की जानकारी मंत्री जी को भी नहीं होगी।

श्री कल्पनाथ राय (घोसी): आज इस पर बहस नहीं हो सकती। ... *(व्यवधान)* सारी बातों की जांच करनी होगी, इसलिए इसे आज न लें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया सब एक साथ नहीं बोलें।

श्री बसुदेव आचार्य: विधेयक स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए।

सभापति महोदय: मंत्री महोदय का क्या विचार है?

... *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: पारेषण (ट्रांसमीशन) निजी कंपनियों को सौंपा जा रहा है... *(व्यवधान)* विधेयक स्थायी समिति को भेज दीजिऐ।

सभापति महोदय: मंत्री महोदय, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): इस चरण में हम विधेयकों के गुण-दोष पर विचार नहीं कर रहे हैं... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप लोग अपनी बात कह चुके हैं, अब मंत्री जी की बात भी सुन लें, उसमें क्या हर्ज है।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना: हम इस विधेयक को आज के लिए छोड़ सकते हैं। सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम निश्चित रूप से विधेयकों के गुण-दोष की विवेचना कर सकते हैं। विधेयक अध्यादेश के स्थान पर लाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी और विभिन्न दलों के नेताओं ने बी.ए.सी. में निर्णय लिया था कि हम आज बैठेंगे। हम आज इसे छोड़ सकते हैं और अगली मद को ले सकते हैं।

श्री राम नाईक: पर्यावरण के बारे में अगला विधेयक कार्य सूची में नहीं दिया गया है... *(व्यवधान)*

श्री श्रीकान्त जेना: अब हम राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम (संशोधन) विधेयक ले रहे हैं।

श्री राम नाईक: यह अंतिम विधेयक है।

श्री श्रीकान्त जेना: समस्या यह है कि हम यह विधेयक दोनों सभाओं में उठा रहे हैं। ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: मंत्री जी की बात सुनने में क्या आपत्ति है?

श्री कल्पनाथ राय: ये ऊर्जा मंत्री नहीं हैं। इतने बड़े सवाल पर कोई बहस नहीं हो सकती।

श्री श्रीकान्त जेना: जरा सुन लें। यही बी.ए.सी. में हुआ था कि जितने भी अध्यादेश हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए जितने भी बिल्स हैं, जब जनरल बजट शुरु होगा, उसके पहले खत्म कर लेंगे। इसलिए कुछ बिल राज्य सभा में इंट्रोड्यूस हुए हैं और कुछ यहां हुए हैं।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक: क्या आप समझते हैं कि हम यहां बिना तैयारी के आते हैं।

[हिन्दी]

श्री श्रीकांत जेना: कल आप नहीं थे। इस बारे में जब स्पीकर साहब से बात हुई तो कहा गया कि पहले यू.पी. का बजट होगा, फिर उसके बाद अध्यादेश लेंगे।

श्री राम नाईक: ठीक है, ऐसे ही चलाना है तो चलाएं।

[अनुवाद]

मुझे कुछ नहीं कहना है.... *(व्यवधान)* यदि आप क्रम में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सभा में गणपूर्ति नहीं है... *(व्यवधान)*। आप कार्यसूची को गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप विपक्ष के सदस्यों का सहयोग नहीं चाहते ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीकान्त जेना: पर्यावरण मंत्री ने सभापति महोदया से अनुमति मांग ली है।

श्री राम नाईक: उन्होंने अनुमति ले ली होगी लेकिन हम जानना चाहते हैं कि वास्तविकता क्या है।

श्री श्रीकान्त जेना: चूंकि मंत्री महोदय आज उपस्थित नहीं होंगे इसलिए उन्होंने माननीय अध्यक्ष से इसे आज नहीं लेने के लिए अनुरोध किया है।

श्री राम नाईक: हमने पढ़ा है कि वह जम्मू और कश्मीर गए हुए हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मंत्री होने के नाते आपको

सुनिश्चित करना चाहिए था, कल यह नहीं दिखाई गई थी। आप कार्यसूची के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मुझे खेद है सामान्यत: मैं इस प्रकार नहीं बोलता हूँ।

श्री श्रीकान्त जेना: यह स्वीकार किया गया था कि उत्तर प्रदेश बजट पर चर्चा नहीं की जाएगी। बाद में निर्णय लिया गया कि चर्चा की जाएगी... *(व्यवधान)*

श्री राम नाईक: हम अप्रसन्न हैं।

श्री श्रीकान्त जेना: ऐसी बातों में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हमें तकनीकी मामलों पर नहीं झगड़ना चाहिए... *(व्यवधान)* मैं इस बात से सहमत हूं कि विद्युत विधि (संशोधन) विधेयक को आज के लिए छोड़ा जा सकता है। अगले सोमवार अथवा मंगलवार जब हमारे पास समय होगा, हम इस पर विचार करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य: आप इसे स्थायी समिति को क्यों नहीं भेज देते? .... *(व्यवधान)*

श्री श्रीकान्त जेना: इसे स्थायी समिति को नहीं सौंपा जा सकता है। यह विधेयक अध्यादेश के स्थान पर लाया गया है। ...*(व्यवधान)*

श्री अमर राय प्रधान: ऐसी अवस्था में, सभा ही इस पर निर्णय ले सकती है... *(व्यवधान)*

श्री श्रीकान्त जेना: हम चर्चा करेंगे कि .... *(व्यवधान)*

श्री राम नाईक: महोदया, ऐसा लगता है कि यदि हम इसके लिए कहेंगे तो संसदीय कार्य मंत्री सहमत नहीं होंगे और यदि श्री बसुदेव आचार्य कहेंगे तो वह मान लेंगे।

श्री श्रीकान्त जेना: राम नाईक जी, मैं आपसे सहमत हूँ। मेरा अध्यक्षपीठ से निवेदन है कि वह कार्यसूची की अगली मद को लें।

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राय: कुछ भी हो, हम नहीं जानते हैं। हम इसको नहीं मानेंगे। ... *(व्यवधान)* केवल पांच मिनट का समय बाकी है। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राम नाईक: करीब छ: बज ही गए हैं।

श्री श्रीकान्त जेना: यह आपको मालूम है हम आधा घंटा और बैठ सकते हैं।

श्री कल्पनाथ राय: शनिवार को नहीं।

श्री श्रीकान्त जेना: कृपया मेरी बात सुनिए। बजट पर सामान्य चर्चा 17, 18 और 19 तारीख को होगी, 20 तारीख को हमें नियम 184 के अन्तर्गत चर्चा करनी है। ... *(व्यवधान)* मेरी समस्या यह है कि बजट पर सामान्य चर्चा भी संक्षेप में की जाएगी... *(व्यवधान)* इसलिए सभापति महोदया से मेरा अनुरोध है कि आज ही ले लिया जाए। ... *(व्यवधान)* सभी इससे सहमत हैं और हम इसे पारित कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राय: मुझे निवेदन करना है। यदि बिजनिस एडवाइजरी कमेटी कुछ भी फैसला कर देगी तो क्या बाईंडिंग होगा? छ: बज रहा है। हम क्यों स्वीकार करेंगे? आप हाउस एडजर्न कीजिए। ... *(व्यवधान)*

श्री राम नाईक: जेना जी, अब हो गया। ... *(व्यवधान)*

श्री श्रीकान्त जेना: राम नाईक जी, अगला बिल जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है, छोटा सा बिल है। आप देख लीजिए।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक: अगली मद के रूप में केवल पर्यावरण अपील प्राधिकरण विधेयक लिया जा सकता है। लेकिन वह कार्य सूची में नहीं है।

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राय: इसको हम पास नहीं करेंगे। .. *(व्यवधान)* आज पास नहीं करेंगे। ... *(व्यवधान)* सभापति जी, हाउस में कोरम नहीं है। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: घंटी बजाई जा रही है।

चूंकि गणपूर्ति नहीं है इसलिए सभा सोमवार, 17 मार्च, 1997 को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 5.57 बजे

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार, 17 मार्च, 1997/26 फाल्गुन, 1918 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।